कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास
को समर्पित

वर्ष 56 अंक : 12 अक्तूबर 2010 मूल्य : 20 रुपये

पंचायती राज
विकास का राज

विशेषांक

पंचायतों का सशक्तिकरण

पंचायती राज संस्थाएं भारत में लोकतंत्र की मेरूदंड हैं। निर्वाचित स्थानीय निकायों के लिए विकेन्द्रीकृत, सहभागी और समग्र नियोजन प्रक्रिया को बढ़ावा देने और उन्हें सार्थक रूप प्रदान करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ)

इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त विकेन्द्रीकृत, सहभागी और समग्र नियोजन प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। यह विकास के अन्तर को पाटता है और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और उसके पदाधिकारियों की क्षमताओं का विकास करता है। हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में बीआरजीएफ अत्यधिक उपयोगी साबित हुआ है और पीआरआई तथा राज्यों ने योजना तैयार करने एवं उन पर अमल करने का अच्छा अनुभव प्राप्त कर लिया है। बीआरजीएफ के वर्ष 2009–10 के कुल 4670 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय में से 31 दिसम्बर, 2009 तक 3240 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

ई–गवर्नेंस परियोजना

एनईजीपी के अन्तर्गत ईपीआरआई की पहचान मिशन पद्धति की परियोजनाओं के ही एक अंग के रूप में की गई है। इसके तहत विकेन्द्रीकृत डाटाबेस एवं नियोजन, पीआरआई बजट निर्माण एवं लेखाकर्म, केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र की योजनाओं का क्रियान्वयन एवं निगरानी, नागरिक–केन्द्रित विशिष्ट सेवाएं, पंचायतों और व्यक्तियों को अनन्य कोड (पहचान संख्या), निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी पदाधिकारियों को ऑन लाइन स्वयं उपठन माध्यम जैसे आईटी से जुड़ी सेवाओं की सम्पूर्ण रेंज प्रदान करने का प्रस्ताव है। ईपीआरआई में आधुनिकता और कार्यकुशलता के प्रतीक के रूप में पीआरआई में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने और व्यापक आईसीटी (सूचना संचार प्रविधि) संस्कृति को प्रेरित करने की क्षमता है।

ईपीआरआई में सभी 2.36 लाख पंचायतों को तीन वर्ष के लिए 4500 करोड़ रुपये की अनंतिम लागत से कम्प्यूटरिंग सुविधाएं मय कनेक्टिविटी (सम्पर्क सुविधाओं) सहित प्रदान करने की योजना है। चूंकि पंचायतें, केन्द्र–राज्यों के कार्यक्रमों की योजना तैयार करने तथा उनके क्रियान्वयन की बुनियादी इकाइयां होती हैं, ईपीआरआई, एक प्रकार से एमएमपी की छत्रछाया के रूप में काम करेगा। अतः सरकार ईएनईजीपी के अन्तर्गत ईपीआरआई को उच्च प्राथमिकता देगी। देश के प्रायः सभी राज्यों (27 राज्यों) की सूचना और सेवा आवश्यकताओं का आंकलन, व्यापार प्रक्रिया अभियांत्रिकी और विस्तृत बजट रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है और परियोजनाओं पर अब काम शुरू होने को ही है।

महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण

राष्ट्रपति ने 4 जून, 2009 को संसद में अपने अभिभाषण में कहा था कि वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर अनेक प्रकार की वर्जनाओं से पीड़ित महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण के फैसले से अधिक महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा। तदानुसार मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त, 2009 को संविधान की धारा 243घ को संशोधित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया ताकि पंचायत के तीनों स्तर की सीटों और अध्यक्ष के 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जा सकें। पंचायती राज मंत्री ने 26 नवम्बर, 2009 को लोकसभा में संविधान (एक सौ दसवां) संशोधन विधेयक, 2009 पेश किया।

वर्तमान में लगभग 28.18 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से 36.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। प्रस्तावित संविधान संशोधन के बाद निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14 लाख से भी अधिक हो जाने की आशा है।

पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों, वित्त और पदाधिकारियों का हस्तांतरण

पंचायतें जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं और कार्यों, वित्त तथा पदाधिकारियों के प्रभावी हस्तांतरण से उन्हें और अधिक सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। इससे पंचायतों द्वारा समग्र योजना बनाई जा सकेगी और संसाधनों को एक साथ जुटाकर तमाम योजनाओं को एक ही बिन्दु से क्रियान्वित किया जा सकेगा।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 56 ★ मासिक अंक : 12 ★ पृष्ठ : 72 ★ आश्विन–कार्तिक 1932 ★ अक्टूबर 2010

प्रधान संपादक
नीता प्रसाद
वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द मीना
संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110 011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
जे.के. चन्द्रा
व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा

दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516
ई–मेल : pdjucir_jcm@yahoo.co.in

आवरण एवं सज्जा
संजीव सिंह और रजनी दवे

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

निरंतर विकास और पंचायत की भूमिका — शंभूनाथ यादव — 3

पंचायती राज और ई-गवर्नेंस — अखिलेश चन्द्र यादव — 9

मनरेगा और पंचायती राज — चन्द्रभान यादव — 14

ग्राम न्यायालयों के रास्ते ग्राम स्वराज की ओर — डॉ. सुरेन्द्र कटारिया — 20

पंचायती राज से भारत में बदलाव की बयार — डॉ. जगबीर कौशिक — 23

केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत की भूमिका — सुबाष चंद्र पाल — 29

महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका — उमर फारुकी — 33

ग्राम पंचायतों में आपदा प्रबंधन — प्रतापमल देवपुरा — 37

ग्रामीण शिक्षा में पंचायती राज का योगदान — अश्वनी — 42

पंचायती राज संस्थाओं में लेखा परीक्षा — विनीत कुमार — 47

गांवों के सर्वांगीण विकास में पंचायती राज की भूमिका — डॉ. दीपक पालीवाल व सरोज पालीवाल — 50

ग्रामसभा वर्ष — रत्नकुमार सांभरिया — 53

जूट के रेशों से बढ़ती कमाई की चमक — ममता भारती — 54

स्ट्राबेरी की सफल खेती — डॉ. आर.एस. सेंगर — 58

लहसुन के सत् से स्वस्थ हो रहे पौधे — जितेन्द्र द्विवेदी — 62

रोगों से बचाए टमाटर — रुबी कुमार — 64

मनरेगा ने बदली पोंगरी गांव की तकदीर — राजकुमार महोबिया — 68

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

सम्पादकीय

पहली पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में किया था। नेहरू जी के लिए यह प्रणाली एक ओर गांधीजी के ग्राम स्वराज्य के स्वप्न को धरातल पर उतारने का जरुरी उपक्रम थी, वहीं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक जरूरी कार्रवाई थी। किंतु पंचायती राज व्यवस्था आजादी के कई दशक बाद तक भी उतनी सशक्त नहीं बन पाई। कुछ कमियों के चलते पंचायतें अपने उद्देश्यों में कामयाब नहीं हो पा रही थी। इसी के मद्देनजर एक लंबे अंतराल के बाद पंचायती राज में शक्ति के संचार के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस व्यवस्था के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया।

स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था ने भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने में सहयोग प्रदान किया है। अब लोग न केवल विकास कार्यों में भाग लेने लगे हैं साथ ही विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आई विफलताओं को भी सामने लाते हुए आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगे हैं। पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीणों में उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने में योगदान दिया है। सरकार द्वारा बनाए गए विकास कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर लागू करने तथा उससे अपेक्षित परिणाम दिखाने में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

इसमें दो राय नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था में अभी कई कमियां मौजूद हैं लेकिन इसके बावजूद आज ग्रामवासियों की जीवन पद्धति में यह घुलता जा रहा है। ग्रामीण जनता की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ने के कारण ग्राम नेतृत्व पनपने का अवसर पैदा हुआ है। गांवों के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग में चेतना का संचार हुआ है। आज गांव की महिलाएं भी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी हैं। ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के विषय में नई जानकारी मिली है। हालांकि पंचायती राज ने गांवों में सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, संकीर्णता और मनमुटाव आदि को भी बढ़ाया है फिर भी गांवों में आशा की क्रांति आई है। मनरेगा के लागू होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था काफी मजबूत होकर उभरी है।

पंचायती राज व्यवस्था के चलते नारी सशक्तिकरण को भी अत्यधिक बल मिला है और उसी के चलते स्त्रियों की रचनात्मकता भी बढ़ी है। आज ग्रामीण महिला भी समस्त कानूनों को जानने लगी है। वह अपने अधिकारों को जानती है और उनके लिए लड़ने को भी तत्पर है। साथ ही वह अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन कर रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने 27 अगस्त, 2009 को ऐतिहासिक पहल करते हुए पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही लागू है।

आज आदर्श पंचायती राज व्यवस्था के सपने को हकीकत में तब्दील करने पर विचार हो रहा है। आज ये स्वीकार्य तथ्य है कि विकास की विभिन्न योजनाओं में पंचायतों की भागीदारी आवश्यक है चूंकि पंचायतें स्थानीय जरूरतों को अच्छी तरह समझती हैं। निस्संदेह स्थानीय संस्थाओं को अपनी समस्याओं और जरूरतों का पता होता है और अपने अनुभवों के आधार पर वे कुछ समाधान भी ढूंढ सकती हैं। पंचायती राज संस्थाएं प्रभावी, सक्षम और पारदर्शी बन सकें, इसके लिए जरूरी है कि पंचायती राज संस्थाओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। पंचायती राज संस्थाओं की समस्या की जब भी चर्चा होती है तो उनमें कर्मचारियों का न होना तथा वित्तीय अनुपलब्धता और अधिकार शीर्ष पर होते हैं। इसी के मद्देनजर 13वें वित्त आयोग ने पंचायतों को करों में हिस्सेदारी का सुझाव दिया है।

73वें तथा 74वें संविधान संशोधन और मनरेगा के चलते आज पंचायतें भारतीय लोकतंत्र के एक नए चेहरे का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जिनमें साधारण पुरुष एवं महिला प्रतिनिधि असाधारण कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। कई कठिनाईयों के बावजूद वे भारत के जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के समावेशन और सशक्तिकरण की एक आशाजनक तस्वीर पेश कर रहा है। करोड़ों आकांक्षाओं वाले इस देश में ये स्थानीय महिला–पुरुष प्रतिनिधि राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में सकारात्मक तब्दीली ला रहे हैं, भले ही इसकी गति धीमी है।

निरंतर विकास और पंचायत की भूमिका

विकास में पंचायत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार का पूरा ध्यान पंचायतों पर है। पंचायतों को ग्राम स्वावलंबन से जोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने खुद यह बात कही कि जब तक पंचायतें सशक्त नहीं होंगी तब तक देश व समाज का समुचित विकास नहीं हो सकता है। पंचायत में अपनी जिम्मेदारी निभाने वालों को पूरी ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। सरकार की कोशिश है कि शहरों की तरह ही गांवों में भी सभी के पास पक्के मकान हों, पर्याप्त बिजली मिले। पानी, रोजगार, संचार सहित सभी तरह की सुविधाएं मिले, जिससे ग्राम स्वराज का सपना साकार हो सके।

शंभूनाथ यादव

देश एवं समाज के विकास में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायत अतीत में भी थी वर्तमान में है एवं भविष्य में भी रहेगी, लेकिन भविष्य की पंचायत को और सुदृढ़ बनाना होगा चूंकि पंचायत लोकतंत्र एवं विकास की पहली सीढ़ी है। यह जितनी उन्नत एवं संवैधानिक होगी, देश की व्यवस्था में उतना ही अधिक निखार आएगा। पंचायत भारत में संस्था मात्र न होकर शताब्दियों से सहज रूप से एक महत्वपूर्ण जीवन पद्धति के रूप में विद्यमान है। इस जीवन पद्धति के जरिए भारतीय समाज सर्वोच्च उपलब्धियां हासिल कर रहा है। भविष्य की पंचायत और सशक्त बनानी होगी, जिससे विकास की गति तेज हो सके। पंचायत ने हर वर्ग को हिस्सेदारी दिलाते हुए लोकतंत्र की असली तस्वीर दिखाई है। यही वजह है कि संविधान निर्माण के वक्त ही गांधीजी के ग्राम स्वराज पर चर्चा हुई और संविधान के अनुच्छेद 40 में संशोधन करके पंचायत को जोड़ा गया। यह अलग बात है कि उस समय पंचायत को वह अधिकार नहीं मिला, जो आजादी के वक्त ही मिल जाना चाहिए था। लेकिन समय के साथ इस चूक को महसूस किया गया और संविधान में संशोधन की जरूरत समझी गई। संविधान के 73वें संशोधन के जरिए ग्राम स्वराज के सपने को साकार किया गया।

विकास किसी भी स्तर का हो, उसमें किसी न किसी रूप में पंचायत अपनी भूमिका जरूर निभाती है। पंचायत के बिना विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती क्योंकि अभी भी भारत की 72.22 फीसदी से अधिक आबादी गांवों में रहती है और गांवों के विकास की पहली सीढ़ी पंचायत है। जब तक पहली सीढ़ी पर पैर नहीं रखा जाता तब तक बहुमंजिला इमारत पर नहीं पहुंचा जा सकता, उसी तरह

से विकास के किसी भी पहलू पर पंचायत की अनदेखी नहीं की जा सकती है। यही वजह है कि बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री ने खुद यह बात कही कि हर आदमी तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए पंचायतों को सशक्त करने की जरूरत है। आजादी के वक्त भी महात्मा गांधी ने यही बात कही थी। उन्होंने ग्राम स्वराज की चर्चा करते हुए कहा था कि असली स्वराज तो ग्राम स्वराज्य है। ग्राम स्वराज्य के जरिए राजशक्ति और शासनतंत्र को जोड़ा जाना चाहिए। गांधीजी ने यह बात वर्षों पहले कही थी, लेकिन उसे नीति निर्धारकों ने देर से ही सही पर महसूस किया और आज विकास के हर कदम में पंचायत अपनी भूमिका निभा रही है।

आदिकाल में पंचायत

साउथ एशिया में पंचायत की प्रथा भारत, पाकिस्तान और नेपाल में प्राचीनकाल से रही है। माना जाता है कि जब धरती पर मानव जाति की उत्पत्ति हुई होगी और कुनबे बने होंगे तो इन कुनबों का मुखिया भी किसी न किसी को चुना गया होगा। लोगों के बीच प्रेम के साथ ही असहयोग एवं बेईमानी ने भी स्थान बनाया होगा। फिर संघर्ष की नौबत आई होगी और इस संघर्ष से निबटने एवं ऐसी समस्या के समाधान के लिए ही मुखिया का अस्तित्व बढ़ा होगा। चूंकि प्रथमदृष्टया पंचायत का मतलब था कि पांच लोगों की ऐसी कमेटी जो दोनों पक्षों की समस्याओं का बिना किसी पक्षपात के निस्तारण कर सके। समय के साथ उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो पंचायत का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। माना जाता है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ शब्द ग्रामणी ही पंच है। रामायण में गणराज्य एवं संघों का जिक्र मिलता है। रामायणकाल की राज्यसभा में जो अंग सर्वाधिक शक्तिशाली होता था, उसे पैर कहते थे। इस काल में पंचायतें ग्रामीण जीवन के संरक्षण के साथ ही राज्यसभा तक हस्तक्षेप करती थी। इसी तरह महाभारत काल में भी सभापर्व का जिक्र मिलता है। एक जगह देवर्षि नारद युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या आपके गांव के पंच लोग कर वसूलने में राजा का सहयोग कर रहे हैं।

मध्यकाल में पंचायत

कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य कालीन व्यवस्था में ग्राम जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें ग्राम व्यवस्था का विस्तार से वर्णन है। इसी तरह गुप्तकाल एवं हर्षवर्धन कालीन इतिहास में भी पंचायत का जिक्र है। यहां तक कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में ग्राम जीवन का जिक्र करते हुए पंचायत की बात कही है। आइने अकबरी में भी पंचायत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

ब्रिटिशकाल में पंचायत

ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले कोलकाता में पैर जमाया। इसके बाद वह धीरे–धीरे पूरे भारत में अपना जाल फैलाने लगी। अंग्रेजी शासकों ने छोटे–छोटे रियासतदारों को उकसाया। उन्हें कर वसूलने का अधिकार दिया। वे ठिकानेदार बाकायदा राज दरबार लगाते थे। इनके दरबार में भी पंच थे। कुछ ठिकानों की ओर से हर गांव में पंच मनोनीत कर दिया गया था। किसी भी प्रकार का संघर्ष होने पर ये पंच ही मामले को रफा–दफा करवाते थे। यह अलग बात है कि जिस पक्ष की ओर पंचों का रुझान अधिक होता था, फैसला उसी के पक्ष में होता। इससे कई बार पंडित पक्ष को ही दंड सहना पड़ता। पंचायतों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजी शासकों ने 1860 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया। सन 1870 में लार्ड मियो गर्वनर जनरल ने स्थानीय स्वशासन के नाम पर पंचायतों को नए सिरे से विकसित करते का प्रस्ताव रखा। वर्ष 1882 में लार्ड रिपन ने इन प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद 'लोकल सेल्फ गवर्नमेंट' को मंजूरी तो दी, लेकिन यह गवर्नमेंट प्रभावी नहीं हो पाई।

महात्मा गांधी व जयप्रकाश नारायण की पंचायत

महात्मा गांधी इस बात से वाकिफ थे कि आजादी की लड़ाई के लिए लोगों को स्थानीय स्तर पर संगठित करना होगा। उनके बीच से ही लोगों को नेतृत्व प्रदान करना होगा। इसीलिए गांधीजी ने ग्राम स्वराज्य और पंचायती राज की बात की थी। उनकी दूसरे मोर्चे की लड़ाई पंचायती राज के सपने के ईदगिर्द ही चलती रही। इसी तरह जय प्रकाश नारायण ने सन् 1942 में संघर्षरत मित्रों को पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि जिस आजाद भारत के लिए लोग सपना देख रहे हैं अगर उस सपने को कहीं से संजोया जा सकता है तो वह है भारत की परंपरागत पंचायतें। स्वतंत्रता आंदोलन में पंचायती राज की अवधारणा की तेजी से विकसित किया जाना चाहिए। आजादी के बाद भी जयप्रकाश नारायण ने तीन बातों पर जोर दिया। वह थीं – पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता एवं चुनाव सुनिश्चित कराए जाएं। पंचायतों को वित्तीय अधिकार मिले। पंचायतें विकास का एजेंट न बनकर स्थानीय स्वशासन की इकाई बनें।

आधुनिक काल की पंचायत

महात्मा गांधी ने जिस ग्राम स्वराज की कल्पना की थी उसका मूल आधार था कि ग्राम स्वराज के जरिए कई समस्याओं का निस्तारण अपने आप हो जाएगा। उनका मानना था कि भारत की 70 फीसदी से अधिक आबादी गांवों में रहती है। जब तक गांवों का चहुंमुखी विकास नहीं होगा तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा। इन्हीं बिंदुओं को केन्द्र में रखते हुए लोकतंत्र कायम करने की पहल की गई। इसके तहत यह व्यवस्था बनी कि गांव का शासन गांव की जनता की ओर से चुने गए प्रतिनिधि चलाएं। यहीं से पंचायती राज की अवधारणा अस्तित्व में आयी। गांवों की अपनी पंचायत हो और वे विकास के विभिन्न मुद्दों को अपने ढंग से तय कर सकें। आजादी के बाद पंचायती राज एक्ट बना। पंचायतें कार्य करने लगीं, लेकिन वे मूल रूप से पंगु जैसी ही रहीं। पंचायतों का

असली स्वरूप 73वें संविधान संशोधन के बाद उजागर हुआ। लोकसभा तथा विधानसभा की तरह प्रजातांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन में संविधान के भाग–9 के अनुच्छेद 243 में तीनों पंचायतों को संवैधानिक संस्था घोषित किया गया। इस व्यवस्था को वर्ष 1994 में पूरे देश में एक साथ लागू किया गया। जिसमें तय हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत त्रिस्तरीय प्रणाली बनाई जाएगी। लोकसभा एवं विधानसभा की तहत ही इस त्रिस्तरीय प्रणाली का भी चुनाव होगा। ये तीन अंग हैं– ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद।

हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(ख) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कुछ प्रदेश सरकारों ने अपने प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार पंचायतों का गठन किया। वर्ष 2002 के आंकड़े के मुताबिक भारत में दो लाख 65 हजार ग्राम पंचायतें हैं। यही पंचायतें पंचायतीराज व्यवस्था की नींव हैं। चूंकि ग्रामसभा को पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है इसीलिए सबसे अधिक जोर ग्राम पंचायत पर दिया गया।

अन्य पंचायत अधिनियम

हालांकि इससे पहले भी समय–समय पर विभिन्न प्रांतों में ग्राम पंचायत संबंधी अधिनियम पारित किए गए। जैसे बंगाल में स्थानीय अधिनियम 1919, मद्रास में स्थानीय सरकार अधिनियम 1920, बंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1920, उत्तर प्रदेश पंचायत एक्ट 1920, बिहार सरकार अधिनियम 1920, सेंट्रल प्रोविंस पंचायत अधिनियम 1920, पंचायत पंचायत अधिनियम 1922, आसान सरकार अधिनियम 1925, मैसूर ग्राम पंचायत अधिनियम 1928, लेकिन इन सबके बीच भारत में पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के बाद ही असली स्वरूप में आ सकी।

ग्राम पंचायत

गांव के सभी मतदाताओं को मिलाकर ग्रामसभा का गठन किया जाता है। कम से कम पांच सौ की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन हो सकता है। कई बार न्यूनतम संख्या की पूर्ति के लिए दो–दो गांवों को मिलाकर भी ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्रामसभा ही ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी तथा मार्गदर्शन करती है। आय–व्यय सहित गांव से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए उन्हें फैसला लेने का अधिकार मिले। ग्रामसभा का सरपंच जनता सीधे चुनेगी, जबकि क्षेत्र पंचायत समिति एवं जिला पंचायत समिति का चुनाव जनता की ओर से चुने गए सदस्य करेंगे। तीनों पंचायतों का कार्यकाल प्रथम बैठक के ठीक पांच वर्ष होगा।

चुनाव

एक ग्राम पंचायत को विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड से एक–एक सदस्य चुने जाते हैं, जिन्हें ग्राम पंचायत सदस्य या पंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को कुछ स्थानों पर ग्राम प्रधान तो कुछ जगह सरपंच कहा जाता है। यह ग्राम सभा का मुख्य नेतृत्वकर्ता होता है। ग्राम पंचायत सदस्य की तरह ही सरपंच का चुनाव भी वयस्क मतदाता करते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। बोर्ड के सदस्य ही उपसरपंच का चुनाव करते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत की अलग–अलग समितियां बनाई जाती हैं, जो विभिन्न कार्यों की निगरानी रखती हैं। ये समितियां होती हैं– सामान्य प्रशासन, फाइनेंस, पब्लिक कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य।

ग्राम सभा संचालन पद्धति

ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से यह अनिवार्य किया गया कि ग्रामसभा की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य बुलाई जाए। बैठक में 1/5 ग्रामसभा के लिए तथा 1/3 ग्राम पंचायत के लिए कोरम पूरा होना आवश्यक है। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। यह भी प्रावधान है कि विशेष परिस्थितियों में विहित अधिकारी द्वारा लिखित रूप से मांग किए जाने पर अथवा 1/5 सदस्यों की मांग पर 30 दिन के अन्दर किसी भी समय पर ग्रामसभा की सामान्य बैठक बुलाई जा सकती है। ग्रामसभा की खुली बैठक में योजनाओं का चयन किया जाता है। इस खुली बैठक में ग्रामीणों की ओर से दिए गए सुझाव के तहत विकास से संबंधित प्रस्ताव तैयार किए जाएं। इसके अलावा ग्राम पंचायत की गवर्निंग बॉडी की बैठक हर माह होनी जरूरी है। इस बैठक में नए प्रस्ताव पारित करने के साथ ही विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है। इस बैठक में ग्राम पंचायत के सदस्य यह भी तय करते हैं कि विभिन्न मद से आए पैसे को विकसित मद में खर्च किया जाए। इसके अलावा ग्राम पंचायत का दायित्व है कि वह धनराशि की कार्ययोजना तैयार करें और योजनावार तकनीकी अधिकारी द्वारा आंकलन कराएं। नयी योजना/भवन निर्माण आदि के लिए भूमि लाभार्थियों आदि का चयन, ग्राम पंचायत स्तर पर अभिलेखों का रखरखाव एवं ग्राम पंचायत स्तर पर परिवार रजिस्टर एवं जन्म–मृत्यु रजिस्टर को अध्यावधिक रखने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की है। ग्राम निधि का संचालन ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव, जिसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कहते हैं, के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

ग्राम पंचायत का दायित्व

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बाद पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतें अधिक सशक्त एवं क्षमताशील हों, इसके लिए उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसके तहत कार्मिकों एवं वित्त का प्रभावी हस्तांतरण करने की व्यवस्था 11वीं अनुसूची के अनुसार करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पंचायत पेयजल, ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, परिवार कल्याण, स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सिंचाई, कृषि जल निकासी आदि की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि अलग–अलग प्रदेशों में इसका स्वरूप कुछ हद तक बदला हुआ है, लेकिन मूल में आधारभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी पंचायतों को दी गई है। यह अलग बात है यह व्यवस्था त्रि–स्तरीय स्तर पर लागू है। इसीलिए कुछ राज्यों में जो कार्य ग्राम पंचायत के हैं, वह जिला पंचायत कराती है।

वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन

तीनों स्तरों पर संबंधित विषयों की जिला योजना, राज्य सेक्टर/केन्द्र पोषित एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का बजट नियंत्रण तथा आवंटित बजट का उपयोग एवं प्रकृति तथा समीक्षा, नवनिर्मित भवनों का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव, क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों में स्थानान्तरण/व्यय हेतु धनराशि मात्राकरण, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु धनराशि मात्राकृत कराना।

ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य

- ग्रामसभा की सम्पत्ति की देखभाल करना।
- ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार–विमर्श करना।
- ग्रामीण योजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण करना।
- वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण पर ध्यान देना।
- निर्धनता उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रम हेतु उचित निधियों का चयन करना।
- ग्राम पंचायत के प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखा पर विचार करना।
- युवा शक्ति के विकास हेतु खेल–कूद की सुविधाओं का विकास करना।
- साफ–सफाई की व्यवस्था करना।
- पशुपालन को प्रोत्साहित करना।
- सड़कों का निर्माण तथा रखरखाव करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों तथा चिकित्सा केन्द्रों का प्रबन्ध करना।
- पाठशालाओं का प्रबन्ध करना।
- ग्रामीण कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना।
- सार्वजनिक कुंओं, तालाओं, विश्रामघरों, आदि का निर्माण तथा देखभाल करना।
- सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।
- स्थानीय झगड़ों तथा विवादों को हल करना।

क्षेत्र पंचायत

विकेंद्रीकरण की तरह जिस तरह ग्राम पंचायत को पहली इकाई माना गया, उसी तरह क्षेत्र पंचायत को दूसरी इकाई का दर्जा दिया गया। एक क्षेत्र पंचायत में कई ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। क्षेत्र पंचायत स्तर पर नियुक्त ब्लॉक विकास अधिकारी को बतौर नोडल जिम्मेदारी दी गई। यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत प्रमुख अथवा प्रधान का चुनाव कराया गया। इसके लिए क्षेत्र पंचायतों को विभिन्न वार्डों के रूप में बांट दिया गया। क्षेत्र पंचायत के विभिन्न वार्डों से चुने गए सदस्य ही प्रमुख अथवा प्रधान का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत की तरह ही क्षेत्र पंचायत में भी विभिन्न समितियां बनी हुई हैं। क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

क्षेत्र पंचायत के प्रमुख कार्य

- शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था करना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना।
- सड़कों का निर्माण तथा देखभाल करना।
- ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना।
- कृषि विकास का कार्य करना।
- सामाजिक वानिकी, परियोजनाओं की देखभाल करना।
- पुस्तकालयों की स्थापना तथा वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहन।
- प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की देखरेख।
- पशुपालन, मुर्गीपालन तथा सुअर पालन को बढ़ावा देना।
- जनवितरण प्रणाली का नियंत्रण करना।
- तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
- सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
- सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा सिंचाई के लघु साधनों का रखरखाव करना।
- सहकारिता को प्रोत्साहन देना।
- दुग्ध उत्पादन तथा व्यवसाय की देखरेख तथा प्रोत्साहन देना।
- उन्नत खाद तथा उर्वरकों की उपलब्धि तथा वितरण सुनिश्चित करना।
- मनोरंजन तथा खेलकूद के साधनों का विकास करना।
- साहित्यिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास करना।

जिला पंचायत

जिला पंचायत यानी जिला परिषद का गठन अधीनस्थ पंचायतों पर नियंत्रण तथा उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाता है। जिला पंचायत या परिषद अधीनस्थ पंचायतों तथा राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य करती है। इस प्रदेश में लागू त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की यह सर्वोच्च कड़ी होती है। इसका नोडल अधिकारी जिला विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी होता है। जनप्रतिनिधि के तौर पर पूरे जिले को विभिन्न वार्डों में बांट दिया जाता है।

हर वार्ड से सदस्य चुने जाते हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। एक उपाध्यक्ष भी चुना जाता है। यहां भी विभिन्न तरह की समितियां गठित की जाती हैं, जो कार्यों की निगरानी करती हैं। परिषद का अध्यक्ष जिला परिषद की बैठक आयोजित करता है तथा उसकी अध्यक्षता करता है। यह उसकी वित्त निधि पर निर्भर करता है। साथ ही जिला परिषद की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर भी नियंत्रण रखता है। सही अर्थों में जिला परिषद एक समन्वय एवं पर्यवेक्षण करने वाला निकाय है।

जिला परिषद के कार्य

- जिला परिषद का वार्षिक बजट तैयार करना।
- राज्य सरकार द्वारा जिलों को दिए गए अनुदान को पंचायत समितियों में वितरित करना।
- प्राकृतिक संकट के समय राहत–कार्य का प्रबन्ध करना।
- पंचायत समितियों द्वारा तैयार की योजनाओं का समन्वय करना।
- पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों के कार्यों का समन्वय तथा मूल्यांकन करना।
- ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना।
- कृषि का विकास करना।
- लघु सिंचाई, मत्स्य पालन तथा जलमार्ग का विकास करना।
- अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की योजना बनाना।
- शिक्षा का प्रसार करना।

पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण

संविधान के 73वें संशोधन के उपरांत अनुच्छेद 243घ (1) के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। ऐसे आरक्षित स्थानों की संख्या यथासाध्य उसी अनुपात में होगी जोकि उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गये स्थानों का अनुपात है और इसका निर्धारण उस क्षेत्र की उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। ऐसे स्थानों को प्रत्येक पंचायत में चक्रानुक्रम से आवंटित किया जाएगा। खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों में से एक तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहने की व्यवस्था है। परन्तु पदों के कुल एक तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इस खंड के अधीन आरक्षित पदों को विभिन्न पंचायतों में चक्रानुक्रम से आवंटित किए जाने का प्रावधान है।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात प्रधानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या से है। यह भी प्रावधान है कि सामान्य सीट पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकेगा, लेकिन आरक्षित सीट पर संबंधित वर्ग ही चुनाव लड़ सकता है।

पंचायती राज अधिनियम की खास बातें

73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज अधिनियम को सुदृढ़ बनाया गया है। इसे आम लोगों से न सिर्फ जोड़ा गया बल्कि पंचायत के अधिकारों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस अधिनियम की खास बातें निम्न हैं –

- ग्रामसभा को ऐसी संस्था बनाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों की भागीदारी होगी।
- पंचायत को त्रिस्तरीय तो बनाया गया, लेकिन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत गठित करने या न करने का अधिकार दिया गया।
- तीनों पंचायती संस्थाओं की सीटें प्रत्यक्ष चुनाव से भरने की व्यवस्था दी। ग्राम पंचायत के सरपंच क्षेत्र पंचायत संस्था के सदस्य बन सकेंगे और क्षेत्र पंचायत के सदस्य जिला पंचायत संस्था में सदस्य रहेंगे।
- सभी पंचायतों में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने के साथ ही महिलाओं को एक तिहाई सीटों पर अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई। महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन सामान्य सीट पर महिलाएं चुनाव लड़ सकेंगी।
- सभी संस्थाओं के अध्यक्ष पद के बीच भी आरक्षण का प्रावधान है। तीनों स्तरों पर अध्यक्षों के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
- पंचायत भंग होने की स्थिति में छह माह में चुनाव कराना जरूरी।
- कानूनन अयोग्य करार दिया गया व्यक्ति किसी भी संस्था का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी तरह अन्य कई प्रावधान किए गए हैं, जो आम जनता को पंचायत से जोड़ते हैं।

(लेखक कृषि एवं ग्रामीण विकास मामलों के जानकार हैं)
ई–मेल : dr.shambhunath@gmail.com

केन्द्र सरकार की ओर से सूचना का अधिकार लागू किए जाने के बाद ई-गवर्नेंस की महत्ता और बढ़ गई है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पहले लोग विभिन्न तरह की सूचनाओं को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं थे। इसका यह कारण था कि उन्हें किसी भी गोपनीय दस्तावेज के बारे में जानने का अधिकार नहीं था। दूसरा कारण यह था कि एक काम के लिए उन्हें विभिन्न विभागों का चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत किसी भी तरह की जानकारी हासिल की जा सकती है और इसमें ई-गवर्नेंस की सुविधा ने चार चांद लगा दिए हैं। यही वजह है कि सरकार की कोशिश है कि इसे ग्राम स्तर पर विस्तारित किया जाए। ई-गवर्नेंस की सहायता से नागरिकों की सही मायने में सेवा हो सकती है, उनकी सरकार से सुविधाएं लेने की इच्छाओं की पूर्ति हो सकेगी तथा उनके द्वारा चुने गए सरकार के नुमाइंदे सरकारी सेवाएं आम जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो सकेंगे।

पंचायती राज और ई-गवर्नेंस

अखिलेश चन्द्र यादव

आज से करीब 15 वर्ष पहले जब इंटरनेट ने भारत में कदम रखा तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका इतने व्यापक स्तर पर प्रयोग हो पाएगा। समय के साथ इसकी उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी मिली और धीरे-धीरे यह हर व्यक्ति की जरूरत बनता जा रहा है। हर माह दुनियाभर के लोग करीब 27 अरब घंटे इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। अकेले भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 80 करोड़ पार कर गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि वर्ष 2013 तक दुनियाभर में 2.2 अरब इंटरनेट उपभोक्ता हो जाएंगे। विश्व इंटरनेट बाजार में भारतीय ई यूजर्स खासी जगह बना चुके हैं। विश्व के 42.4 फीसदी ई-यूजर्स अकेले एशिया में हैं।

आज राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क को सूचना सुपर हाइवे कहा जाने लगा है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1980 के दशक में हुई। पहली बार केंद्र सरकार की ओर से एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क (एर्नेट) में इंटरनेट शुरू किया गया। आम लोगों के लिए इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। यह वही समय था जब विदेश संचार निगम ने गेटवे सर्विस शुरू की थी। अब स्थिति यह है कि लोगों के घरों में भी इंटरनेट पहुंच गया है। हर छोटे-बड़े शहर-कस्बे में साइबर कैफे खुल गए हैं। जो लोग निजी तौर पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं लिए हैं वे साइबर कैफे में इंटरनेट प्रयोग करते हैं।

अब इसे औद्योगिक क्रांति की एक नई क्रांति के रूप में देखा जाने लगा है। इसका असर दिल्ली, मुंबई से होते हुए अब गांव-स्तर पर पहुंच चुका है। खबर, सोशल नेटवर्किंग, चिकित्सा, मनोरंजन, ई-मेल और शिक्षा के क्षेत्र के साथ ही अब इसके जरिए हम बिजली, पानी का बिल जमा कर रहे हैं और अपने कृषि संबंधी उत्पादों की जानकारी भी ले रहे हैं। इंटरनेट सरकारी दफ्तरों से निकलकर घर तक पहुंच चुका है। इसकी बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए सरकार ने ई-गवर्नेंस का प्रावधान किया। वर्ष 2005 में प्रधानमंत्री ने ई-पंचायत की घोषणा की। आईटीसी के 5400 ई-चौपाल कियोस्क खुले। वर्ष 2008 में एमटीएनएल ने भारत में श्री जी सेवा शुरू की। अगर हम अकेले भारत की बात करें तो यहां की करीब सात फीसदी आबादी तक इसकी पहुंच हो चुकी है। अब यह सुविधा ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंच चुकी है। कुछ राज्य सरकारों ने इसे व्यापक स्तर पर लागू किया है तो कुछ स्थानों पर अभी काम चल रहा है। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि केन्द्र की ओर से जो भी योजनाएं चलाई जाएं वह सीधे ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचे। ग्राम पंचायत को सरकार से जुड़ने में किसी तरह की दिक्कतें न आएं। इसलिए हर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। अगर हम इसके विस्तार पर गौर करें तो अब हर काम इंटरनेट के जरिए हो रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायतों को हाइटेक बनाने

और सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए ई–गवर्नेंस की व्यवस्था का महत्व बढ़ गया है। इसके जरिए हम तत्काल किसी भी वितरण के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।

ऑन लाइन गवर्नमेंट

कहते हैं समय के साथ हर बदलाव होता है। जैसे ही हमें इंटरनेट के बारे में जानकारी मिली, हमारी सरकार ने इसके महत्व को समझा और अब गांव–स्तर पर उसे विकसित कर रही है। दरअसल पहले कम्प्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ गिनती और हिसाब–किताब करने के लिए किया जाता था। इसके बाद इसका इस्तेमाल सूचना के आदान–प्रदान में किया जाने लगा। धीरे–धीरे यह हो गया कि कम्प्यूटर एवं संचार–यंत्र हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। समाज के पूर्ण विकास के लिए सूचना एवं संचार–यंत्र टेक्नोलॉजी में लगातार विस्तार हो रहा है। इंटरनेट का जन्म सूचना संचार यंत्रों एवं कम्प्यूटरों में सूचना के आदान–प्रदान से हुआ है। इंटरनेट से हर आम खास के लिए हर पल सूचना उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। इंटरनेट टेक्नालॉजी ने हरेक विषय से संबंधित सूचना आबंटित करने के नए रास्ते खोल दिए हैं। जिसका परिणाम है कि सरकारें इ–इनेबलड हो गई हैं तथा ऑन–लाईन गवर्नमेंट में तब्दील हो गई हैं। इस टेक्नोलॉजी ने सूचना की जरूरतों को मुख्य रखते हुए हर समय सेवाएं उपलब्ध करवाने के नए रास्ते खोल दिए हैं।

ई–गवर्नेंस के लाभ

केन्द्र सरकार की ओर से सूचना का अधिकार लागू किए जाने के बाद ई–गवर्नेंस की महत्ता और बढ़ गई है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पहले लोग विभिन्न तरह की सूचनाओं को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं थे। इसका यह कारण था कि उन्हें किसी भी गोपनीय दस्तावेज के बारे में जानने का अधिकार नहीं था। दूसरा कारण यह था कि एक काम के लिए उन्हें विभिन्न विभागों का चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत किसी भी तरह की जानकारी हासिल की जा सकती है और इसमें ई–गवर्नेंस की सुविधा ने चार चांद लगा दिए हैं। यही वजह है कि सरकार की कोशिश है कि इसे ग्राम स्तर पर विस्तारित किया जाए। ई–गवर्नेंस की सहायता से नागरिकों की सही मायने में सेवा हो सकती है, उनकी सरकार से सुविधाएं लेने की इच्छाओं की पूर्ति हो सकेगी

तथा उनके द्वारा चुने गए सरकार के नुमाइंदे सरकारी सेवाएं आम जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो सकेंगे जिन वायदों के आधार पर ही वो अपने चुनावी क्षेत्र से लोकप्रिय नेता बनकर उभरे थे। जन–साधारण राजकीय आर्थिक सहायता योजना, स्वास्थ्य, सफाई, रोजगार, अनाज की कीमत, शिक्षा के बारे में जानकारी लेने के लिए उत्सुक है। सूचना अधिकार एक्ट के अनुसार वैसे भी यह सूचना उपलब्ध करवानी सरकार की जिम्मेदारी भी है जोकि इंटरनेट की सहायता से ऑन–लाइन गवर्नेंस (ई–गवर्नेंस) द्वारा सही–सही मिलनी संभव है ताकि हर नागरिक इस जानकारी के लिए सरकारी व अर्ध–सरकारी दफ्तरों में ना भटके तथा इस तरह सरकार की कारगुजारी का मूल्यांकन भी कर सके।

ये भी फायदे

- इंटरनेट की सुविधा से पंचायतें अपने हर काम की रिपोर्ट सरकार तक पहुंचा सकती हैं। सड़कों, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के बारे में सरकार की ओर से मिलने वाली विभिन्न तरह की सहायता के बारे में जानकारी हासिल कर सकती है। किस वक्त किस मद में कितना पैसा जारी किया गया, इसके बारे में विस्तार से जाना जा सकता है।
- किसान मंडी भाव जान सकते हैं कि कब किस काम का क्या रेट रहा। इस आधार पर वे अपनी उपज संबंधित मंडी में बेच सकते हैं।
- ई–गवर्नेंस की सुविधा होने से बेरोजगार सरकारी विभागों के साथ ही प्राइवेट कंपनियों में भी रोजगार खोज सकते हैं। अब तो विभिन्न कंपनियों की ओर से ऑन–लाइन आवेदन मांगे जाते हैं। ऐसे में इस सुविधा का सबसे ज्यादा लाभ बेरोजगारों को मिल रहा है।

इतना ही नहीं इस सुविधा के जरिए विभिन्न विभागों में मेल भेजकर अपनी शंकाओं का समाधान भी किया जा सकता है।

क्यों बढ़ी डिमांड

राज्यों की सरकारें ई–गवर्नेंस द्वारा दी गई सुविधाओं में समय–समय पर किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी देती रहती हैं। इस कार्य में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा भारत निर्माण योजना के अंतर्गत अलग से वित्त का प्रबंध है। भारत सरकार ने इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए टेलीफोन की दरों में भारी कमी के साथ इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ा दी है। चूंकि राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अंतर्गत तमाम ऑन–लाइन सेवाएं उपलब्ध हैं

इसलिए यह हर व्यक्ति की जरूरत बनती जा रही है। अब इसे पंचायत स्तर पर विस्तार मिल रहा है तो निश्चित रूप से इसका फायदा हर एक ग्रामीण को मिल पाएगा।

क्या–क्या सुविधाएं मिल सकती हैं

- ई विवरणी मध्यवर्ती के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा।
- स्थाई खाता संख्या के लिए ऑनलाइन आवेदन (पैन) की सुविधा।
- पैन आवेदन की स्थिति की ऑन–लाइन जांच।
- पासपोर्ट आवेदन की स्थिति की ऑन–लाइन पूछताछ।
- ऑन–लाइन कम्पनी निदेशिका।
- निवेशक शिकायत ऑन–लाइन दर्ज करना।
- सेवा करदाताओं का पंजीकरण।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दाताओं का पंजीकरण।
- अपना सेवाकर शुल्क जानना।
- अपना सेवा कर स्थान कोड जानना।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी की ई–फाइलिंग।
- सेवा कर विवरणी की ई–फाइलिंग।
- ऑन–लाइन पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की जांच।
- अपने भू–पंजीकरण रिकॉर्ड की जांच करें।
- ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना।
- वाहन पंजीकरण।
- चोरी के वाहनों की ऑन–लाइन स्थिति।
- जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करना।
- मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करना।
- भारतीय न्यायालयों की कारण सूची।
- न्यायालयीन निर्णय (जुडिस)।
- प्रतिदिन के न्यायालयीन आदेश/मामलों की स्थिति।

भूमि रिकॉर्ड

भारत में ई–शासन व्यवस्था करने से सबसे ज्यादा फायदा भूमि विभाग को मिला है। अब इसके जरिए किसान अपने रिकार्ड के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए स्वामित्व में कारगर, सही, पारदर्शी सूचना प्रणाली और विवाद निपटाया जा सकता है। भू–स्वामियों को नाममात्र दर पर अधिकारों का इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड प्रदान किया जाता है। ई–गवर्नेंस के जरिए भू–स्वामियों को सूचना का अधिकार देना। भूमि प्रशासन से मूल्यवर्धन और आधुनिकीकरण के बारे में जानकारी ली जा सकती है।

संपत्ति पंजीयन

सम्पत्ति खरीदने पर संबंधित प्राधिकरण में पंजीकृत कराना होता है, जिसके जरिए कानूनी स्वामित्व का हक मिलता है। पहले इसमें काफी समय लगता था, लेकिन अब चंद मिनटों में ही यह सारी कार्रवाई हो जाती है। कम्प्यूटरीकृत भूमि और सम्पत्ति पंजीकरण सिस्टम के तहत पंजीकरण करना आसान है। इससे मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता होती है और मध्यवर्ती व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। बस किसी राज्य में संबंधित प्राधिकारी के पास आवेदन जमा करने की आवश्यकता होती है जो सब रजिस्ट्रार या क्षेत्र का एसडीएम हो सकता है। ब्यौरों का विधिवत सत्यापन करने के बाद डीड किया जाता है और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जाती है।

कृषि विपणन

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या के साथ भारत का आर्थिक विकास महत्वपूर्ण रूप से कृषि क्षेत्र की स्थिति पर निर्भर करता है। भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण की चालू प्रक्रिया में कृषि विपणन क्षेत्र में एक उदाहरणस्वरूप परिवर्तन देखा गया है। नए वैश्विक बाजार पहुंच अवसरों से किसान समुदायों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से देश की आंतरिक कृषि विपणन प्रणाली का एकीकरण और सशक्तिकरण किया जा रहा है। विभिन्न अध्ययनों से यह पता चलता है कि किसान अपने उत्पादों को ग्रामीण और अविनियमित थोक बाजारों की तुलना में विनिमित बाजारों (कृषि उत्पादन बाजार समितियां एपीएमसीए) में बेचकर पर्याप्त रूप से अधिक कीमत प्राप्त करते हैं। विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) ने देश में बाजार मूल्यों संबंधी सूचना के प्रभावी आदान–प्रदान हेतु पूरे देश में स्थित सभी महत्वपूर्ण एपीएमसी (कृषि उत्पाद बाजार समितियां); राज्य कृषि विपणन बोर्डों/निदेशालयों और डीएमआई क्षेत्रीय कार्यालयों को जोड़कर एक आईसीटी परियोजना तैयार की है। इसे एनआईसीनेट आधारित कृषि विपणन सूचना प्रणाली नेटवर्क (एगमार्गनेट) कहा जाता है और इसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है।

पंचायत स्तर पर ई–गवर्नेंस की सुविधा

ई–गवर्नेंस के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्य रूप से करीब 30 सूत्रों को जोड़ा गया है। इसके अलावा 150 अन्य योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे 30 सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखें और इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करें। प्रमुख 30 सूत्रीय कार्यक्रम हैं : ग्राम पंचायत प्रशासन, जल संसाधन, डेयरी, मत्स्य पालन, सामाजिक कार्य, चुनाव, लघु उद्योग, हाउसिंग, सड़क निर्माण, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाजार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, मजदूर कल्याण, लोक कल्याण आदि।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

सामान्य अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु हिन्दी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

ALS

In the past eight years, ALS is credited to have illumined the career graph of 2 IAS toppers, 37 rankers in top 20, 86 in top 50 and altogether 1011+ successful Candidates.

IAS 2009 Results	Total selections 230+	3 in Top 10 29 in Top 100 53 in Top 200

IAS 2011-12 Admission Notice

चार वर्षों में दूसरी बार **ALS** संस्थान से हिन्दी माध्यम में सर्वोच्च स्थान

9 RANK Jai Prakash Maurya — वर्ष 2009 में सर्वोच्च स्थान

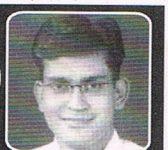

15 RANK Manoj Jain — वर्ष 2005 में सर्वोच्च स्थान

सामान्य अध्ययन (नियमित कक्षा के छात्र)

सामान्य अध्ययन

हिन्दी माध्यम मे GS की सर्वश्रेष्ठ टीम

• **इतिहास** *by* **YD Mirsa & Manoj K Singh** • **भूगोल** *under the expert guidance of* **Shashank Atom** • **भारतीय राजव्यवस्था** *by* **M. Gautam & Manoj K Singh** • **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** *by* **S. Tripathi** • **भारतीय अर्थव्यवस्था** *by* **Arunesh Singh** • **राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे** *by* **S. Tripathi & M Gautam** • **मानसिक योग्यता एवं सांख्यिकी** *by* **A.K. Singh** • **GS Basics** *by* **Manoj K Singh** • **लेखन कौशल समबर्धन** *by* **Y.D. Misra**

सर्वश्रेष्ठ कक्षागत योजना (Programme Highlights)

• 500 घंटे का क्लासरूम प्रशिक्षण (मुख्य-सह-प्रारंभिक परीक्षा) • कोर्स के प्रारंभ में ही **परीक्षा संबंधी रणनीति** व **GS Basics** की जानकारी • **उत्तर लेखन व मूल्यांकन** हेतु 75 घंटे का अतिरिक्त प्रशिक्षण • राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक व समसामयिक विषयों की तैयारी हेतु **विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण व्यवस्था** • सामान्य ज्ञान (GK) अभिवर्धन पर विशेष बल • कक्षा प्रारंभ के पूर्व ही **अद्यतन पाठ्य सामग्री** का वितरण • नियमित क्लास टेस्ट एवं फीडबैक

Programme Director : **Manoj Kumar Singh** *Managing Director:* ALS, Interactions IAS Study Circle

बैच प्रारंभ			
	Batch-I	GS मुख्य-सह-प्रारंभिक परीक्षा	14 Sept & 10 Oct (08:00am-10:30am)
	Batch-II	GS मुख्य-सह-प्रारंभिक परीक्षा	19 Oct & 09 Nov (11:30am-02:00pm)

At ALS Civil Services Aptitude Test Training Programme (CSAT)
बैच प्रारंभः UPSC के अधिसूचना के 7 दिन बाद

More than **1000 Selections** in Final Exam under the expert guidance of YD MISRA

इतिहास द्वारा Y.D. MISRA

"The Man known for **UNPARALLELED ANALYSIS** of Main Exam Topics"

ALS Geography हेतु देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान जिसने 500 से अधिक सफल अभ्यर्थियों एवं अनेक शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया।

अब **भूगोल** हिन्दी माध्यम में

विश्वविद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता प्रो. एम. काजमी, डॉ. शशि शेखर, बी.एम. पण्डा एवं अन्य विशेषज्ञ

समाजशास्त्र

द्वारा
एस. के. झा

लोक प्रशासन द्वारा

विश्वविद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता, वाई. डी. मिश्रा. के.एम.पथ्थी, ए.श्रीवास्तव, आर.के.शर्मा

इतिहास, भूगोल, लोकप्रशासन, समाजशास्त्र | बैच प्रारंभ 19 अक्टूबर

सामान्य अध्ययन पत्राचार कोर्स हेतु सम्पर्क करें Mob: 9891968422

ALS ADMISSION ENQUIRY
27651110
9810312454
9810269612
9910602288
9910600202

ALS Alternative Learning Systems

IAS Study Circle **interactions** Shaping dreams into success

Be in touch... **Manoj K Singh** *Managing Director, ALS*

Alternative Learning Systems (P) Ltd. Visit us at: www.alsias.net
Corporate Office: B-19, ALS House, Commercial Complex, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-09. Ph: 27651700. *South Delhi Centre:* 62/4, Ber Sarai, Delhi-16. Ph: 9868773344, 26861313.

KH-10/10/1

मनरेगा के लागू होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था काफी सुदृढ़ हुई है। सबसे ज्यादा फायदा यह हुआ है कि ग्रामीणों का पलायन रुका है। लोगों को घर बैठे काम मिल रहा है और निर्धारित मजदूरी भी। मजदूरों में इस बात की खुशी हैं कि उन्हें काम के साथ ही सम्मान भी मिला है। कार्यस्थल पर उनकी आधारभूत जरूरतों का भी ध्यान रखा गया। अब गांव के हर नागरिक की जुबां पर मनरेगा का नाम सुनने में आया है। उन्हें विश्वास है कि मनरेगा के जरिए वे कम से कम दो वक्त की रोटी का इंतजाम जरूर कर सकते हैं। उन्हें यह कहते हुए खुशी होती है कि अब गांव-शहर एक साथ चलेगा।

मनरेगा और पंचायती राज

चन्द्रभान यादव

देश की करीब 70 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। ग्रामीणों का पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। यूपीए सरकार ने इस दिशा में दो कदम आगे बढ़ते हुए हर व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराने की चुनौती स्वीकार की। चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से पहली प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र का विकास और ग्रामीण भारत से गरीबी और भुखमरी हटाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव और शहर के अंतराल को पाटने, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार पर लोगों को सुदृढ़ करना जरूरी है। इसलिए सरकार की ओर से एक नई पहल की गई।

यूपीए सरकार ने विकसित एवं विकासशील देशों की स्थिति की समीक्षा की। तय किया कि वह देश के हर नागरिक को रोजगार उपलब्ध कराएगी। बेरोजगारी विकास में किसी न किसी रूप में बाधक बनती है। सरकार का मानना है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम की तरह सरकार की ओर से ऐसे प्रावधान बनाए गए कि यदि किसी भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेराजगारी भत्ता देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसी जिम्मेदारी की उपज है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीए) यानी नरेगा। इस योजना का नाम बीते दो अक्टूबर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। लेकिन गांव की हर जुबां पर अभी भी नरेगा ही है। हालांकि पूर्ववर्ती सरकारों की ओर से भी ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा चुके हैं। इसके तहत अब तक रुरल मैनपावर (आरएमपी) (1960–1961), क्रेश स्कीम फार रूरल एम्प्लायमेंट (सीआरएसई) (1971–72), नमूना सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (पीआईआरपी) (1972), लघु कृषक विकास एजेंसी (एसएफडीए), सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक योजना (एमएफएएल) आदि कार्यक्रम चलाए जा चुके हैं। समय और जनता की जरूरत के हिसाब से योजनाओं को परिमार्जित कर नए रूप में लोगों के सामने पेश किया गया। वर्ष 1977 में काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई। अस्सी के दशक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी

कार्यक्रम शुरू किए गए। इसी तरह जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) (1993–94), रोजगार आश्वासन योजना को मिलाकर वर्ष 1999–2000 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू की गई। 2000–01 में इस कार्यक्रम को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) तथा 2005 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। इन योजनाओं के बाद भी पूरे देश से हर व्यक्ति रोजगार से नहीं जुड़ पाया।

वर्ष 2005 में यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया। इसे 2 फरवरी, 2006 को लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) का संचालन हो रहा है। जबकि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के जरिए स्वरोजगार प्रदान किया जा रहा है।

एनआरईजीए यानी जिसे ज्यादातर इलाके में नरेगा के नाम से प्रसिद्ध मिली है, इस कानून को 7 सितंबर, 2005 को अधिसूचित किया गया। इसमें व्यवस्था की गई कि रोजगार मांगने वालों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। अगर सरकार रोजगार नहीं मुहैया करा सकती है तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना होगा। इस तरह देखा जाए तो इस अधिनियम के बाद देश के हर नागरिक को रोजगार की गारंटी मिल गई। इस योजना में किसी प्रकार की खामियां न रहने पाए, इसलिए इसे चरणवार लागू किया गया। पहले देश के दो सौ जिलों में इसे लागू कर स्थितियों एवं भविष्य में सामने आने वाली अड़चनों को दूर किया गया। योजना अपने उद्देश्य में सफल होती दिखी तो इसे अलग–अलग चरणों में पूरे देश में लागू किया गया है। यूपीए सरकार मनरेगा में समय के अनुसार विभिन्न योजनाओं को शामिल करती जा रही है। इससे योजना अपने उद्देश्य में पूरी होती नजर आ रही है। वर्ष 2006–07 में 6204.09 करोड़ वेतन दिया गया। जबकि करीब 90.50 करोड़ मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराए गए। इस योजना के तहत करीब 8 लाख ऐसे कार्य हाथ में लिए गए जिनका लक्ष्य टिकाऊ संपदा का निर्माण करना था और इनमें 54 फीसदी कायोई का संबंध जल संरक्षण और वाटर हार्वेस्टिंग से है। इस योजना में सबसे अधिक फायदा यह हुआ कि अनूसूचित जाति, जनजाति, लघु एवं सीमांत किसानों को फायदा मिला। न्यूनतम मजदूरी मिल सकी। फिलहाल ताजा आंकड़ें बताते हैं कि बीते वित्तीय वर्ष में 39100 करोड़ का आवंटन किया जा चुका है। करीब 4.19 करोड़ ग्रामीण परिवारों को काम मिला है। इस तरह देश के 619 जिलों में 33 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए गए।

मनरेगा का मूल उद्देश्य

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) का उद्देश्य है कि देश के हर नागरिक को आजीविका का साधन मिले। पंचायतें ज्यादा से ज्यादा सशक्त हों। जिस परिवार के सदस्य शारीरिक श्रम करने को तैयार हो, उन्हें हर हाल में एक साल के अंदर सौ दिन का रोजगार मुहैया कराया जाए। इतना ही नहीं इस अधिनियम के स्थायी संपदाओं के संरक्षण के क्षेत्र में अहम कार्य हो रहा है। स्थायी गरीबी को जन्म देने वाले सूखा, वन विनाश, मृदाक्षरण आदि स्थितियों से निबटना भी मनरेगा का उद्देश्य है। एक तरह से इस अधिनियम ने राज्य सरकारों को भी उनकी जिम्मेदारी का आभास कराया है कि हर व्यक्ति को रोजगार देना उनकी जिम्मेदारी है। रोजगार की 90 फीसदी लागत केंद्र सरकार वहन कर रही है, लेकिन राज्य सरकारों को इस बात के लिए जवाबदेह बनाया गया है कि यदि वे रोजगार नहीं मुहैया करा पाती है तो उन्हें बेरोजगारी से होने वाले नुकसानों के साथ ही बेरोजगारी भत्ता का भी भुगतान करना होगा।

अधिनियम में क्या खास है

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में ग्रामीण इलाकों को विशेष रूप से तवज्जो दिया गया है। हालांकि बाद में कुछ शहरी कार्यों को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। हर ग्रामीण परिवार को सरकार से सौ दिन का काम मांगने का अधिकार मिल गया है। इसका दूसरा फायदा यह होगा कि ग्राम पंचायतों की भागीदारी भी बढ़ेगी। महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

पंचायत की जिम्मेदारी बढ़ी

नरेगा के लिए परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य आवेदन कर सकता है। इसके लिए उसे लिखित अथवा मौखिक तौर पर स्थानीय ग्राम पंचायत में अपना पंजीकरण कराना होता है। ये पंजीयन पांच साल के लिए होता है। समुचित जांच के बाद आवेदन करने वाले का जॉब कार्ड मिलता है। जॉब कार्ड में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के फोटो लगे होते हैं। एक फोटोयुक्त जॉब कार्ड आवेदक को निशुल्क दिया जाता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की फीस जमा नहीं करनी पड़ती। आवेदक को मात्र सात दिन में कार्ड मिल जाता है। जॉब कार्ड मिलने के बाद ग्राम पंचायत से लिखित अथवा मौखिक में कार्य के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदक को यह बताना होता है कि उसे कब और किस अवधि में रोजगार चाहिए। एक बार के आवेदन में उसे न्यूनतम 15 दिन का रोजगार जरूर दिया जाता है। ग्राम पंचायत की यह जिम्मेदारी है कि वह काम के लिए

आवेदन मिलने पर आवेदक को तारीख सहित पावती रसीद जारी करे। क्योंकि रसीद पर अंकित तिथि के अनुरूप ही उसे 15 दिन के बाद रोजगार मुहैया कराया जाता है। 15 दिन के अंदर आवेदक को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे दैनिक मजदूरी के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देना होगा। बेरोजगारी का हिसाब संबंधित राज्य में निर्धारित न्यूनतम (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948) पर आधारित है। यह भी व्यवस्था दी गई कि यदि केंद्र सरकार कोई दर निर्धारित करती है तो वही लागू होगी जो किसी भी हाल में 60 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी। इस योजना में सामूहिक रूप से भी आवेदन किया जा सकता है। इस तरह देखा जाए तो रोजगार उपलब्ध कराने की प्रमुख जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। यानी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बढ़ गई है। वह पहले से ज्यादा सशक्त हो गई है। अब उसे अपने गांव के मजदूरों को काम दिलाने के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकना पड़ता। साथ ही यह भी फायदा हुआ कि ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करके ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कर सकती है।

मजदूरी भुगतान प्रक्रिया

मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाता है। किसी भी काम के लिए अधिकतम 15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान करना अनिवार्य है। नियोजक और क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की केंद्रीय भूमिका है। अधिनियम में पहले यह व्यवस्था दी गई थी कि काम शुरू होते वक्त मजदूरों की संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए, लेकिन अब इसे परिवर्तित कर 10 कर दिया गया है। मजदूरी का भुगतान मेट की ओर से तैयार की गई मस्टर रोल के हिसाब से किया जाएगा। इसके लिए जॉबकार्डधारी का पोस्ट आफिस अथवा बैंक में खाता खोला गया है।

कौन से काम होंगे

जिला स्तर पर एक सूची तैयार की जाएगी कि रोजगार मुहैया कराए जाने के लिए कौन–सी परियोजना शुरू की जाए। इसमें

–जल संरक्षण
–सूखे की रोकथाम के तहत वृक्षारोपण
–बाढ़ नियंत्रण
–भूमि विकास
– विभिन्न तरह के आवास निर्माण
– लघु सिंचाई
–बागवानी
–ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण
–कोई भी ऐसा कार्य जिसे केंद्र सरकार राज्य सरकारों से सलाह लेकर अधिसूचित करें।

जिला स्तर पर बनने वाली परियोजनाओं की सूची को अंतिम रूप ग्रामसभा की ओर से तैयार की गई प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। कम से कम 50 फीसदी कामों के क्रियान्वयन का जिम्मा ग्राम पंचायतों का होगा।

मशीनरी का प्रयोग वर्जित इस योजना में किसी भी कीमत पर ठेकेदारों अथवा श्रम विस्थापन मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा।

कार्यस्थल पर सुविधाएं

इस अधिनियम के तहत कार्यस्थल पर श्रमिकों को सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है। यदि कार्यस्थल पर

कोई भी श्रमिक घायल हो जाता है तो उसके इलाज के लिए फस्ट एड रखा रहेगा। यदि किसी श्रमिक की मौत हो जाती है अथवा वह स्थाई तौर पर विकलांग हो जाता है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। घायल मजदूर का इलाज कराने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। कार्य के दौरान मौत होने पर 25 हजार रुपये अनुग्रह राशि दी जाएगी। स्थाई तौर पर विकलांग होने वाले को भी 25 हजार रुपये दिए जाते हैं।

महिलाओं को विशेष तवज्जो

इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होगी कि वह काम में कम से कम एक तिहाई महिलाओं को रोजगार दे। कार्यस्थल पर उनके बच्चों के लिए पालना आदि की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पुरुष के बराबर ही महिलाओं को भी मजदूरी प्रदान की जाएगी। यदि कार्यस्थल पर महिलाएं अपने साथ छह वर्ष से कम उम्र के बच्चे लेकर आती हैं और उनकी संख्या पांच या उससे अधिक है तो एक महिला बच्चों की देखरेख में लगेगी। लेकिन उसे मजदूरी पूरी मिलेगी। कार्यस्थल पर पेयजल का इंतजाम हो, काम करने वाले मजदूरों के नाम रजिस्टर में दर्ज होंगे और कार्यस्थल निरीक्षण के लिए खुले रहते हैं। श्रमिक को उसके मूल स्थान से अधिकतम पांच किलोमीटर के दायरे में काम दिया जाता है।

कहां से आता है पैसा

अधिनियम में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जिम्मेदारी अलग–अलग तय की गई है। इस योजना में होने वाले खर्च में कुल मिलाकर 90 फीसदी केंद्र सरकार देगी बाकी 10 फीसदी धन राज्य सरकार लगाएगी। इसमें केंद्र सरकार के जिम्मे अकुशल शारीरिक श्रमिक के वेतन की पूरी लागत, सामग्री लागत, कुशल एवं अर्धकुशल मजदूरों के वेतन का 75 प्रतिशत, केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित प्रशासकीय व्यय कार्यक्रम अधिकारी सहित इस कार्य की निगरानी में लगे अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा कार्यस्थल की सुविधाओं का लागत खर्च होगा। जबकि राज्य सरकार के जिम्मे सामग्री की लागत, मजदूरों के वेतन 25 फीसदी, बेरोजगार भत्ते का भुगतान, राज्य रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासकीय खर्चे। इतना ही नहीं सभी जिला मुख्यालय पर मनरेगा के लिए अलग से खाते खोले गए हैं।

योजना का संचालन

पहले चरण में दो सौ जिलों में यह योजना शुरू की गई, जबकि दूसरे चरण में इसे 113 जिलों में लागू किया गया। पहले चरण में शामिल 200 जिले (2006–07)

आंध्रप्रदेश–13, अरुणाचल प्रदेश–1, असम–7, बिहार–23, छत्तीसगढ़–11, झारखंड–20, गुजरात–6, कर्नाटक–5, केरल–2, मध्यप्रदेश–17, उत्तर प्रदेश–23, हरियाणा–2, हिमाचल प्रदेश–2, महाराष्ट्र–12, मणिपुर–1, मेघालय–2, मिजोरम–2, नगालैंड–1, उड़ीसा–18, पंजाब–1, सिक्किम–1, तमिलनाडु–6, त्रिपुरा–1, जम्मू–कश्मीर–3, उत्तरांचल–3, पश्चिम बंगाल–10 राजस्थान–6,

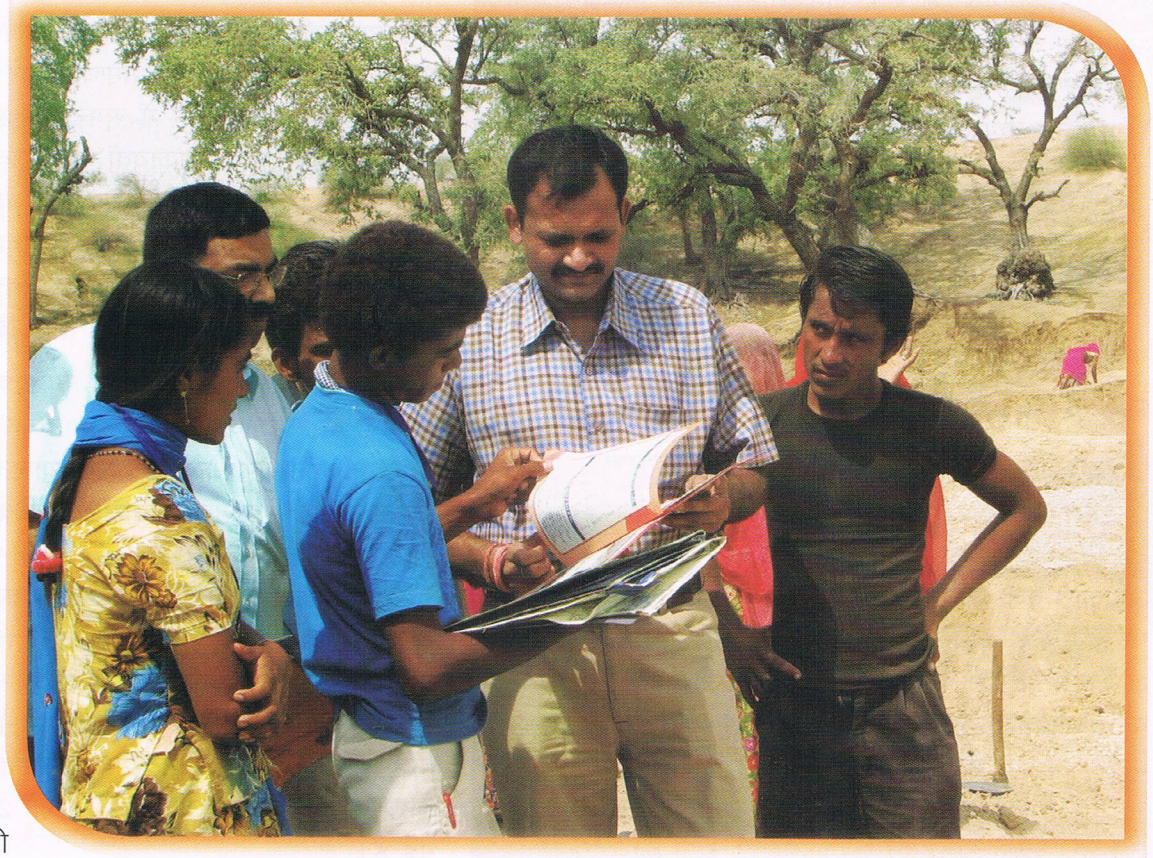

दूसरे चरण में शामिल 130 जिले (2007–08)

आंध्र प्रदेश–6, अरुणाचल प्रदेश–2, असम–6, बिहार–15, छत्तीसगढ़–4, झारखंड–2, गुजरात–3, कर्नाटक–6, केरल–2–, मध्य प्रदेश–13, उत्तर प्रदेश–17, हरियाणा–2 महाराष्ट्र–6, मणिपुर–2, मेघालय–3, मिजोरम–2, नगालैंड–4, उड़ीसा–5, पंजाब–3, सिक्किम–2, तमिलनाडु–4, त्रिपुरा–2, उत्तराखंड–2, पश्चिम बंगाल–7, राजस्थान–6

तीसरे चरण में पहले एवं दूसरे चरण में शामिल होने के बाद बचे शेष अन्य सभी 265 जिलों को शामिल किया गया। इस प्रक्रिया को एक अप्रैल 2008 को अंतिम रूप दिया गया।

क्रियान्वयन की तरकीब

ग्राम पंचायत की भूमिका

योजना के तहत कार्य का प्रस्ताव ग्रामसभा तैयार करती है। ग्राम पंचायत की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि जिस व्यक्ति को कार्य दिया जा रहा है वह वयस्क है या नहीं। जॉबकार्ड जारी करने की भी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। आवेदकों के बीच रोजगार बांटने, उन्हें मजदूरी भुगतान करने आदि की निगरानी की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी।

क्षेत्र पंचायत की भूमिका

ग्राम पंचायत स्तर से आने वाले प्रस्ताव का क्षेत्र पंचायत अनुमोदन करेगी। इसके बाद यह प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजा जाएगा। जिला पंचायत की ओर से स्वीकृति मिलते ही काम शुरू होगा। क्षेत्र पंचायत अपने इलाके में हो रहे कार्यों की मॉनीटरिंग करेगी।

जिला पंचायत की भूमिका

सभी परियोजनाओं को अंतिम रूप देने का जिम्मा जिला पंचायत का है। परियोजना की निगरानी की जिम्मेदारी ग्राम पंचयत, क्षेत्र पंचायत के साथ ही जिला पंचायत की भी है।

प्रशासकीय ढांचा

क्षेत्र पंचायत

ब्लॉक स्तर पर योजना की निगरानी के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो बीडीओ स्तर का है। इसे कार्यक्रम अधिकारी कहा जाता है। श्रमिक किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कार्यक्रम अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। कार्यक्रम अधिकारी ही ग्राम पंचायत से ब्लॉक तक आने वाली परियोजनाओं को तैयार करता है। रोजगार की डिमांड, रोजगार के अवसर को लेकर समन्वय की जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी की है। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता देने की जिम्मेदारी इसी कार्यक्रम अधिकारी की है। वह परियोजनाओं की निगरानी, शिकायतों का निबटारा, नियमित तौर पर सामाजिक लेखा परीक्षा आदि के लिए जिम्मेदार है।

जिला पंचायत स्तरः हर जिले में जिला स्तर पर भी एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो बीडीओ स्तर का है। इसे कार्यक्रम अधिकारी कहा जाता है। श्रमिक किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कार्यक्रम अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। कार्यक्रम अधिकारी ही ग्राम पंचायत से ब्लॉक तक आने वाली परियोजनाओं को तैयार करता है। रोजगार की डिमांड, रोजगार के अवसर को लेकर समन्वय की जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी की है। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता देने की जिम्मेदारी इसी कार्यक्रम अधिकारी की है। वह परियोजनाओं की निगरानी, शिकायतों का निबटारा, नियमित तौर पर सामाजिक लेखा परीक्षा आदि के लिए जिम्मेदार है।

जिला पंचायत स्तरः हर जिले में जिला स्तर पर भी एक अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसे जिला समन्वयक कहा जाता है। इस पद की जिम्मेदारी राज्य सरकार सुनिश्चित करती है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला कलेक्टर अथवा इस रैंक के किसी भी अधिकारी को जिला कार्यक्रम समन्वयक की जिम्मेदारी देने का प्रावधान है। जिला कार्यक्रम समन्वयक की जिम्मेदारी है कि वह योजना में होने वाली किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करे। वह इस कार्यक्रम में शामिल विभिन्न एजेंसियों में समन्वय स्थापित करता है। ब्लॉक स्तर से आने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए भी वह जिम्मेदार है। विभिन्न स्थानों पर होने वाले कार्यों की निगरानी की भी जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम समन्वयक की होगी। इसके अलावा अब ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भी विभिन्न तरह की व्यवस्था बनाई गई है। निगरानी के लिए अलग–अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

योजना का असर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लागू होने के बाद ग्रामीण इलाके में मजदूरों को सबसे अधिक फायदा हुआ है। उन्हें निर्धारित मजदूरी मिलने लगी है। नरेगा के कार्यान्वयन के बाद कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ी है। महाराष्ट्र में यह 47 से बढ़कर 72, उत्तर प्रदेश में 58 से 100, बिहार में 68 से 81, पश्चिम बंगाल में 64 से 75, मध्य प्रदेश में 58 से 85, छत्तीसगढ़ में 58 से 72 इसी तरह अन्य स्थानों पर भी मजदूरी बढ़ी है। इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी औसतन 2006–07 में रुपये 65 थी जो 2008–09 में 84 कर दी गई है।

राष्ट्रीय हेल्पलाइन का प्रावधान

केंद्र सरकार की ओर से यह व्यवस्था की गई है कि कहीं भी किसी प्रकार की शिकायत होने पर कोई भी व्यक्ति सीधे शिकायत कर सकता है। साथ ही इस योजना के संबंध में आवश्यक पूछताछ कर सकता है। यह पूरी तरह से टोल फ्री है (1800110707)। उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, गोवा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी अलग से हेल्पलाइन शुरू की गई है।

सूचना का अधिकार

मनरेगा एक्ट के सेक्शन चार में यह प्रावधान किया गया है कि इस पर भी सूचना के अधिकार लागू होंगे। किसी भी स्तर पर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी जा सकती है। यह भी प्रावधान किया गया है कि ग्रामीणों को मनरेगा के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए। समय–समय पर प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत की ओर से जारी होने वाले जॉबकार्ड, पैसे की प्राप्ति, भुगतान आदि के संबंध में क्षेत्र पंचायत से जिला पंचायत और राज्य से केन्द्र स्तर पर सूचना दी जाती है। खर्चे का ब्यौरा और कार्य एवं श्रमिकों की संख्या संबंधित जानकारी ग्राम पंचायत से लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय तक अपडेट की जाती है। इसके लिए बाकायदा मनरेगा की वेबसाइट बनाई गई है।

निष्कर्ष

इस तरह देखा जाए तो नरेगा के जरिए पंचायती राज व्यवस्था और मजबूत हुई है। इस योजना के जरिए तीनों स्तर पर जिम्मेदारी भी बांटी गई है और काम भी। पंचायतों को विभिन्न तरह से विकास कार्य कराने के लिए किसी दूसरे मद से पैसे का इंतजाम नहीं करना पड़ रहा है। उन्हें भरपूर पैसा भी मिल रहा है और गांवों में विकास भी हो रहा है। चूंकि यह योजना पूरी तरह से पंचायती राज पर केंद्रित है, इसलिए एक तरफ योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हो सका है तो दूसरी तरफ पंचायती राज व्यवस्था को नया आयाम मिला है। अब गांव के हर नागरिक की जुबां पर मनरेगा का नाम सुनने में आता है। उन्हें विश्वास है कि मनरेगा के जरिए वे कम से कम दो वक्त की रोटी का इंतजाम जरूर कर सकते हैं। मनरेगा में मजदूरी निर्धारित हो जाने से पंचायत स्तर पर चलने वाले लघु उद्योग, दिहाड़ी मजदूरी एवं पंचायती राज व्यवस्था के तहत दूसरी योजनाओं में चलने वाले कामों में भी लोगों को वाजिब मजदूरी मिल रही है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)
ई–मेल : chandrabhan0502@gmail.com

SRISHTI
IAS
English
फाउण्डेशन कोर्स – 2011–12
Under The Guidance of
Raju Singh
GS & C-SAT
दर्शनशास्त्र
इतिहास
अर्थशास्त्र
लोक प्रशासन
समाजशास्त्र
भूगोल
राजनीति विज्ञान
+91-9015588370, 9868677510
B-12, 1st Floor, Near SBI ATM, Main Road,
Mukherjee Nagar, Delhi-09
KH-10-10-2

ग्लेडस्टोन का यह कथन कि 'न्याय में देरी न्याय से मना करने के समान है' (जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड) हमारे यहां काफी सटीक बैठता है। यदि हम भारतीय न्यायिक तंत्र से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन करें तो पता चलेगा कि भारत में सामान्यतः 1–5 वर्ष और कभी–कभी 10 से 15 वर्ष में किसी मुकदमें का निपटारा हो पाता है। इसी समस्या से निपटने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया गया है जोकि जम्मू–कश्मीर, नगालैंड, अरूणाचल प्रदेश तथा जनजातीय क्षेत्र के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में 2 अक्तूबर, 2009 से लागू हो चुका है। इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को उनके द्वार पर और सामाजिक, आर्थिक या अन्य कारणों से बाधित हुए बिना सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है।

ग्राम न्यायालयों के रास्ते ग्राम स्वराज की ओर

डॉ. सुरेन्द्र कटारिया

स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक एवं प्रशासकीय व्यवस्था में बहुत सारी अद्भुत उपलब्धियों के साथ अनेक विफलताएं और चिन्ताजनक पहलू भी हैं। उन्हीं में से एक है – शिथिल तथा जटिल न्यायिक तंत्र। भारत में ग्रामीण परिवेश के किसी निर्धन, निरक्षर तथा विवश व्यक्ति की बात तो छोड़िए उच्च शिक्षित तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए भी किसी मुकदमें का शीघ्र निस्तारण करवाना सरल कार्य नहीं है। चूंकि देश की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा

इन्हें साधारण से लेकर जटिल प्रकृति के मुकदमों या विवादों के लिए बार–बार नगरों या शहरों में स्थित न्यायालयों में आना पड़ता है। अतः स्वाभाविक रूप में उनका समय, धन तथा श्रम खराब होता है। ऐसे प्रकरणों में खेती छोड़कर न्यायालय पधारे ग्रामीणों को प्रायः 75 प्रतिशत अवसरों में अगली तारीख लेकर वापिस घर लौटना पड़ता है।

शिथिल न्यायिक तंत्र

यदि हम भारतीय न्यायिक तंत्र से सम्बन्धित कतिपय महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन करें तो पता चलेगा कि भारत में सामान्यतः 15 वर्ष में किसी मुकदमें का निस्तारण हो पाता है। कई मुकदमें तो 40–50 वर्षों तक भी चलते हैं। इसीलिए व्यंग्य स्वरूप कहा जाता है कि भारत में दादा द्वारा दायर मुकदमा पोता भी लड़ता है। देशभर के लगभग 15,000 न्यायालयों में न्यायाधीशों के 18–20 प्रतिशत पद रिक्त हैं तथा स्थिति यह है कि देशभर की 1500 जेलों में लगभग 2.5 लाख विचाराधीन कैदी इसलिए बन्द हैं चूंकि उनके मुकदमों का निस्तारण नहीं हुआ है। साठ के दशक की तुलना में आज हमारे यहां आपराधिक मामलों में सजा की दर में 20 प्रतिशत गिरावट आई है। अतः लोगों के मनोमस्तिष्क में कानून का भय भी कम हुआ है। इन तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि न्यायिक तंत्र में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है।

भारतीय न्यायिक तंत्र : कुछ विचारणीय तथ्य

क्र.सं.	कारक	विवरण
1	लम्बित मुकदमें (मार्च, 2009) • उच्चतम न्यायालय • उच्च न्यायालय • अधीनस्थ न्यायालय • सी.बी.आई. में भ्रष्टाचार सम्बन्धी	3.12 करोड़ 52, 592 40.17 लाख 2.71 करोड़ 8200
2	जेलों में विचाराधीन कैदी	2.5 लाख
3	आपराधिक मामलों में अभियोजन के मुकाबले सजा की दर	42.4 प्रतिशत
4	भ्रष्टाचार के मामलों की सजा की दर	6 प्रतिशत
5	न्यायालयों में रिक्त पद	18 प्रतिशत
6	जनसंख्या : जज अनुपात	1 लाख जनसंख्या पर 1.3 जज
7	न्यायपालिका पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का व्यय	.2 प्रतिशत
8	एक न्यायाधीश द्वारा निपटाए जाने वाले मुकदमें	4000 मुकदमें प्रति वर्ष
9	सिविल एवं फौजदारी मुकदमों का अनुपात	20:80
10	मुकदमे की औसत आयु	15 वर्ष

न्याय पंचायतें

भारत में न्याय पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। ग्राम पंचायतों में ''पंच परमेश्वर'' की परम्परागत प्रणाली न्याय का कार्य भी करती रही है। सन् 1959 में आधुनिक पंचायती राज की स्थापना के पश्चात् 15 राज्यों में न्याय पंचायतों का भी प्रावधान किया गया था किन्तु सन् 1977 तक मात्र 8 राज्यों यथा– बिहार, गुजरात, जम्मू–कश्मीर, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में ही न्याय पंचायतें कार्यरत रह सकीं। उस समय लगभग 30 हजार न्याय पंचायतें देश में कार्य कर रही थी। सन् 1992 में 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम में न्याय पंचायतों की कोई चर्चा नहीं थी। केवल चार राज्यों यथा–बिहार (ग्राम कचहरी), मध्यप्रदेश (ग्राम न्यायालय), हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में ही न्याय पंचायतें कार्य कर रही थी। इस बीच सन् 1986 में विधि आयोग की 114 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाए।

कालान्तर में जुलाई 2006 में भारत सरकार ने न्याय पंचायतों में कानून निर्माण हेतु **प्रो. उपेन्द्र बख्शी समिति** का गठन किया। इस बीच राज्यसभा में 15 मई, 2007 को ग्राम न्यायालय विधेयक, 2007 प्रस्तुत हुआ जोकि सुझावों, संशोधनों की प्रक्रिया से गुजरकर ग्राम न्यायालय विधेयक 2008 के रूप में दिसम्बर, 2008 में संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ तथा इसे 7 अप्रैल, 2009 को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली।

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के मुख्य प्रावधान

ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को उनके द्वार के समीप और सामाजिक, आर्थिक या अन्य कारणों से बाधित हुए बिना सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 पारित किया गया है जो कि जम्मू–कश्मीर, नगालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश तथा जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत में 02 अक्टूबर, 2009 से लागू हो चुका है।

ग्राम न्यायालय अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं –

ग्राम न्यायालयों का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके दरवाजे पर कम कीमत पर न्याय उपलब्ध करवाना है।

ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा और इसके पीठासीन अधिकारी (न्यायाधिकारी) की नियुक्ति उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

ग्राम न्यायालय की स्थापना मध्यवर्ती स्तर की पंचायती राज संस्था अर्थात् पंचायत समिति स्तर पर की जाएगी। जिस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत न हो, उसमें समीपवर्ती पंचायतों के समूह के लिए की जाएगी।

इन ग्राम न्यायालयों के पीठासीन न्यायाधिकारी, न्यायिक अधिकारी होने और उनका वेतन और शक्तियां वही होंगी जो उच्च न्यायालयों के अन्तर्गत कार्य कर रहे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों की हैं।

ग्राम न्यायालय सचल (मोबाईल) न्यायालय होंगे और इन्हें दांडिक एवं दीवानी न्यायालय दोनों की शक्तियां प्राप्त होंगी।

ग्राम न्यायालय की सीट मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय में होगी। वे गांवों में जाएंगे, वहां काम करेंगे और मामले को निपटाएंगे।

ग्राम न्यायालय इस अधिनियम की पहली एवं द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट आपराधिक मामलों, दीवानी मुकदमों, दावों और विवादों का विचारण करेंगे। ग्राम न्यायालयों को मुख्यतः 2 वर्ष में कम सजा वाले प्रकरणों की सुनवाई के कार्य सौंपे जाएंगे। इनमें मुख्यतः चोरी, साधारण विवाद, सम्पत्ति विवाद तथा पशु चराई रोकथाम अधिनियम, 1871, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, बन्धुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, समान मजदूरी अधिनियम, 1976, घरेलू हिंसा में महिलाओं का बचाव अधिनियम, 2005, तथा पत्नी, बच्चों एवं माता–पिता के भरण–पोषण सम्बन्धी कानूनों के मुकदमें सुनेंगे। ग्राम न्यायालयों को वर्तमान में अन्य न्यायालयों में विचाराधीन सिविल एवं फौजदारी मुकदमें स्थानांतरित किए जाएंगे।

इस अधिनियम की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में अपनी–अपनी विधायन सक्षमता के अनुरूप संशोधन करने की शक्ति केन्द्र एवं राज्य सरकारों को दी गई है।

ग्राम न्यायालय आपराधिक मामलों के विचारण में संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाएंगे।

ग्राम न्यायालय कुछेक संशोधनों के साथ दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे जैसाकि इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है।

ग्राम न्यायालय जहां तक संभव हो पक्षकारों के बीच सुलह करके विवादों का निस्तारण करने का प्रयास करेंगे और इस उद्देश्य हेतु नियुक्त सुलहकर्ता की सेवाओं का उपयोग करेंगे।

ग्राम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश और निर्णय डिक्री के रूप में माना जाएगा और इसके निष्पादन में विलम्ब से बचने के लिए ग्राम न्यायालय इसे कार्यान्वित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करेंगे। इनमें खुली सुनवाई होगी तथा सुनवाई एवं बहस के पश्चात् 15 दिन में निर्णय देना और प्रत्येक मुकदमें को 6 माह के भीतर निपटाना जरूरी बताया गया है।

ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में उल्लिखित साक्ष्य नियमों के अध्यधीन नहीं होंगे लेकिन वे नैसर्गिक नियमों के अनुसार कार्य करेंगे और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी नियम के अध्यधीन होंगे।

आपराधिक मामलों के संबंध में अपील सत्र न्यायालय में की जाएगी जिसकी सुनवाई एवं निपटान अपील दायर करने की तारीख से छह माह के अन्दर–अन्दर की जाएगी।

सिविल मामलों के संबंध में अपील जिला न्यायालय में की जाएगी जिसकी सुनवाई एवं निपटान अपील दायर करने की तारीख से छः माह के अन्दर–अन्दर की जाएगी। ग्राम न्यायालयों को हस्तांतरित मुकदमों में केवल एक स्तर ऊपर तक अपील हो सकेगी। अर्थात् उच्च तथा उच्चतम न्यायालय में नहीं जाया जा सकेगा।

केन्द्र सरकार ने इन ग्राम न्यायालयों की स्थापना पर होने वाले अनावर्ती खर्च को 18 लाख रुपये की सीमा तक वहन करने का निर्णय लिया है जिसमें से 10 लाख रुपये न्यायालय के निर्माण के लिए, 5 लाख रुपये वाहन के लिए और 3 लाख रुपये कार्यालय उपकरणों के लिए होंगे। सरकार ने यह भी अनुमान लगाया है कि स्थापित हो जाने पर ग्राम न्यायालयों में वेतन इत्यादि पर 6.4 लाख रुपये का आवर्ती व्यय होगा और पहले तीन वर्षों के लिए इसी सीमा में रहते हुए, इस आवर्ती व्यय को राज्य सरकार के साथ बांटने का प्रस्ताव किया है।

अधिनियम के अंतर्गत 5000 से भी अधिक ग्राम न्यायालयों का गठन किए जाने की संभावना है जिसके लिए केन्द्र सरकार संबंधित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को सहायता के रूप में 1400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी।

समीक्षा

ग्राम न्यायालयों की स्थापना के पश्चात देश में न केवल मुकदमों के अम्बार में कमी आएगी बल्कि एक निश्चित समयावधि (6 माह) में न्याय भी मिल सकेगा तथा बार–बार अपील पर रोक लगेगी। चूंकि ग्राम न्यायालय गांव–गांव जाएंगे, अतः आम व्यक्ति की भाग–दौड़ कम होगी तथा उसका समय, श्रम तथा धन बचेगा। इन न्यायालयों को पुलिस की सहायता मिलेगी। इनमें अमेरिकी प्रणाली अभिवाक विपणन अर्थात् ''प्ली बार्गेनिंग'' को भी मान्यता दी गई है, जिसमें कोई दोषी व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार करके अदालत से नरम रवैये की गुहार कर सकता है। फैसले की निःशुल्क प्रतियां दोनों पक्षों को न्यायालय द्वारा तीन दिन में प्राप्त होंगी। अतः इस प्रावधान से अनावश्यक तनाव तथा भ्रष्टाचार में कमी आएगी। ये न्यायालय सजा या आर्थिक दण्ड सुना सकेंगे तथा छोटे दण्डों की अपील नहीं हो सकेगी। अतः कहा जा सकता है कि इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में विधि के शासन का सुखद परिदृश्य सामने आएगा।

(लेखक महारानी सुदर्शन राजकीय महाविद्यालय, बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग में व्याख्याता हैं।)

ई–मेल : skkataria64@rediffmail.com

पंचायती राज से भारत में बदलाव की बयार

डॉ. जगबीर कौशिक

पंचायती राज अपनी कमियों के बावजूद आज ग्रामवासियों की जीवन पद्धति में घुलता जा रहा है। ग्रामीण जनता की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ने के कारण ग्राम नेतृत्व पनपने का अवसर पैदा हुआ है। गांवों के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग में चेतना का संचार हुआ है। आज गांव की महिलाएं भी राजनैतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी हैं। ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के विषय में नई जानकारी मिली है। यद्यपि पंचायती राज ने गांवों में साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, संकीर्णता, मनमुटाव आदि को बढ़ाया है, फिर भी गांवों में आशा की क्रांति उत्पन्न हुई है। आज पंचायती राज में बहुत से दोष हो सकते हैं, परन्तु भविष्य की यह एक महत्वपूर्ण शक्ति है। आज ग्राम पंचायतों को साधन सम्पन्न बनाने की जरूरत है।

पंचायती राज के वर्तमान स्वरूप का श्रेय बलवंत राय मेहता समिति को जाता है। इसके अनुसार त्रि–स्तरीय संरचना जिसमें (क) गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें (ख) प्रखंड स्तर पर पंचायत समितियां (ग) जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन किया जाएगा। राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश पहले दो राज्य थे, जहां मेहता समिति की अनुशंसाओं को लागू किया गया। सन् 1977 में पंचायती राज की भूमिका का परीक्षण करने एवं इसके विकास हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक नई समिति गठित की गई। इस समिति ने द्वि–स्तरीय संरचना का प्रस्ताव रखा जिसके आधार पर कई गांवों को मिलाकर मंडल पंचायत तथा शीर्ष पर जिला परिषद होगी। वित्तीय साधनों की कमी पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक बड़ी बाधा है। इसे ध्यान में रखकर अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि इन संस्थाओं को कर निर्धारण के अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे धन के लिए राज्य सरकारों पर इनकी निर्भरता को कम किया जा सके। इसमें अनुसूचित जाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का भी

प्रावधान रखा था। 1978 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस रिपोर्ट के सुझावों पर विचार किया गया। सम्मेलन में यह आम राय रही कि विभिन्न राज्यों में जो वर्तमान संरचनात्मक पद्धति है उसमें परिवर्तन करना न तो आसान है न ही जरुरत।

वर्ष 1985 में जी. वी. के. राव तथा 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी के नेतृत्व में पुनः समितियां गठित की गई। राव समिति ने जिला परिषदों को मजबूत बनाने तथा उसकी उपसमितियां बनाने पर जोर दिया। सिंघवी समिति ने स्थानीय शासन को वैधता प्रदान करके प्रत्येक राज्य में पंचायती राज कानूनी अधिकरण के गठन की सिफारिश भी की थी। वर्ष 1988 में पी. के. थुंगन की अध्यक्षता में गठित एक संसदीय सलाहकार समिति ने भी इसकी न्यायिक वैधता पर बल दिया। 1989 में वी. एन. गाडगिल की अध्यक्षता में गठित समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसी प्रारूप के आधार पर 1989 में 64वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज से संबंधित विधेयक लाया गया परन्तु राज्यसभा में यह पारित नहीं हो सका।

24 अप्रैल, 1993 को 73वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से पंचायती राज अधिनियम को लागू करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव ने सार्थक कदम उठाए। उक्त संशोधन अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं–

- उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 25 लाख से अधिक नहीं है, त्रि–स्तरीय पंचायत की स्थापना करना अनिवार्य है।
- पंचायतों के गठन हेतु ग्राम पंचायतों के प्रत्यक्ष चुनाव हेतु राज्य विधानसभा कानून बनाएगी।
- अनुसूचित जातियों, जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार तथा कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित।
- राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग स्थापित किया जाएगा। हर पांच वर्षों में नियमित रूप से पंचायत चुनाव कराना होगा।
- पंचायतों के वित्तीय अधिकारों के बारे में सिफारिश करने के लिए राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करने की अधिनियम में व्यवस्था की गई।

संविधान के अनुसार पंचायतों को स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए प्रदत्त शक्तियां व दायित्व इस प्रकार हैं –

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना।
- संविधान की 11वीं अनुसूची में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं पर अमल।
- कर, शुल्क, उपकर, फीस लगाना व वसूलना और उन्हें वितरित करना।

29 मदों में कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार, बंजर भूमि विकास, पशुपालन, मछली पालन, डेयरी व मुर्गीपालन, ग्रामीण उद्योग, परिवार कल्याण, कमजोर वर्ग विशेषतः अनुसूचित जाति, जनजाति का कल्याण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रखरखाव आदि सम्मिलित हैं। इन कार्यों को करने के लिए राज्य वित्त आयोग पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान देने की सिफारिश करता है। विभिन्न करों और शुल्कों में से पंचायतों का हिस्सा भी तय करना वित्त आयोग के दायित्व में है। पंचायतों की बैठक, प्रशासनिक कामकाज और अन्य अनियोजित कार्यों के लिए प्रावधान भी तय करना इसी के कार्यों में है।

73वें संशोधन के बाद राज्यों ने अपनी सुविधा के मुताबिक पंचायती राज अधिनियम को संशोधित किया है। छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ है। राज्य सरकारें अपने कार्यकारी अधिकारों को कम करने की इच्छुक नहीं हैं। बजट में छोटी–मोटी राशि देकर इन संस्थाओं की व्यवस्था की जाती है। ग्रामीण जनता की निरक्षरता, स्वस्थ राजनैतिक चेतना का अभाव, संकीर्ण राजनैतिक गुटबंदी, साम्प्रदायिक सदभाव का अभाव, स्वार्थपूर्ण नेतृत्व आदि समस्याओं ने पंचायती राज आंदोलन को बहुत आघात पहुंचाया है। आज पंचायतों के लिए सरकार एक रुपया भेजती है, पर उन पर व्यय होता है मात्र पच्चीस पैसा और शेष 75 पैसा चला जाता है भ्रष्टाचारियों की जेब में।

पंचायती राज अपनी कमियों के बावजूद आज ग्रामवासियों की जीवन पद्धति में घुलता जा रहा है। जैसा कि बलवंत राय मेहता ने कहा है – ग्रामीण भारत की जनता अनपढ़ बेशक है, किन्तु वह एक महान पैतृक सम्पत्ति तथा एक महान संस्कृति की स्वामी है तथा समय आने पर यह निश्चित रूप से अपने वास्तविक रूप में आएगी। यदि हम में पंचायती राज संस्थाओं, अपने ग्रामीण जनों तथा उनके अपने छिपे हुए गुणों का उपयोग करने की क्षमता में विश्वास है तो निश्चित रूप से सफलता उनके हाथ लगेगी। आज पंचायती राज में बहुत से दोष हो सकते हैं, परन्तु भविष्य की यह एक महत्वपूर्ण शक्ति है। आज ग्राम पंचायतों को साधन सम्पन्न बनाने की जरूरत है।

पंचायती राज की राजस्थान से शुरूआत – राजस्थान से पंचायती राज प्रणाली का एक ऐतिहासिक संबंध है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राज्य के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन किया था। नेहरू के लिए यह प्रणाली एक ओर गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के सपने को धरातल पर उतारने का जरूरी उपक्रम थी, वहीं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक जरूरी कार्रवाई थी। भारतीय संविधान में इसे संसदीय लोकतंत्र के तीसरे स्तर के रूप में देखा

गया है। एक लंबे अंतराल के बाद पंचायती राज प्रणाली में शक्ति–संचार करने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। इसके क्रियान्वयन की घोषणा भी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राजस्थान में ही की थी। उल्लेखनीय है कि 73वें संशोधन के जरिए पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी संशोधन में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां पंचायतों को हस्तांतरित की गई। साथ ही पंचायती राज प्रणाली के तीनों स्तरों पर महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया।

हाल ही में पंचायती राज प्रणाली के पचास वर्ष पूरे होने पर राजस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया, जिसमें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की नेता सोनिया गांधी की मौजूदगी में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पचास प्रतिशत करने की घोषणा की। इसी समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा पंचायतों को शक्तियों का हस्तातंरण यथाशीघ्र किए जाने का आश्वासन दिया गया। बहरहाल राजस्थान, मध्यप्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी भारत के कुछ राज्यों में राजनीति के तृणमूल स्तर पर आधी दुनिया यानी महिलाओं को उनका वाजिब हक यानी पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिल गया है। पंचायती राज में महिला जन–प्रतिनिधियों की चौथी पीढ़ी को काम करते अभी थोड़ा समय ही हुआ है। इनमें जो प्रतिनिधि पहली बार चुन कर आई हैं, वे तो अभी इस प्रणाली को व्यावहारिक स्तर पर देख–समझ रही हैं। फिर भी इनकी भूमिका और भावनाओं को देखते हुए कई तरह के परिवर्तन लक्षित किए जा सकते हैं, जोकि भविष्य की संभावनाओं से भरपूर हैं।

कैसे होंगी ग्राम पंचायतें मजबूत – ग्रामसभा की मजबूती से अर्थ है कि गांव के महत्वपूर्ण निर्णयों, नियोजन व विकास कार्यों से गांव के सभी वयस्क नागरिक जुड़ सकते हैं। उसके लिए एक विधि–सम्मत माध्यम उपलब्ध हो जाता है। अतः पंचायतों की भूमिका को व्यापक करने, उन्हें विभिन्न कार्य व विभाग सौंपे जाने का जो महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें तेजी लाने के साथ ग्रामसभा का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। पंचायती राज के मूल्यांकन में यह पूछना जरूरी है कि ग्रामसभा कितनी सक्रिय है और इस आधार पर सभी गांववासियों की भागीदारी कितनी बढ़ सकती है।

कुछ लोग कहते हैं कि ग्रामसभा की बैठक बहुत व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाती। साथ ही, बहुत से लोगों के एकत्र होने से संचालन कठिन हो जाता है, पर दूसरी ओर यह उपलब्धि भी हमारे सामने है कि जहां ग्राम प्रधानों व गांव के अन्य समझदार लोगों ने ग्रामसभा के महत्व को पहचाना है, वहां ग्रामसभा की सफल व सार्थक बैठकें हो रही हैं। कई बार तो समस्या यह नहीं होती है कि लोग बहुत ज्यादा हैं, अपितु इस बारे में इच्छा–शक्ति न होने के कारण लोगों को एकत्र करने का प्रयास बहुत कम किया जाता है। इसके अतिरिक्त मुद्दा केवल ग्रामसभा का नहीं है। प्रत्येक वार्ड के स्तर पर भी वार्ड सभा होनी चाहिए। यहां वैसे भी लोग अपेक्षाकृत कम होंगे। साथ ही, एक ही वार्ड की समस्याओं की चर्चा कुछ अधिक विस्तार से हो सकेगी। एक बार यहां वार्ड के मुद्दे अच्छी तरह चर्चित कर ग्रामसभा में पहुंचा जाए, तो वहां किसी एक वार्ड की समस्याओं को अधिक व्यवस्थित

ढंग से रखा जा सकेगा। अतः वार्डसभा व ग्रामसभा, दोनों स्तरों पर लोकतांत्रिक गतिविधियों व विकेन्द्रीकरण को समान महत्व मिलना चाहिए।

गांव के जल, जंगल और जमीन के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे संबंधित निर्णय भी ग्रामसभा के स्तर पर लिए जाने बहुत जरूरी हैं। यदि ऐसा नहीं होगा, तो चंद एक–दो स्वार्थी व्यक्ति ही इन हितों की सौदेबाजी कर सकते हैं। कई बार देखा भी गया है कि ग्रामसभा की व्यापक सक्रियता के अभाव में प्रधान सेक्रेटरी के गठबंधन ने जल–जंगल–जमीन के मुद्दों पर ऐसी सौदेबाजी कर ली, जिसके लिए वास्तव में पूरी ग्रामसभा की सहमति प्राप्त करना आवश्यक था या कम से कम ग्रामसभा में विस्तृत चर्चा करना तो हर हालत में आवश्यक था। यदि इस तरह की प्रवृत्तियां जोर पकड़ती रही, तो विकेन्द्रीकरण का ज्यादातर लोगों के लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। प्रायः देखा गया है कि ग्राम सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा है। इससे पहली नजर में दिखता है कि महिला को लोकतंत्र के इस पायदान पर देर से ही सही भागीदारी मिल गई है। लेकिन गौर से देखें, तो महिलाएं चुनकर आ तो गयी हैं और कुर्सी पर बैठने भी लगी हैं, लेकिन उनकी आड़ में उनका पुरुष साथी उनके सारे अधिकारों को भोग रहा है। ग्रामसभा में विकेन्द्रीकरण से तात्पर्य ही स्थानीय स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी और दूसरे पदों पर चुने गए लोगों के अधिकारों का सम्मान करते हुए उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन पितृसत्तात्मक नजरिए वाला हमारा समाज इन सुधारात्मक उपायों का परोक्ष रूप से स्वागत तो करता है, लेकिन उन पर दबदबा भी कायम रखना चाहता है। इसलिए यदि लोकतंत्र के हर स्तर और हर संस्था को प्रत्येक गांववासी तक पहुंचाने का सपना सही अर्थों में साकार करना है, तो ग्रामसभा का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है।

पंचायती राज की सफलता के सूत्र – आज भी पंचायतों को यही शिकायत है कि हकीकत में उन तक बहुत कम विभागों व कार्यों का विकेन्द्रीकरण हुआ है। जो थोड़ा–बहुत कार्यक्षेत्र उन्हें मिला है उसमें भी सरकारी अधिकारियों को कमीशन दिए बिना कार्य नहीं करवाए जा सकते हैं। पंचायत सेक्रेटरी प्रायः प्रधान को दबदबे में रखने का प्रयत्न करते हैं। कमजोर ग्राम प्रधान के लिए नौकरशाही के नियंत्रण से बाहर निकलना और कठिन हो जाता है। इनसे कई बार सेक्रेटरी अनुचित कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर मनमानी करते हैं। पंचायती राज की मुख्य समस्या भ्रष्ट नौकरशाही की ओर से है जो पंचायतों को न पूरे अधिकार प्राप्त करने देती है और न ईमानदारी से कार्य करने देती है। पर पंचायती राज का दूसरा दृष्टिकोण पंचायतों और उनके प्रधानों के अपने भ्रष्टाचार की ओर भी ध्यान दिलाता है।

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के निदेशक जॉर्ज मैथ्यू कहते हैं, 'जब भी कमजोर या ईमानदार व जुझारू प्रधान या अन्य निर्वाचित सदस्य संकट में पड़े तो उनकी सहायता के लिए व्यापक प्रयास अवश्य होने चाहिए।' मतलब विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया तभी सार्थक होगी जब गांव के भीतर लोकतंत्र मजबूत होगा। इसके लिए ग्रामसभा यानी गांव के सभी वयस्कों की आम सभा की नियमित बैठकें सही ढंग से होनी चाहिए। सभी को, विशेषकर कमजोर तबकों व महिलाओं को विचार प्रकट करने के अवसर मिलने चाहिए। गांव में कमजोर आर्थिक–सामाजिक परिवारों के संगठन बनने चाहिए। महिला–मंडलों का गठन होना चाहिए। वार्ड सदस्यों की आवाज को महत्व मिलना चाहिए व वार्ड सभाओं की भी नियमित मीटिंग होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की विभिन्न समितियों जैसे निर्माण, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सक्रियता बनी रहनी चाहिए। किसी के द्वारा सूचना मांगने की स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही अधिकांश जरूरी हिसाब–किताब सार्वजनिक करने की व्यवस्था होनी चाहिए। विभिन्न विकास कार्यों का सोशल ऑडिट होना चाहिए। ग्राम–प्रधान व वार्ड सदस्यों को उनके खर्चों, यात्राओं, कार्य आदि के अनुकूल मानदेय व भत्ते मिलने चाहिए ताकि कम से कम जो ईमानदारी से कार्य करना चाहते हैं उनके लिए यह संभव हो। अनपढ़ या कम पढ़े–लिखे प्रधानों व अन्य निर्वाचित सदस्यों को अपना कार्य भली–भांति चलाने के लिए विशेष सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाओं व कमजोर तबकों को चुनावों में कोई जोर–जबर्दस्ती या दहशत न सहनी पड़े, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। चुनाव सद्भावना के माहौल में हों व उसके कारण गांव में दुश्मनियां न बढ़ें, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। चुनाव के बाद निर्वाचित सदस्यों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। विकास कार्यों के नियोजन व अन्य कार्यों में विपक्षी उम्मीदवारों व अन्य अनुभवी गांववासियों को भी शामिल करना चाहिए।

पंचायत में 50:50 – महान फ्रेंच लेखक और विचारक विक्टर ह्यूगो की यह उक्ति मशहूर है कि जिस विचार का समय आ गया है, उसे रोका नहीं जा सकता। देशभर की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण मिलने के बाद यह दावा किया जा सकता है कि स्त्री–पुरुष समानता का आदर्श अब हवा में नहीं रहा, वह ठोस जमीन पर आ गया है। बेशक पंचायतों को ढांचे में आधा–आधा की यह अवधारणा ऊपर से आरोपित की गई है, इसलिए इसे मानसिक रूप से ग्राह्य होने में समय लगेगा।

सच तो यह है कि पंचायतों में महिलाओं को आधे का हिस्सेदार बनाकर कोई अनोखा काम नहीं किया गया है। कुछ राज्यों में यह हिस्सेदारी अपने आप विकसित हुई है, तो कुछ राज्यों ने इसे कानून बदल कर संभव बनाया है। उदाहरण के

1957 से 2009 तक की यात्रा

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत गठन का निर्देश दिया गया है।
- पंचायती राज को लेकर बलवंत राय मेहता समिति (1957), अशोक मेहता समिति (1977), डॉ. पी. वी. के. राव समिति (1985) और एल. एम. सिंघवी समिति (1986) ने महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी।
- 1993 में संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस व्यवस्था के तहत महिलाओं को 33 फीसदी सुनिश्चित भागीदारी का सपना साकार हुआ।
- पंचायती राज मंत्रालय 27 मई, 2004 को अस्तित्व में आया। इस मंत्रालय का गठन 73वें संविधान अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़े गए संविधान के खंड नौ के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए किया गया।
- इस समय देश में कुल पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या करीब 28.10 लाख है।
- भारत सरकार ने 27 अगस्त, 2009 को ग्राम स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कोटा 33 से बढ़ाकर 50 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 (डी) में संशोधन करना होगा। संविधान में प्रस्तावित संशोधन नगालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम के आदिवासी क्षेत्रों, त्रिपुरा, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश में प्रभावी होगा।
- इससे पहले राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 4 जून, 2009 को संसद के संयुक्त सत्र में संप्रग सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए अपने भाषण में पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण सीमा 50 फीसदी तक बढ़ाने की बात कही थी।
- बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में पहले से ही 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू है। इस दिशा में केरल और राजस्थान सरकार भी अपनी वचनबद्धता पहले ही दोहरा चुकी हैं।
- भारत सरकार पंचायतों के बाद शहरी निगमों और स्थानीय निकायों में भी महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर विचार कर रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय इस बाबत राज्यों को बाकायदा एक अधिकार पत्र भी प्रेषित कर चुका है। इस पत्र में राज्यों से महिलाओं की आरक्षण सीमा बढ़ाने पर सुझाव मांगे गए हैं। राज्यों के जवाब मिलते ही इस दिशा में पहल को प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

लिए, दक्षिण भारत में, जहां का समाज उत्तर भारत के मुकाबले महिलाओं के प्रति उदार है और महिलाओं ने भी अपने आपको छुई–मुई बनाकर नहीं रखा हुआ है, पंचायतों में महिलाओं की हिस्सेदारी अपने आप 50 प्रतिशत या इसके ऊपर तक चली गई है। कुछ राज्यों में तो यह प्रतिशत 60 को भी पार कर गया है।

केन्द्र सरकार के निर्णय से बराबरी की यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो गई है। स्पष्ट है कि किसी भी एक इलाके में कोई अच्छा काम होता है, तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। पंचायतों के बाद 50:50 की यह व्यवस्था नगरपालिकाओं में भी लागू की जाएगी। यह दावा करना ठीक नहीं है कि पंचायतों में 50:50 लागू हो जाने के बाद भारत के गांवों में लैंगिक समानता स्थापित हो जाएगी। बड़े सामाजिक परिवर्तन रातोंरात नहीं होते। फिर असमानता के स्रोत अनेक हैं, जिनमें से स्त्री होना सिर्फ एक है। आज भी पंचायतें ग्रामीण जीवन का आवयविक हिस्सा नहीं बन पाई हैं। वे लोगों की जिंदगी के हाशिए पर हैं। लेकिन केन्द्र ही हाशिए को हमेशा प्रभावित नहीं करता, हाशिया भी केन्द्र को प्रभावित करता है।

पंचायत एक प्रशासनिक और कुछ हद तक राजनीतिक इकाई है। सत्ता के वर्तमान ढांचे में इस स्थानीय इकाई का महत्व अभी कुछ खास नहीं है, पर जैसे–जैसे योजना प्रक्रिया और शासन का विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीयकरण होगा, पंचायतों की हैसियत बढ़ती जाएगी। इसलिए 50:50 की जो रवायत आज कुछ हद तक कागजी दिखाई पड़ती है, वह जल्द ही जमीनी स्तर पर एक क्रांतिकारी कार्यक्रम बन जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जब 1992 में स्थानीय स्वशासन के संस्थानों में महिलाओं को सभी सीटों और पदों पर 33 प्रतिशत आरक्षण देने का संवैधानिक कानून बनाया गया था, उस वक्त भी यह क्रांतिकारी कार्यक्रम था। लेकिन इस बात को समझा गया लगभग डेढ़ दशक बाद, जब महिलाओं की एक–तिहाई उपस्थिति के कारण पंचायतों के सत्ता ढांचे में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा।

शताब्दियों से महिलाओं का जिस तरह उत्पीड़न किया जा रहा था, उसे देखते हुए यह उम्मीद करना यथार्थपरक नहीं था कि महिलाएं अचानक बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करेंगी। जब यह संवैधानिक कानून पारित होने की प्रक्रिया में था, तब बहुतों ने यह सवाल किया भी कि इतनी महिला उम्मीदवार आएंगी कहां से? लेकिन आज यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि पंचायतों को चलाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं आएंगी कहां से। डेढ़ दशक के अनुभवों ने बहुत कुछ बदल दिया है। बेशक सब कुछ उजला–उजला नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि बहुत सारी महिला पंचायत सदस्यों ने गांव के जीवन पर अपनी कार्यनिष्ठा की स्पष्ट छाप छोड़ी है। उनके नाम नक्षत्र की तरह जगमगा रहे हैं। उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। इसके साथ ही, सच यह भी है कि महज आरक्षण के कारण जो महिलाएं चुनकर पंचायतों में आई हैं, उनमें से अनेक पर अब भी पितृसत्ता की गहरी छाया है। इन पंचायत सदस्यों के पति या अन्य परिवारी जन ही पंचायत में असली भूमिका निभाते हैं और जहां बताया जाता है वहां महिलाएं दस्तखत कर देती हैं या अंगूठे का निशान लगा देती हैं। इसी प्रक्रिया में पंचपति, सरपंचपति, प्रधानपति आदि संबोधन सामने आए हैं।

दूसरी ओर, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जो महिलाएं चुनकर पंचायतों में आई हैं, उन्हें पंचायत के वर्तमान सत्ता ढांचे में उनका प्राप्य नहीं दिया जाता। कहीं उन्हें जमीन पर बैठने को मजबूर किया जाता है, कहीं उनकी बात नहीं सुनी जाती और कहीं–कहीं तो उन्हें पंचायत की बैठक में बुलाया भी नहीं जाता। यानी राजनीति और कानून ने महिलाओं को सत्ता में जो हिस्सेदारी बख्शी है, समाज उसे मान्यता देने के लिए अब भी तैयार नहीं है। विडंबना यह है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अनेक गांवों में भी ऐसा होता है। पर कीड़े–मकोड़े शेर की चाल को रोक नहीं सकते। परिवर्तन की दिशा बहुत स्पष्ट है। अब यह महिलाओं पर है कि वे आरक्षण के इस नए आयोजन में सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी की सीढ़ी मानकर संतुष्ट हो जाती हैं या पंचायतों के माध्यम से अपने–अपने गांवों, ब्लॉकों और जिलों की तस्वीर बदलने के लिए भी संघर्ष करती हैं। वास्तव में यह सदाशयी संघर्ष ही समानता के मूल्य को मजबूत करेगा और स्वतंत्रता की मशाल को जलाए रखेगा।

गांधी जी ने गांवों के पुनरुत्थान के लिए गांववासियों के साथ शहरवासियों के लिए भी कर्तव्य निर्धारित किए थे। ग्राम स्वराज का अर्थ ऐसा पूर्ण लोकतंत्र था, जहां केवल उसका ही कानून चले एवं अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं हो। इस परिकल्पना को साकार करने में पुरुष एवं महिला– दोनों की भूमिका अहम थी। आज यह त्रासदी हमें स्वीकार करनी होगी कि सरकारी नीतियों से यह कल्पना नदारद हो चुकी है। वर्तमान पंचायती राज की परिकल्पना में वे बातें हैं ही नहीं। आज के हालात में पंचायतें अपनी हर जरूरतों के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार की ओर मुंह ताकने को विवश हैं। महिलाओं को आरक्षण देने का ढिंढोरा पीटने वाले यह न भूलें कि पंचायती राज की नींव सत्य और अहिंसा पर डाली जानी थी। गांधी जी ने कहा कि अगर पंचायती राज कभी कायम हुआ, तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी– दोनों बराबर होंगे या यों कहिए कि न तो कोई पहला होगा, न आखिरी। आज की पंचायतें तो विकृत एवं दिग्भ्रमित संसदीय लोकतंत्र का और ज्यादा विरूपित ढांचा बन गया है। इसका एक कारण पूरी व्यवस्था का मूल परिकल्पना से परे हट जाना ही है। संसद एवं राज्य विधायिकाओं के चुनाव में जो विकृतियां हैं, वे पंचायत चुनाव में भी हैं। गांधी जी के अनुसार, सत्य और अहिंसा पर ही पंचायती राज के अनुरूप समाज की रचना हो सकती है।

वास्तव में, लोकतंत्र की कोई भी सत्ता आरोपित नहीं हो सकती। बगैर प्रेम, परस्पर विश्वास और एक–दूसरे की भलाई के लिए मर–मिटने की भावना ईश्वर में आस्था के बगैर कैसे आ सकती है? गांधी जी कहते थे कि ईश्वर पर विश्वास करने वाला सत्य और अहिंसा का पुजारी हमेशा अपने गांव की खातिर मिटने को तैयार रहेगा। इस तरह सारा समाज ऐसे लोगों का बन जाएगा, जो उद्धत बनकर कभी किसी पर हमला नहीं करते, बल्कि हमेशा नम्र रहते हैं और अपने में समुद्र की उस शान को महसूस करते हैं, जिनके वे एक जरूरी अंग हैं। स्त्रियों के पुनरुत्थान के बारे में भी उनकी सोच यही थी। उन्होंने लिखा है कि अहिंसक समाज व्यवस्था में जो अधिकार किसी को मिलते हैं, वे किसी न किसी धर्म या कर्त्तव्य के पालन से मिलते हैं। उनके अनुसार सामाजिक आचार–व्यवहार के नियम स्त्री और पुरुष, दोनों आपस में मिलकर और राजी–खुशी से तय करें। वे पुरुषों की सोच में बदलाव की बात तो करते थे और जो परंपरागत सोच शास्त्रों आदि के माध्यम से समाज में रूढ़ हो गई हैं, उन्हें दूर करने के लिए काम करने की वकालत भी करते थे, किंतु उनका मानना था कि इस प्रयत्न के लिए हमें सीता, दमयंती और द्रौपदी जैसी पवित्र और दृढ़ता तथा संयम आदि गुणों से युक्त स्त्रियां प्रकट करनी होंगी। उन्हें आधुनिक युग में वही मान्यता मिलेगी, जो अभी तक हमारे शास्त्रों को प्राप्त है। उनके अनुसार, तभी स्त्री–पुरुष समानता स्थापित हो सकेगी एवं लोकतंत्र में दोनों की भूमिका समान होगी।

(लेखक उप प्रबन्धक के पद पर कार्यरत हैं)
ई–मेल : dr.kaushik@rocketmail.com

चूंकि देश की एक तिहाई से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है इसलिए केन्द्र सरकार की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा योजनाएं गांवों के लिए चलाई जाएं। सरकार की ओर से योजनाएं चाहे जो चलाई जाएं, लेकिन उनके क्रियान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पंचायत की ही होती है। पंचायत की भागीदारी के बिना कोई भी योजना नहीं चलाई जा सकती है। पंचायतों की भागीदारी बढ़ने से ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ गई है। वे चाहकर भी मनमानी नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा हर स्तर पर ग्राम पंचायत का दखल बढ़ने से योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है।

केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत की भूमिका

सुबाष चंद्र पाल

केन्द्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य क्षेत्र में एक के बाद एक योजनाएं चलाई गई, लेकिन उन्हें आशातीत लाभ नहीं मिला। संविधान संशोधन के बाद जब विभिन्न योजनाओं में पंचायतों की भागीदारी बढ़ी तो नतीजे चौंकाने वाले दिखे। पंचायतों ने अपने दखल के जरिए न सिर्फ योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन कराया बल्कि उनका लाभ भी पात्र लोगों को मिला। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 लागू की गई। इसमें ग्रामीण स्तर पर सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही विकेंद्रीकरण और समन्वयन को महत्वपूर्ण माना गया। पंचायतों से कहा गया कि वे ग्रामीण स्वास्थ्य समितियां बनाएं और उसे अपने स्तर पर लागू करें। इसी तरह के अधिकार ब्लॉक एवं जिला स्तर पर भी दिए गए। पंचायतों को यह भी अधिकार दिया गया कि वे सीधे तौर पर पैसा हस्तांतरित करें। इन अधिकारों को प्रदान करने के पीछे मूल वजह थी कि पंचायत अपने स्तर पर बेहतर तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। इसमें भी पंचायत–स्तर पर आशा सहयोगिनी नियुक्त की गई। इस योजना के जरिए देशवासियों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है, साथ ही जनसंख्या नियंत्रण भी। इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल, 2005 को हुई। इसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा में लागू किया गया है।

केन्द्र सरकार इस योजना में अकूत धन खर्च कर रही है। हालात तो यहां तक पहुंच गए हैं कि कई राज्य केन्द्र की ओर से मुहैया कराए गए धन को खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से इस योजना से ग्रामीणों की सेहत में काफी सुधार हुआ है। चूंकि इस योजना की अंतिम इकाई पंचायत है। इसलिए जब तक पंचायतें सक्रिय भूमिका नहीं निभाती तब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। इस योजना के आने के बाद पंचायतों में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य

कार्यकर्ता 'आशा' नियुक्त होने से लोगों को लाभ मिल रहा है। आशा कार्यकर्ता गांव स्तर पर रोग प्रतिरक्षण, सुरक्षित प्रसव, नवजात की देखभाल, जलजनित रोगों आदि की निगरानी करती हैं। वह ग्रामीणों को विभिन्न स्तरों पर जागरूक करती है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2006–07 में इस योजना के तहत जहां ₹ 8207 करोड़ खर्च किए वहीं वर्ष 2009–10 में इसे बढ़ाकर ₹ 1250 करोड़ कर दिया। इसी तरह ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य समितियों का गठन किया जा रहा है। इन समितियों की ओर से निगरानी किए जाने की वजह से ग्राम–स्तर पर तैनात आशा सहयोगिनी नियमित रूप से गांव आती है। समय के साथ यह माना गया कि पंचायत की भागीदारी बढ़ाए बिना योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो सकता है।

उदाहरण के तौर पर हम केरल को ले। यहां पंचायतों ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में इतना बेहतर काम किया कि वर्ष 1996 में यहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पंचायतों के जरिए संचालित करने का फैसला लिया गया। पहले चरण में कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को शामिल किया गया। बाद में नतीजा निकला कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचायतों के अधिकतर चल रहे थे, उनका कार्यकाल सबसे बेहतर रहा। इस तरह राजस्थान में भी कई ग्राम पंचायतों को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए पुरस्कृत किया गया। नतीजे बताते हैं कि जब गांव के लोगों को पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षित किया गया तो वे काफी हद तक जागरूक हुए। इससे विभिन्न रोगों के फैलने पर ग्राम पंचायत की ओर से तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचना मिल जाती है। साथ ही लोगों के त्वरित इलाज की व्यवस्था भी हो जाती है। पंचायतों ने जहां भी रुचि दिखाई वहां की स्वास्थ्य सेवाओं में काफी बेहतरी देखी गई। पंचायतों की ओर से आयोजित किए जाने वाले स्वास्थ्य शिविरों से भी लोगों को फायदा मिला है।

शिक्षा क्षेत्र में पंचायत की भूमिका

केन्द्र सरकार की ओर से पठन–पाठन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर गांव में स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है। स्कूलों के निर्माण में जमीन मुहैया कराने का काम ग्राम पंचायत करती है। स्कूल भवन बनने के लिए जो पैसा शासन से भेजा जाता है, उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी सरपंच को दी गई है। सरपंच और संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से पैसे का लेन–देन होता है। इस तरह देखा जाए तो शिक्षा के विस्तार में पंचायत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। ग्राम पंचायत को यह अधिकार दिया गया है कि अपने गांव में शिक्षा के विकास के लिए प्रस्ताव पारित कर ब्लॉक के माध्यम से जिला पंचायत को भेज सकती है। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी भी पंचायत कर सकती है। शिक्षा व्यवस्था के प्रसार, संसाधनों के विकास में भी ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा विभाग को पंचायती राज के अंतर्गत रखा गया है जबकि कुछ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा विभाग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। लेकिन पंचायत समिति को यह अधिकार है कि वह ग्राम पंचायत में स्थित स्कूल में तैनात लापरवाही बरतने वाले अध्यापकों एवं कर्मचारियों के बारे में उच्चाधिकारियों को लिख सकती है। इसके अलावा विद्यालय में बढ़ने वाले पोषाहार, मध्याह्न भोजन और छात्रवृत्ति वितरण भी ग्राम पंचायत समिति अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही होता है। इसके लिए बाकायदा ग्राम स्तर पर शिक्षा समिति बनाई जाती है, जिसमें वार्ड मेम्बर होते हैं और एक मेम्बर को समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। यह समिति सरपंच की सलाह से काम करती है। समिति की जिम्मेदारी होती है कि वह शिक्षा के संसाधनों के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार करें और उस प्रस्ताव को क्षेत्र पंचायत कार्यालय के माध्यम से जिला पंचायत तक पहुंचाएं। स्कूल में अध्यापकों की कमी होने पर ग्राम पंचायत शिक्षामित्र की नियुक्ति कर सकती है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्र, सतत शिक्षा केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आदि की निगरानी भी ग्राम पंचायत करती है।

पेयजल, जलनिकासी एवं स्वच्छता में पंचायत की भूमिका

केन्द्र एवं राज्य सरकार की कोशिश होती है कि गांव में लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले। इसके लिए सरकार की ओर से बाकायदा पेयजल मिशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य मदों से भी पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। गांव–गांव में हैंडपंप की व्यवस्था की जा रही है, जिन स्थानों पर हैंडपंप संभव नहीं है वहां पाइप लाइन के जरिए जलापूर्ति की जा रही है। कुछ स्थानों पर कुएं खुदवाने के साथ ही टांके और टंकी भी बनवाई जा रही है। सरकारी स्तर पर पेयजल संबंधी होने वाले हर काम का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की ओर से तैयार किया जाता है। ग्राम पंचायत की साधारण सभा की बैठक में तय किया जाता है कि किन स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की जानी है और किन स्थानों पर जलनिकासी की व्यवस्था करनी है। इसके लिए ग्रामसभा में प्रस्ताव पास कर नालियों का निर्माण कराया जाता है। जिन स्थानों पर पानी का अधिक बहाव है वहां पुलिया बनाई जाती है। इसके लिए ग्राम पंचायतों की ओर से ग्रामसभा में सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त रखनी होती है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर बकायदा सफाईकर्मी की नियुक्ति की गई है। सफाईकर्मी के वेतन भुगतान एवं उसके कार्यों की समीक्षा की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की है।

आवास विकास में पंचायत की भूमिका

केन्द्र सरकार की ओर से चल रही विभिन्न योजनाओं के अलावा इंदिरा आवास का प्रस्ताव ग्राम पंचायत को तय करना पड़ता है। ग्राम पंचायत की यह जिम्मेदारी है कि वह ग्रामसभा की बैठक में लोगों से प्रस्ताव मांगे। फिर वरीयता के आधार पर जरूरतमंद लोगों का चयन करें। ग्राम पंचायत शासन की ओर से मिलने वाले धन से ग्रामसभा में निवास करने वालों को आवास के लिए धन उपलब्ध करा सकती है। इसके अलावा आवास संबंधी अन्य योजनाओं के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की ही होती है। ग्राम पंचायत की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव के आधार पर ही क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत प्रस्ताव पारित कर सकती है। गांवों के विद्युतीकरण आदि की व्यवस्था करने के बाबत भी पंचायत प्रस्ताव तैयार करती है।

कानून एवं व्यवस्था में पंचायत की भूमिका

गांव में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए ग्राम पंचायत की ओर से समिति का गठन किया जाता है। गांव में होने वाले किसी भी विवाद को आपसी समझाइश के आधार पर यह समिति निस्तारित करती है। अब पुलिस की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर सुरक्षा समितियों का गठन किया जाता है।

रोजगार सृजन में पंचायत की भूमिका

केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए ग्राम पंचायत गांव के लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। इसके अलावा गांव के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है। साथ ही केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही दूसरी अन्य योजनाओं में भी ग्राम पंचायत की अहम भूमिका होती है। पंचायत तीनों स्तर पर विकास योजनाओं के संबंध में प्रस्ताव तैयार करती है। हालांकि मूल रूप से प्रस्ताव ग्राम पंचायत स्तर पर बने या जिला पंचायत स्तर पर लेकिन विकास तो गांवों में ही होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि गांवों के विकास के लिए केन्द्र सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है, उसके क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

(लेखक पंचायती राज विभाग से जुड़े हैं)
ई–मेल : palsubash91@gmail.com

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

O.P. SINGH'S IAS STUDY GROUP
NALANDA
O.P. SINGH'S
IAS STUDY GROUP
A Premier Institute for IAS
B-13, First Floor, Comm. Complex,
Opp. Meerut Sweets,
Mukherjee Nagar, Delhi-110009
G.S HISTORY
CSAT PUBLIC ADMN.
Classes starting 7days after notification
Batches Starting From 8th Nov-2010.
• Preparation as per the changing pattern. • Regular answer writing practice.
• Interactive approach and regular test series with proper evaluation. • Preparation according to state Civil Services Examination. • Weekend Batches for workihng candidates.
Separate class for English and Hindi Medium.
*Correspondence Course Material Also Available * Hostel Facility Available
Ph.: 011-31905959, 32905959, 47401118, 09711881848
Visit us at: www.opsinghias.com
KH-10-10-3

महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका

उम्र फारूकी

महिला सशक्तिकरण में पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी शुरूआत वर्षों पहले हो गई थी। गांधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी की वकालत की तो यह अनायास ही नहीं थी। वह जानते थे कि जब तक महिलाओं को बराबरी नहीं मिलेगी तब तक उन्हें उनके मूल अधिकार नहीं मिल सकते हैं। इसके विकास के पहले पायदान यानी पंचायत में उनकी भूमिका होनी चाहिए। अगर हम इतिहास पर गौर करें तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारत में सबसे पहले 1931 में महिला पदाधिकार और प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव पारित किया गया। छठीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिलाओं के विकास पर अलग से सोचा गया। देश के इतिहास में 73वां संविधान संशोधन ऐतिहासिक कदम रहा। इसके बाद जब 74वां संविधान संशोधन हुआ तो पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय में महिलाओं की भागीदारी

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को पहले 33 फीसदी और अब 50 फीसदी आरक्षण देने से वे राजनीतिक रूप से सशक्त हुई हैं। अब वे न सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं बल्कि समाज के हित में वाजिब फैसले भी ले रही हैं। वर्ष 2006 में 50 फीसदी आरक्षण देने का कारवां बिहार से चलकर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल में भी पहुंच चुका है। ऐसे में केंद्र की ओर से सभी राज्यों में 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था किए जाने की पहल मील का पत्थर साबित हो रही है। निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में पंचायत ने अमूल्य योगदान दिया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में पंचायत से शुरू हुआ कदम अब उच्च सदन तक पहुंच गया है। इस तरह देखा जाए तो पंचायत से ही महिलाओं के सशक्तिकरण की शुरूआत हुई है।

करीब 10 लाख हुई। आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ 33 फीसदी थी लेकिन वे जीतकर आई करीब 38 फीसदी। इस कदम से महात्मा गांधी के स्वराज की अवधारणा हकीकत में बदलती नजर आई।

73वें संविधान संशोधन के जरिए हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। सबसे ज्यादा खुशियां उन गांवों में मनाई गईं, जहां पंचायती राज होने के बाद भी वह सिर्फ कागजों में दफन थी। लोगों को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ऐसे में संविधान संशोधन कारगर हथियार साबित हुआ और पंचायती राज पूरी तरह से स्वतंत्र और लोकतांत्रिक बन सका। आधी आबादी को भी जनप्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त हुआ, जो संविधान में तो पहले से मिला था, लेकिन पितृसत्ता के सामने संविधान संशोधन में अधिकार होने के बाद भी इस हक से वंचित कर दिया गया था। देश के समग्र विकास में महिलाओं की भागीदारी की बात तो स्वीकार की जाती थी, लेकिन जब उनके हक की बात आती तो पीछे धकेल दिया जाता। जबकि इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की में सहयोग दिया है। घर–परिवार हो या खेत–खलिहान किसी भी जगह आधी आबादी पीछे नहीं रही है।

केंद्र की यूपीए सरकार की ओर से लागू किया गया साझा न्यूनतम कार्यक्रम एवं पंचायती राज को आर्थिक व सामाजिक न्याय के दो प्रमुख कार्यों के साथ पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दिए जाने से स्थिति और चमकदार हुई। महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने से करीब 15 लाख महिलाओं को ग्राम पंचायतों एवं शहरी निकायों के चुनाव में भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ है। अब देश में करीब 43 फीसदी तक महिला प्रतिनिधि चुनी गई हैं।

केंद्र सरकार लगातार पंचायती राज संस्थाओं को जमीनी–स्तर पर मजबूत बनाने के प्रयास में लगी है। ग्रामीण व्यापार केंद्रों की स्थापना, ई प्रशासन योजना आदि गांवों की तस्वीर बदलने लगे हैं। इससे जहां लोगों में जागरुकता आई है वहीं लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है। पंचायती राज के सुदृढ़ होने से राजनीति में नई पीढ़ी का उदय भी हुआ है। सरकार की ओर से पंचायती राज को और सुदृढ़ करने के लिए उठाए जा रहे नित नए कदम से लोगों में नया विश्वास जगा है। सबसे निचली पंचायत ग्राम–सभा से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। अब स्थिति यह है कि पंचायत में भागीदारी होने के साथ ही उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। उनमें जागरुकता आई है और वे छोटे–छोटे स्वयंसहायता समूहों के जरिए स्वरोजगार अपना रही है और विकास में अपना सहयोग दे रही हैं। इस तरह कहना गलत नहीं होगा कि पंचायत से ही महिलाओं के सशक्तिकरण अभियान को गति मिली। जब पंचायत में उनकी भागीदारी बढ़ी तभी वे हर दिशा में आगे निकल पाई है। अब तो संसद तक उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है।

विभिन्न राज्यों में महिलाओं की भागीदारी

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वर्ष दो हजार में पूरे देश में महिला सरपंच 7,72,677 थीं वहीं 2004 में उनकी संख्या 8,38,245 तक पहुंच गई। इसी तरह पंचायत समिति में वर्ष 2000 में महिलाओं की संख्या 38,412 से 2004 में 47,455 हो गई। जिला पंचायत में वर्ष 2000 में 4088 से वर्ष 2004 में 4923 तक पहुंच गई। आरक्षित सीटों के अलावा कई स्थानों पर सामान्य सीट पर भी महिलाएं कब्जा जमाने में

सफल रहीं। सरकार की ओर से पंचायत में मात्र 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्यवार महिला जनप्रतिनिधियों की स्थिति देखें तो केरल में सर्वाधिक 57.24 फीसदी महिला जनप्रतिनिधि हैं। इसी तरह आंध्रप्रदेश में 33.04 फीसदी, असम में 50.38 फीसदी, छत्तीसगढ़ में 33.75 फीसदी, गुजरात में 49.30 फीसदी, कर्नाटक में 43.60 फीसदी, तमिलनाडु में 36.73 फीसदी, उत्तरांचल में 37.85 फीसदी, पश्चिम बंगाल में 35.15 फीसदी महिलाओं की भागीदारी है। इस तरह औसत भागीदारी करीब 40 फीसदी से अधिक है।

अभी और बढ़ाने होंगे कदम

संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन अभी समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। आधी आबादी के मन में अभी भी संशय बना हुआ है। इसके पीछे मूल कारण है अशिक्षा। जो पंचायत प्रतिनिधि शिक्षित हैं वे तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। सरकार की ओर से भी उन्हें सहयोग मिल रहा है, लेकिन जहां अभी तक शिक्षा का अभाव है वहां महिला पंचों की भागीदारी अभी भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीण इलाके में अभी भी महिलाएं प्रर्दा प्रथा, रूढ़िवादिता आदि के जंजाल में जकड़ी हुई हैं। यही वजह है कि वे पंचायत की बैठकों में जाने से कतराती हैं। इस प्रवृत्ति को खत्म करना होगा। जो महिलाएं जनप्रतिनिधि चुनी जाती हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर स्टांपपैड नहीं बनना होगा। बल्कि अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए पंचायत से जुड़े फैसले खुद करने होंगे। पुरुष वर्ग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी मानसिकता बदले और आधी आबादी को सहयोग दें। जिन स्थानों पर महिलाएं अशिक्षित हैं वहां की महिलाओं को प्रशिक्षण दिए जाने की जरुरत है क्योंकि समानता की स्थिति आरक्षण के बाद भी नहीं बन पा रही है। समाज के आधे हिस्से की यह परतंत्र चेतना अगर आजाद नहीं हुई और इसे सही दिशा एवं दृष्टि नहीं मिली तो यह प्रगति की राह सुलभ नहीं होगी। पुरुष वर्ग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी मानसिकता बदले और आधी आबादी को सहयोग दें।

जिन स्थानों पर महिलाएं अशिक्षित हैं वहां की महिलाओं को प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है क्योंकि समानता की स्थिति आरक्षण के बाद भी नहीं बन पा रही है। समाज के आधे हिस्से की यह परतंत्र चेतना अगर आजाद नहीं हुई और इसे सही दिशा एवं दृष्टि नहीं मिली तो यह प्रगति की राह सुलभ नहीं होगी। गांवों में स्वतंत्र चेतना विकसित करने की जरूरत है। अब ग्राम विकास के सभी क्षेत्र पंचायतों के अधीन कर दिए गए हैं। सिर्फ इतने अधिकार मिल जाने से काम नहीं होगा बल्कि सहज ढंग से रास्ता तय करना होगा। सभी को अपनी भागीदारी निभानी होगी। इसके लिए कौशल की जरूरत है। एक समझ की जरूरत है जिससे योजना तैयार की जा सके और उसे क्रियान्वित किया जा सके। अगर गांव में इसके लिए सही रास्ता तैयार नहीं किया तो पंचायती राज की वह संभावना नष्ट हो जाएगी, जो गांव के लिए सकारात्मक भूमिका लेकर आई है। इसलिए यह सिर्फ महिलाओं का मसला नहीं है। ग्राम पंचायत को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के लिए हर मतदाता को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पंचायती राज के गर्भ में कई संभावनाएं विद्यमान हैं। इसके माध्यम से हम पूरे सामाजिक ढांचे को बदल सकते हैं बशर्ते हम सकारात्मक सोच से आगे बढ़ें। भारत का भविष्य सच्चे लोकतंत्र का भविष्य हो, इसके लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर तैयार रहना होगा। गांव के स्तर पर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करना होगा।

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएं

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पंचायत चुनाव हो रहा है। इसके लिए 19 जून को शासनादेश जारी किया जा चुका है। हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यहां महिलाओं के लिए सर्वाधिक पद आरक्षित किए गए हैं। ग्राम पंचायतों में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए हैं तो जिले में 24 पद विभिन्न वर्गों के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस बार आबादी के अवरोधी क्रम के अनुरूप चुनाव आरक्षण की व्यवस्था नए सिरे से हुई है। ऐसे में अभी तक जिन सीटों पर वर्षों से पुरुष वर्ग का ही कब्जा था, वे महिलाओं के हिस्से आ गई हैं। वैसे भी अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रधान पद पर महिलाओं की भागीदारी 51 फीसदी थी। इसी तरह ग्राम पंचायत सदस्य पद पर महिलाओं की भागीदारी 38 फीसदी क्षेत्र पंचायत प्रमुख 53 फीसदी, क्षेत्र पंचायत सदस्य 37 फीसदी, जिला पंचायत अध्यक्ष 71 फीसदी, जिला पंचायत सदस्य 40 फीसदी थी।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी का इतिहास

- वर्ष 1946 में संविधान सभा के 150 सदस्यों में 16 महिलाओं को शामिल किया गया।
- 1961 में महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति एक्ट लागू हुआ, पूरे राज्य में दो महिलाओं ने नामांकन किया लेकिन वे चुनाव जीत नहीं पाईं।
- 1973 में पश्चिम बंगाल पंचायत एक्ट लागू हुआ और दो महिलाएं चुनी गई।
- 1983 में कर्नाटक में महिलाओं को 25 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह एक्ट 1987 में लागू हुआ और इस एक्ट के तहत 1987 में हुए चुनाव में 30 हजार उम्मीदवारों ने नामांकन किया जिसमें 14 हजार महिलाएं चुनी गईं।
- 1988 में करीब 22 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में आम चुनाव हुआ। इस दौरान सिर्फ एक महिला चुनी गई।
- 1991 में उड़ीसा में पंचायत समिति में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। 1992 में हुए चुनाव में 22 हजार महिलाएं चुनी गईं। इस चुनाव में महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी 35 फीसदी तक पहुंच गई।
- 1994 में महिला आरक्षण लागू होने के बाद अकेले मध्यप्रदेश में 1,50,500 महिलाएं जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर चुनी गईं।

पंचायत से संसद तक महिला सशक्तिकरण

पंचायत में महिलाओं को 33 और फिर 50 फीसदी आरक्षण मिलने के बाद अब संसद में भी 33 फीसदी आरक्षण होने जा रहा है। क्योंकि पंचायत में जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी उसी तरह से संसद में भी उनकी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह देखें तो अगर पंचायत से यह शुरुआत न हुई होती तो यह कदम संसद तक पहुंच पाएगा, यह कहना मुमकिन नहीं था। वास्तव में विश्व–स्तर पर महिलाओं की 33 फीसदी संसदीय भागीदारी की अवधारणा 1995 में संयुक्त राष्ट्र की बीजिंग में हुई चौथी विश्व महिला कांफ्रेस में आई। इसमें कहा गया कि प्रजातांत्रिक संस्थाओं में कम से कम 33 फीसदी महिला भागीदारी होनी चाहिए। केन्द्र सरकार की बात करें तो 1995 में सरकार ने 30 फीसदी महिला उम्मीदवार की प्रतिबद्धता का बिल पेश किया था, लेकिन विरोध हुआ। इसके बाद 12 सिंतबर 1996 को लोकसभा भंग होने के कारण यह बिल अधर में रह गया। इसके बाद 26 जून 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पेश किया। मई 2003 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार ने भी इस विधेयक को संसद में लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। फिर मनमोहन सिंह सरकार ने 6 मई, 2008 को 108वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा के बजाय राज्यसभा में पेश किया। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 4 जून, 2009 को 15वीं लोकसभा के अभिभाषण में सरकार की सौ दिनों की प्राथमिकताओं में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देना घोषित किया।

दुनिया में महिलाओं की भागीदारी

भारत की संसद में महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है। यहां लोकसभा में 10.8 और राज्यसभा में 9 फीसदी महिलाओं की मौजूदगी है। इस मामले में भारत दुनिया में 99वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर–संसदीय संघ (आईपीयू) की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान लोकसभा के 545 सदस्यों में 59 और 233 सदस्यीय राज्यसभा में सिर्फ 21 महिला सांसद हैं। वहीं पाकिस्तान 49वें नम्बर पर काबिज है। वहां उच्च सदन में 17 फीसदी और निचले सदन में 22 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस सूची में चीन 21.3 फीसदी के साथ 55वें और बंगलादेश 21.3 फीसदी के साथ 67वें स्थान पर है। श्रीलंका 125वें स्थान पर है। वहां की 225 सदस्यीय नेशनल असेंबली में सिर्फ 13 महिलाएं हैं। अफ्रीकी देश रवांडा सबसे ऊपर है। रवांडा के निचले सदन में 53 फीसदी व उच्च सदन में 34 प्रतिशत महिलाएं हैं। दक्षिण अफ्रीका तीसरे स्थान पर है। सूची में चौथा स्थान क्यूबा, पांचवां आइसलैंड का और छठा फिनलैंड का है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी इस मामले में काफी पीछे है। उसे सूची में 74वां स्थान मिला है। सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे 12 देशों में महिला सांसदों की भागीदारी शून्य है। ब्रिटेन के 646 सदस्यीय निचले सदन हाउस आफ कामंस में 128 महिला सांसद हैं यानी 20 फीसदी। भारत से पहले नेपाली संसद में महिलाओं की भागीदारी जहां 18.7 प्रतिशत है तो अरब देशों में मात्र 10.1 प्रतिशत।

(लेखक अधिवक्ता हैं एवं विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हैं)
ई–मेल : umarfaruqui@gmail.com

ग्राम पंचायतों में आपदा प्रबंधन

आपदाओं से निपटने एवं त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए पंचायतें सक्षम होनी चाहिए। पंचायतों को ऐसी तैयारियां रखनी चाहिए कि कोई दुर्घटना घटे ही नहीं। यदि कोई प्राकृतिक प्रकोप हो भी जाए तो उन पर शीघ्र काबू पाया जा सके। पंचायतों को अपने कार्यालय में सभी विभागों के पते, टेलीफोन नम्बर आदि रखने चाहिए जिससे आपदा के समय उनका उपयोग किया जा सके।

प्रतापमल देवपुरा

कभी–कभी गांवों में कई प्रकार की दुर्घटनाएं या प्राकृतिक प्रकोप होते रहते हैं। इन आपदाओं के कारण प्रतिवर्ष हजारों लोग अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। मरने वालों से कहीं ज्यादा लोग घायल और बीमार भी हो जाते हैं। इन पर काबू पाने के लिए प्रशासनिक तंत्र एवं पुलिस के पहुंचने से पहले ही काफी जन–धन की हानि हो जाती है।

स्थानीय संगठन एवं संस्थाओं की भूमिका

आपदा के समय तत्काल सहायता के लिए स्थानीय समुदाय, उसके संगठन एवं सरकारी व गैर–सरकारी संस्थाओं का महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। यदि सहायता पहुंच भी जाए तो कहां किस प्रकार की मदद जरूरी है, वह भी स्थानीय समुदाय ठीक तरह से तय कर सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि स्थानीय समुदाय को आपदाओं के प्रति जागरूक करना चाहिए। हमारे देश में ग्रामीण स्तर पर पंचायतें गठित की गई हैं। अनेक सामाजिक संगठन सहायता एवं सहयोग के लिए कार्य करते हैं। यदि ये सभी आपदा के समय मिलकर उनका सामना करें तो ऐसे संकटों का प्रभाव घटाया जाना संभव है।

जोखिम कहां है ?

स्थानीय समुदाय को अनेक बार यह जानकारियां रहती हैं कि जोखिम कहां है, इससे प्रभावित कौन होगा और जोखिम का समाधान क्या है? जहां कुछ प्रकार के जोखिम अवश्यंभावी है और वे अचानक होते हैं उनका निवारण संभव नहीं है परंतु स्थानीय समुदाय जोखिम के प्रभाव और संभावना को कम करने की क्षमता रखता है। दृढ़ संकल्प एवं योजना बनाकर समुदाय की सक्षमता बढ़ाई जा सकती है जिससे कि समुदाय जोखिम का मुकाबला कर सके।

पंचों, सरपंचों का यह दायित्व है कि वे अपने क्षेत्र में आने वाली आपदाओं के समय लोगों की सहायता के लिए जल्दी आगे आएं। पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर उपलब्ध साधनों को भी गांव तक लाकर उससे लोगों की मदद करें। गांव में आने वाली आपदाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं। वे दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, मानवकृत आपदाएं हो सकती हैं। आपदाओं के कारण जन–धन की हानि होती है। इन्हें रोकने अथवा सहायता पहुंचाने का प्रबंध किया जाना चाहिए।

दुर्घटनाएं

- **सड़क दुर्घटनाएं** – राजमार्गों एवं गांव की सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इससे कई लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाती है। गलत दिशा में चलने, ओवरटेक करने, नशे व लापरवाही से तेज वाहन चलाने, खराब सड़कों, रोड संकेतकों एवं गति अवरोधों के नहीं होने, वाहन में तकनीकी खराबी होने आदि से सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं। पंचायतों को चाहिए कि वे अपने पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाले मार्गों की मरम्मत कराएं एवं सुरक्षा की दृष्टि से देखरेख रखें।
- **मकान गिरने से** – प्रायः तकनीकी दृष्टि से मकान ठीक से नहीं बनवाए जाते हैं तथा मरम्मत भी समय पर नहीं करवाते हैं। इससे मकान की छतें, दीवारें, बरामदे कमजोर होकर गिर जाते हैं। पंचायत को चाहिए कि वर्षा से पूर्व ही ऐसे जर्जर मकानों, स्कूलों, सामुदायिक भवनों की सूची बना लें। संबंधित व्यक्ति को उन्हें दुरूस्त करने हेतु नोटिस दे दें। ध्यान न देने पर पंचायत ऐसे भवन को गिरवाकर सम्बन्धित से खर्च वसूल करें।
- **आग लगने से** – कभी–कभी जलती हुई बीड़ी–सिगरेट के ठूंठ हर कहीं डालने, पटाखे छोड़ने, गैस सिलेण्डर या स्टोव फटने तथा अंगीठी या चूल्हे को पूरी तरह नहीं बुझाने से आग लग जाती है। इससे खेत, घर तथा इकट्ठी की गई घास के ढेर जलकर स्वाहा हो जाते हैं। जल्दी से आग नहीं बुझा पाने के कारण यह आग बस्ती तथा जंगलों में फैल जाती है। इससे पशु, पक्षी तथा जन–धन की काफी हानि होती है।
- **उद्योगों में** – आटा चक्की, आरामशीन, तेल घाणी, कृषि यंत्रों आदि से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं में उंगलियां, हाथ, पैर या शरीर के भाग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
- **कीटनाशक दवाओं के दुष्प्रभाव से** – सब्जियों तथा फसलों पर कीटनाशी दवाओं के दुष्प्रभाव से भी कई लोग बीमार हो जाते हैं।

प्राकृतिक आपदाएं

- **महामारियां** – कभी–कभी मलेरिया, प्लेग, हैजा, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। आवागमन के साधनों की सुविधा बढ़ने से ये बीमारियां तेज गति से फैलती हैं। यदि अपने क्षेत्र में कई लोग एक साथ बीमार हो तो शीघ्रता से निकट के अस्पताल तथा जिला मुख्यालय के चिकित्सा अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। बचाव के उपाय भी करने चाहिए। रोग अधिक न फैले इस हेतु ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा का वितरण करना चाहिए। पानी उबालकर पीना तथा सार्वजनिक स्थानों की सफाई आदि के बारे में ध्यान रखना चाहिए।
- **जानवरों की बीमारी** – कभी–कभी जानवरों में कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं–जैसे खुरपका, मुंहपका आदि। इन बीमारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला पशु चिकित्सालय में सूचना भिजवा देनी चाहिए। रोगग्रस्त मृत पशुओं से बीमारी फैलने का डर हो तो उन्हें जला डालना चाहिए अथवा जमीन में गाड़ देना चाहिए।

- **फसल की बीमारियां** – फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के प्रकोप से बीमारियां फैल जाती हैं। इन पर शीघ्र ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवाना चाहिए एवं टिड्डी दल के आने पर धुआं करना, ढोल बजाना आदि उपाय करने चाहिए।
- **भूकम्प** – भूकम्प अचानक आते हैं। लोगों की मदद के लिए सेवादल, डॉक्टर आदि को तत्काल घटनास्थल की ओर भेजने का प्रबंध करे। फंसे हुए लोगों के लिए राहत, भोजन, पानी, चिकित्सा का प्रबन्ध करना चाहिए।
- **बिजली गिरना** – प्रभावित लोगों एवं भवनों की मदद का प्रबन्ध करना चाहिए।
- **बाढ़, सूखा एवं अकाल** – कभी–कभी इतनी तेज वर्षा होती है कि तालाब टूट जाते हैं, नदियों–नालों में उफान आ जाता है, फसलें खराब हो जाती हैं, आवागमन के रास्ते टूट जाते हैं। इनकी समय पर मरम्मत कराते रहें। कभी–कभी लगातार तीन–चार वर्ष तक वर्षा नहीं होती तथा अकाल पड़ते रहते हैं। लोग भूखे रहने को मजबूर हो जाते हैं। लोग मजदूरी को तरसते हैं। पशु पलायन कर जाते हैं। भोजन, चारा, पानी एवं रोजगार की व्यवस्था करना पंचायत की जिम्मेदारी है।
- **हिंसक जानवरों का उत्पात** – गांव में हिंसक जानवर घुस आते हैं तथा मवेशियों व बच्चों को उठा ले जाते हैं। वन विभाग को सूचित कर इन्हें पकड़वाया जाना चाहिए।

अन्य आपदाएं

- **दंगा–फसाद या झगड़ा** – अफवाहें फैलने, गलतफहमी होने या राजनैतिक विद्वेष से, धार्मिक या उन्माद पर लोगों के अड़ियल रूख के कारण दंगे हो जाते हैं। इन्हें राजनैतिक रंग दे दिया जाता है। कभी–कभी पारिवारिक झगड़े हो जाते हैं। ये झगड़े कभी–कभी वीभत्स रूप धारण कर लेते हैं। पत्थरबाजी, लूटपाट, आग लगाना एवं छुरेबाजी से कई जानें चली जाती हैं। कभी–कभी झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं। इनकी जानकारियां देकर सच्ची बात से लोगों को अवगत करवाना चाहिए। अफवाह फैलाने वाले को दंडित कराएं। दंगे की आशंका होते ही पंचायत को चाहिए कि दोनों पक्षों में समझाइश कराने का प्रयत्न करें। यदि बात अधिक बिगड़ती हो तो प्रशासन व पुलिस को तुरंत सूचित करना चाहिए।
- **अन्धविश्वास** – कई प्रकार के अन्धविश्वास फैलाए जाते हैं। महिलाओं को भूत, प्रेत, डायन समझकर मार दिया जाता है, बालकों की बलि चढ़ाई जाती है, जंगल जला दिए जाते हैं। पंचायतों का कर्त्तव्य है कि लोगों में फैले ऐसे अंधविश्वासों को दूर करें।
- **ठगों, चोर व डाकुओं का आतंक** – नकली डॉक्टरों, नकली वस्तुएं व दवा बेचने वालों, जादूगरों, साधु–संन्यासियों के वेष में ठग–उचक्के आते हैं तथा भोले–भाले ग्रामीणों को ठग कर चले जाते हैं। कभी–कभी चोर, लुटेरे व जेबकतरों के दल आते हैं तथा अप्रिय वारदातें करके भाग जाते हैं। लोगों को ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने की हिदायत दी जाए तथा पकड़ में आने पर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए।
- **अन्य** – पेड़ों अथवा मकानों से नीचे गिरने, कुओं अथवा गड्ढों में गिरने, करंट लगने, जहरीले व हिंसक जानवरों के काटने से लोग घायल हो जाते हैं। उनकी तत्काल सहायता की जानी चाहिए।

समन्वय समितियों का गठन : गांव में स्थायी आपदा समन्वय समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है। अक्सर छोटी या बड़ी आपदाओं में समन्वय की कमी के कारण राहत और मदद

समय पर प्रभावित स्थान या व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती। राहत एजेंसियों के बीच समुचित तालमेल के अभाव की वजह से राहत कार्य ठीक से नहीं चल पाते और ज्यादातर राहत सामग्री भी बर्बाद हो जाती है। वास्तव में सरकारी और गैर–सरकारी संस्थाओं में समन्वय बेहद जरूरी है। यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रखंड तथा जिलों के प्रमुख अपने क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं व सरकारी कर्मचारियों का मिलाकर एक प्रभावी तंत्र पहले ही तैयार रखें। यह तंत्र हर आपदा की स्थिति में समन्वित व आपसी सहयोग से काम करे। समन्वय समिति में अवकाश प्राप्त सैनिक, अधिकारी, चिकित्सक, इंजीनियर, योजनाकार आदि जो भी हो, गांवों में शामिल रहें जिससे उनके विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल का उपयोग आपदा प्रबन्धन में किया जा सके। समिति के सदस्यों को समय–समय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता रहेगी।

आपदा पुनर्वास केन्द्र : गांव में आपदा पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। ये केन्द्र इतने चुस्त–दुरुस्त रहें कि सूचना मिलते ही राहत की व्यवस्था निर्धारित स्थान पर पहुंच जाए। हमारे देश में आपदा राहत केन्द्र एवं पुनर्वास केन्द्र आम दिनों में उपेक्षित ही रहते हैं। जहां जिस प्रकार की आपदाएं आने की संभावना ज्यादा रहती है, वहां उन केन्द्रों पर उसी के अनुरूप तैयारियां की जानी चाहिए। इन केन्द्रों पर दवाईयां, भोजन, पानी, टेन्ट, कपड़े, कंबल आदि सामग्री के सुरक्षित भंडार उपलब्ध रहे। आपदा प्रबन्धन के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। पुनर्वास की व्यवस्था टिकाऊ, प्रभावी व पर्याप्त सूझबूझ एवं समुचित संयोजन पर आधारित होनी चाहिए।

आपदा प्रबन्धन का प्रवेशद्वार स्कूल : स्कूल किसी भी समुदाय के भरोसे का प्रतीक होते हैं। आपदा के समय अक्सर स्कूलों को शरणस्थली बनाया जाता है। यहीं पर स्वास्थ्य सेवाएं और खाने–पीने की चीजें भी एकत्रित कर उन्हें बांटा जाता है। पुलिस, सेना अपना पड़ाव प्रायः वहीं डालती है। स्कूल शिक्षा का केन्द्र होने से नागरिक जागरुकता में भी मदद कर सकते हैं। स्कूल 'जोखिम शिक्षा' के लिए माकूल माहौल बनाते हैं। स्कूली बच्चों, शिक्षकों और अन्य लोगों को आपदा व उसके निवारण के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। जागरुकता बढ़ाना सफल आपदा प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कार्य स्कूल के माध्यम से किया जा सकता है। गांवों में स्कूल का पक्का, अच्छा एवं थोड़ी ऊंचाई पर बना भवन आपदा के समय श्रेष्ठ शरणस्थल बन सकता है। अतः स्कूल एवं चिकित्सालय निर्माण के समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि आपदा के समय ये स्थान अच्छे शरणस्थल साबित हो सकते हैं। यदि संभव हो तो इन्हें आसपास बनवाएं।

वैकल्पिक संचार प्रणाली

एक प्रभावी सूचना प्रणाली के माध्यम से आपदा राहत समिति को सक्रिय किया जा सकता है। त्वरित सूचना और समन्वय का प्रभावी तंत्र कुशल आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण शर्त है। प्रायः आपदा के समय संचार तंत्र, विद्युत व्यवस्था अथवा आवागमन के साधनों में बाधाएं आ जाती है। इसके लिए वैकल्पिक संचार प्रणाली की भी व्यवस्था रहनी चाहिए। ध्यान रहे कि यह संचार प्रणाली आत्मनिर्भर हो जैसे बैटरी से चलने वाला रेडियो या इंटरनेट आदि। सही एवं समय पर सूचना लोगों की जान बचाने के लिए आवश्यक है।

सामुदायिक आपदा प्रबन्धन कोष : समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन के लिए संस्थानीकरण के अलावा अन्य महत्वपूर्ण

आवश्यकता है व्यय हेतु कोष जुटाना। स्थानीय समुदाय के नियंत्रण में एक कोष का विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए घर–घर से चंदा जुटाकर सामुदायिक आपदा कोष बनाया जाए। सरकार भी आनुपातिक मदद करे। कोष में लोग अपनी आय का एक अंश अपनी सुरक्षा के लिए नियमित रूप में देते रहें। इन निधियों का इस्तेमाल आपदाओं का बुरा असर कम करने के लिए तत्काल किया जा सकता है।

आपदाओं पर नियंत्रण में पंचायतों की भूमिका

गांवों में दुर्घटनाएं रोकने, उन पर नियंत्रण करने एवं निपटाने में पंचायतों को सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। इस हेतु निम्नानुसार उपाय किए जा सकते हैं:–

- पंचायत घर में फोन की सुविधा हो एवं प्रशासनिक कार्यालयों, पुलिस नियंत्रण कक्ष, अस्पताल, अग्निशमन केंद्रों के दूरभाष नम्बर की सूची लगी होनी चाहिए।
- लोगों को सड़क पर चलने तथा वाहन चलाने के नियमों का ज्ञान कराना चाहिए। सड़क, मार्गों एवं मोड़ों पर आवश्यक संकेतक लगाने चाहिए।
- सड़कें चौड़ी करवाना, समय–समय पर मरम्मत करवाना, बाईपास बनवाने, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, रेलवे क्रॉसिंग, नदियों पर पुल आदि बनवाने चाहिए।
- सरकारी कार्यालयों, बसों एवं सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट–बीड़ी पीने पर कानूनन रोक है। इसका सख्ती से पालन कराएं।
- कीटनाशक दवाओं के प्रति सावधानी रखने की जानकारी दी जानी चाहिए।
- लोगों को आग से सुरक्षा के उपाय सिखाने चाहिए। अग्निशमन यंत्र एवं आग बुझाने की सामग्री, बाल्टियां, कुदाली, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि भी पंचायत में उपलब्ध होने चाहिए।
- गांव के उत्साही तथा सेवा–भावी नौजवानों का एक दल बनाना चाहिए। इन्हें दुर्घटनाओं एवं आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इन युवकों को अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी दी जानी चाहिए।
- मृत्यु एवं प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि के पुनर्भरण हेतु सरकार तथा बीमा कम्पनियों की विभिन्न योजनाएं हैं जिनकी जानकारी देकर पीड़ितों को सहायता दिलानी चाहिए।
- आपदा में फंसे लोगों के लिए भोजन, शुद्ध जल एवं आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आमतौर पर यह समझा जाता है कि आपदा प्रबंधन सरकार का काम है इसलिए हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। विडम्बना यह है कि आपदाओं का मुख्य शिकार तो आम आदमी होता है। इसलिए जरूरी है कि हम नागरिक पहल करके आपदाओं पर काबू पाने का प्रयत्न करें। आपदा के समय एवं बाद में भी लोगों के पुनर्वास का उचित प्रबन्ध करें। आपदा प्रबन्धन में सही निगरानी और मूल्यांकन भी एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि हम आपदा का सही मूल्यांकन कर सकें तो राहत भी सही तरीके से पहुंचा सकते हैं। आपदाओं में हमें धीरज, विवेक, सहनशीलता से निबटना चाहिए। आपदाओं से बचने के लिए मानव समाज का संवेदनशील होना बेहद जरूरी है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार है)
ई–मेल : pmdevpura@gmail.com

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।
शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)
डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।
कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर निदेशक, प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय हो।
नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....
पता .....
..... पिन .....
इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली–110 066

ग्रामीण शिक्षा में पंचायती राज का योगदान

अश्वनी

आज यह महत्वपूर्ण एवं जरूरी प्रतीत होता है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों तथा शासकीय अधिकारियों को प्रभावी एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं को ठीक-ठीक ज्ञान होना जरूरी है। इस तरह पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा ग्रामीण शिक्षा को सुधारा जा सकता है लेकिन यहां यह ध्यान देना भी जरूरी है कि विद्यालय राजनीतिक तथा पारिवारिक समस्याओं का अखाड़ा न बन जाए। इसके लिए आवश्यक है कि जन-प्रतिनिधि दृढ़ इच्छाशक्ति और स्पष्ट संकल्प के साथ विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण तैयार करने में अपना योगदान दें।

पंचायती राज व्यवस्था : शैक्षिक संदर्भ में

प्राथमिक शिक्षा के स्थानीय प्रसार का सिलसिला बहुत पहले 1882 में ही लार्ड रिपन के ऐतिहासिक प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ था। हंटर आयोग (1882) ने शिक्षा का व्यय, निरीक्षण, प्रबंध संबंधी उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों को सौंपा था। कोठारी कमीशन (1966) ने कहा कि राष्ट्रीय नीति के रूप में सारे राज्यों का तात्कालिक लक्ष्य यह होना चाहिए कि स्थानीय जन समुदाय को अर्थात देहाती क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं को उनके स्थानीय स्कूलों के साथ सहयोजित किया जाए और सारे व्यय की व्यवस्था का दायित्व उन्हीं का रहे। इसके लिए राज्यों से वे आवश्यकतानुसार उपयुक्त सहायक अनुदान प्राप्त करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में कहा गया है कि 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' कार्य में शासन, स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तियों की पूरी भागीदारी होगी। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने का अधिकतर कार्य स्वयंसेवी संस्थाएं और पंचायती राज की संस्थाएं करेंगी। शैक्षिक विकास के विभिन्न स्तरों पर आयोजन, समन्वयन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन में केन्द्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर की एजेंसियां सहभागिता निभाएंगी। राममूर्ति समिति (1990) के विचार में तीन मुख्य बातें आई हैं–''शिक्षा का सर्वीकरण, व्यावसायीकरण तथा विकेंद्रीकरण। शिक्षा की योजना तथा प्रबंध के क्षेत्र में हर स्तर पर केन्द्र से राज्य स्तर पर, राज्य से जिला स्तर पर, जिले से खंड स्तर पर और खंड से गांव तथा बस्ती पर विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है।

श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में **''शिक्षा का विकेंद्रित प्रबंध''** पर गठित समिति ने जिला ब्लॉक और गांव स्तर पर 'शिक्षा के प्रबंध' पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में व्यापक स्तर पर दिशा–निर्देश बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 (NCERT) ने भी ग्राम पंचायत, ताल्लुक पंचायत, जिला पंचायत को शिक्षा संबंधी कार्यों व शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान का बेहतरीन उपकरण माना है। समिति ने यह सुझाव दिया कि विकेन्द्रीकरण निचली स्तरीय नौकरशाही पर बोझ ना बने। इसलिए आवश्यक लचीलापन और स्वायत्तता शिक्षा व्यवस्था में जरूरी है।

73वें संविधान संशोधन के द्वारा विकेन्द्रीकरण की विचारधारा में शिक्षा को भी महत्व दिया गया है। गांव की शिक्षा व विद्यालयों की व्यवस्था की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपकर स्थानीय समुदाय का महत्व भी शिक्षा व्यवस्था में समझा गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा व पुस्तकालय शामिल है जिनमें पंचायती राज संस्थाएं कार्य कर सकती हैं। इस तरह से ''पंचायती राज और शिक्षा : एक संभावित अवधारणा'' का जन्म हुआ।

प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल, 2008 को जिला परिषद व पंचायत समिति अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा था कि पंचायतें ''सभी के लिए शिक्षा'' अभियान में स्थानीय स्कूलों के प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन प्रयासों के तहत अब हम देश के सभी रिहायशी भागों में स्कूल खोल सकते हैं। हमने पूरे देश में मीड–डे–मील योजना शुरू की है और पंचायतें इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पोषण खाद्य कार्यक्रमों में खास ध्यान देने की जरूरत है। 'अंतर्निहित बाल विकास योजना' में भी स्थानीय पंचायतों को शामिल करना चाहिए। इस तरह पंचायतों को सीधे तौर पर सहभागिता की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कार्यक्रमों में महत्व दिया जा रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्वशिक्षा अभियान के तहत पंचायतों को सर्वशिक्षा अभियान के नियोजन, मॉनीटरिंग और कार्यान्वयन में शामिल किया गया है। नई अवधारणा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों अथवा ग्राम सभाओं की उप–समितियों के

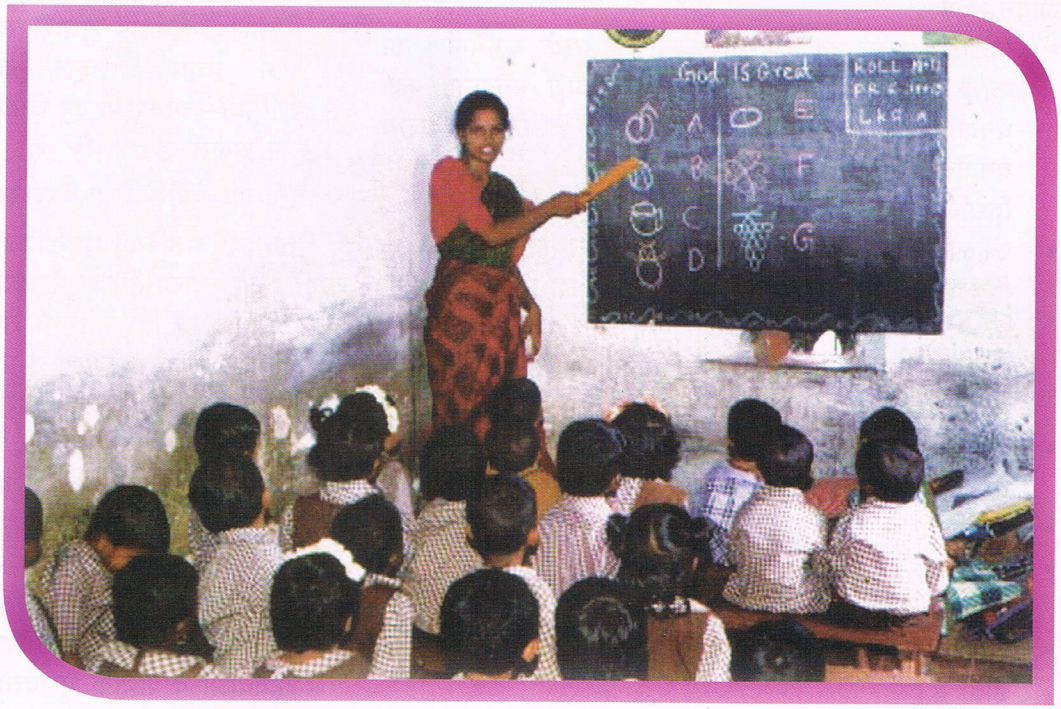

रूप में ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्कूल प्रबंधन तथा विकास समितियां गठित की गई हैं।

पंचायती राज व शिक्षा अध्ययन क्षेत्र का अनुभव

शोधार्थी ने अपने शोध के सर्वेक्षण के दौरान बिहार, मध्य–प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में पाया कि ग्राम पंचायत के मुख्य रूप से निम्न कार्य और उत्तरदायित्व विद्यालयी जीवन में हैं :

- विद्यालय भवन की देखरेख करना व उसके नवनिर्माण का कार्य करना। जैसे स्कूल की चहारदीवारी बनवाना, फर्श बनवाना, खेल के मैदान का मिट्टी भराव करवाना, शौचालय बनवाना, स्कूल की छत की टूट–फूट को ठीक करवाना, विद्यालय भवन के दरवाजे, खिड़की लगवाना इत्यादि।
- स्कूलों में विद्यार्थियों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन के वितरण का ग्राम पंचायत के द्वारा ध्यान रखा जाता है जिसमें भोजन की गुणवत्ता, भोजन की मात्रा व समय पर भोजन दिया जा रहा है या नहीं, आदि बातों का ध्यान रखा जाता है।
- विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा का ध्यान रखना ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व है।
- विद्यालयों में बिजली की सुविधा का ध्यान रखना।
- बिहार में स्कूल अध्यापकों की नियुक्ति भी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की जाती है।
- वर्दी व छात्रवृत्ति वितरण में भी ग्राम पंचायतों की भूमिका होती है।
- उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति भी ग्राम पंचायतों के द्वारा की जाती है। राज्य में शिक्षा गारंटी योजना के विशेष अधिकार भी पंचायतों को दिए गए।
- राजस्थान में भी शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा, साक्षरता और सतत शिक्षा तथा इनसे संबंधित अन्य समस्त योजनाएं यथा शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिश, डी पी ई पी इत्यादि पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित किए गए।
- मध्य प्रदेश में भी 'शिक्षा गारंटी योजना', डी पी ई पी, स्कूल चलो अभियान में पंचायती राज संस्थाओं की अच्छी भूमिका रही है।
- इस तरह ग्राम पंचायत के कार्यों व उत्तरदायित्वों में मुख्य रूप से प्रबंधकीय कार्य हैं और ग्राम पंचायत इन्हीं कार्यों में ज्यादा रूचि दिखाती है।
- ग्राम पंचायत समय–समय पर विद्यालयों का निरीक्षण कर सकती है जिसमें मुख्य हैं :
- विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं।
- अध्यापकों की उपस्थिति को देखना।
- विद्यालय में पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है या नहीं।
- ग्राम पंचायत स्कूल का निरीक्षण करके उसकी खामियों–समस्याओं की शिकायत उच्च शिक्षा अधिकारियों से कर सकती है।

पंचायती राज और शिक्षा : समस्याएं

शोधार्थी ने हरियाणा में झज्जर जिले, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, राजस्थान में दौसा, बिहार में भोजपुर, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले में शोध के दौरान निम्न समस्याएं पाई।

- गांवों में सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों की ओर विद्यार्थियों का पलायन हो रहा है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है। हरियाणा के अमादलपुरशाह गांव के स्कूल में केवल 15 बच्चे पढ़ते हैं। मोहम्मदपुर माजरा गांव में ठाकुर गुरुद्वारा प्राइवेट स्कूल में लगभग 600 बच्चे पढ़ रहे हैं जबकि सरकारी स्कूलों में मात्र 200 के आसपास है। बिहार में भी कुछ गांवों में आवासीय विद्यालयों में व प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं जोकि स्कूलों में सुविधाओं व शैक्षिक गुणवत्ता के अभाव में प्राइवेट स्कूलों में

पढ़ते हैं जबकि उनका पंजीकरण सरकारी स्कूलों में होता है। शिक्षा में देखरेख व निरीक्षण की भूमिका पर यह समस्या पंचायतों के समक्ष चुनौती व सवाल खड़ा करती है।

- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्कूलों में निरीक्षण व देखरेख का कार्य सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। कुछ स्कूलों में चहारदीवारी भी नहीं है, स्कूलों में पशु बैठते हैं। बरसात के दिनों में स्कूल में पानी भर जाता है। विद्यालय जाने के रास्ते ठीक नहीं हैं। पीने के पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है जोकि शोचनीय स्थिति है। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को स्कूलों में निरीक्षण व देखरेख का प्रशिक्षण देना जरूरी है। ज्यादातर सदस्यों को निरीक्षण संबंधी अधिकार व दायित्व का पता ही नहीं है। ग्राम पंचायत केवल औपचारिकतापूर्वक निरीक्षण करती है।
- बिहार में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है। इस प्रक्रिया द्वारा योग्य व शिक्षित–प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इस प्रक्रिया द्वारा भ्रष्टाचार ने पंचायती राज संस्थाओं में घर कर लिया है इसलिए सरकार को इस पर स्पष्ट तौर पर पुनर्विचार करना चाहिए।
- पंचायती राज संस्थाओं और विद्यालयों के बीच आपसी सहयोग ज्यादा अच्छा नहीं है। विद्यालयों द्वारा अपनी समस्याओं को ग्राम पंचायत के समक्ष कम ही रखा जाता है। ग्राम पंचायतों की बैठकों में विद्यालय की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं है।
- ग्राम पंचायत के सदस्य खेतीबाड़ी के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। महिलाओं की भूमिका भी पंचायती राज संस्थाओं में शोचनीय है। महिलाएं घर के कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहती हैं। इन वजहों से सदस्यों की सक्रिय भूमिका नहीं हो पा रही है।
- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की बैठकों में शिक्षा संबंधी चर्चा केवल निर्माण कार्यों और खर्चे के हिसाब तक ही सीमित रहती है। शिक्षा से संबंधित गुणवत्ता, प्रबंध, पंजीकरण, शैक्षिक समस्याएं इत्यादि पर चर्चा नाममात्र की ही होती है।
- समुदाय का शैक्षिक व्यवस्था में सहयोग कम होता जा रहा है। आज लोगों की सोच यह हो गई है कि सभी कार्य सरकार करेगी क्योंकि यह उसकी बाध्यता तथा कर्त्तव्य है। आज लोगों की सरकार पर निर्भरता ज्यादा बढ़ गई है और सामुदायिक भावना की कमी हो रही है। अभी यह धारणा क्षीण है कि विद्यालय हमारा अपना है। विद्यालय को भी सरकारी दफ्तर की तरह समझा जाने लगा है। शिक्षा व्यवस्था के प्रबंध को सरकारी काम माना जाता है जोकि पंचायती राज संस्थाओं के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसका सही हल निकालना जरूरी है।
- पंचायती राज संस्थाओं के शैक्षिक अधिकार स्पष्ट तौर पर नहीं बताए गए हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद तीनों स्तरों पर स्पष्ट तौर पर विभाजित नहीं है जिससे शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन व उत्तरदायित्व में अस्पष्टता रहती है। शिक्षा विभाग द्वारा भी पंचायती राज संस्थाओं को प्रशिक्षित नहीं किया जाता है और स्पष्ट तौर पर उनके अधिकार व कर्त्तव्यों को बताया जाता है।
- जार्ज मैथ्यू के अनुसार राज्यों ने 73वें संशोधन के शब्दों का पालन किया है – उसकी भावना का नहीं। पंचायतों को स्कूल के निरीक्षण, वार्षिक केलैंडर बनाने और पाठ्यक्रम को कोई भी नई दिशा देने का अधिकार वास्तविकता से अभी दूर है। पंचायतें ग्रामीण स्तर पर शैक्षिक योजनाओं व कार्यक्रमों को लागू करने का अंतरिम भाग है। शैक्षिक कार्यक्रमों व योजनाओं को बनाने में पंचायती राज संस्थाओं की कोई भूमिका नहीं है। इन्हें केवल कार्यान्वयन की एजेंसी माना जाता है। इसलिए ग्रामीण जन पंचायती राज संस्थाओं को शासकीय एजेंसी जैसा मानते हैं जोकि एक गंभीर समस्या है।

- शैक्षिक नौकरशाही के तौर–तरीकों ने भी पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता पर प्रश्न–चिह्न खड़े किए हैं। शैक्षिक योजनाएं सरकारी तंत्र से मुक्त नहीं हैं और दफ्तरी दृष्टिकोण से पंचायतों की रूचि व सहभागिता कम हुई है। इस समस्या पर ध्यानाकर्षण जरूरी है।

अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में पंचायतों की भूमिका

अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने पड़ोस के विद्यालय में आठवीं कक्षा तक बुनियादी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से पाने का अधिकार है। राज्य और स्थानीय सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और बुनियादी शिक्षा का पूर्ण होना सुनिश्चित करेगी; पड़ोस में विद्यालय की सुविधा सुनिश्चित करेगी; यह सुनिश्चित करेगी कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो; विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी; बच्चों को उम्दा किस्म की शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के अलावा विद्यालयों के कामकाज की निगरानी भी सुनिश्चित करेगी। शाला प्रबंधन समिति में स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि भी होंगे।

- पंचायती राज संस्थाएं स्कूल में बच्चों के पंजीकरण व दाखिले में मदद कर सकती हैं। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के परिवारों को सामाजिक तौर पर अच्छी तरह पहचानती है जिससे वह प्रत्येक बच्चे को स्कूल में पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी कर सकती है।
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विद्यालय की बुनियादी आवश्यकताओं व सुविधाओं पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। जैसे कि पीने का पानी, बिजली, खेल का मैदान, स्कूल जाने का रास्ता, भवन की मरम्मत, शौचालय इत्यादि। ये सभी सुविधाएं ग्राम पंचायतों की पहुंच में होती हैं जिससे वे अपने प्रयास से भी इन्हें उपलब्ध करा सकती हैं। अगर ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी आवश्यकता होगी तो हम प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन रोक सकते हैं।
- स्कूलों का प्रबंध स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और जनभागीदारी से किया जाएगा इसलिए पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा स्कूल प्रबंध की समस्याओं का जमीनी स्तर पर ही समाधान किया जा सकता है लेकिन यहां यह आवश्यक हो जाता है कि प्रबंधन का तात्पर्य केवल अध्यापकों के विद्यालय नियमित रूप से आने–जाने तक सीमित नहीं समझा जाए।
- शोधकर्ता ने अपने अध्ययन में पाया कि सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है। गांववासी सरकारी स्कूलों की अपेक्षा प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। गांव के निम्न मध्यम दर्जे के किसान भी किसी तरह बच्चों की फीस का प्रबंध करके प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूलों में केवल वे ही बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की फीस देने में असमर्थ हैं। यह एक तरह का दुष्चक्र है, जिसमें सरकारी शिक्षा व्यवस्था फंसती जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं के सक्रिय सहयोग द्वारा इस समस्या का समाधान हो सकता है। शिक्षा में गुणवत्ता को सुधारने का कार्य स्कूल स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की निगरानी व देखरेख से हो सकता है।
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वंचित वर्ग के बच्चे, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग के बच्चे, लड़कियों की शिक्षा, शारीरिक रूप से विकलांग, विशेष रूप से सहायता प्राप्त बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा सकता है। अभिभावकों को प्रेरित करके, समुदाय में चेतना जागृत करके पंचायती राज संस्थाएं सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचा सकती हैं।
- आज शिक्षा व्यवस्था में ग्रामीण समुदाय का सहयोग बहुत कम होता जा रहा है। आज विद्यालय को डाकखाने की तरह सरकारी कार्यालय समझा जाने लगा है जोकि शिक्षा व्यवस्था के लिए हानिकारक है। पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा जन–समुदाय में जागृति उत्पन्न करके शैक्षिक विकास कार्यों में पूर्ण जनसहभागिता ली जा सकती है जिससे गांवों का विकास सुनिश्चित होगा। समुदाय आधारित दृष्टिकोण के जरिए बस्ती स्तर पर आयोजन, स्कूली कार्यकलापों की निगरानी और बड़ी संख्या में कार्यकलापों का निष्पादन ग्राम शिक्षा समितियों अथवा इसके समकक्ष संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है।
- प्रधानाध्यापकों तथा अध्यापकों को पंचायत की बैठकों में विशेषकर शिक्षा संबंधी समितियों की बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है जिससे शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने में अध्यापक की सक्रिय भूमिका रह सके तथा व्यावहारिक कार्यक्रम तथा नीतियां बनाने में मदद मिले । इससे पंचायत विद्यालयी शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर ध्यान दे सकती है।
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केवल विद्यालयों में ही सक्रिय व उचित भूमिका निभाने पर विद्यालयों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती है। पंचायतों को अन्य सामाजिक, कल्याणकारी व विकास कार्यों की ओर भी ध्यान देना होगा, तभी वह विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई का माहौल बना सकती है। इसलिए पंचायतों को गांव के संपूर्ण विकास की ओर ध्यान देना होगा ताकि अभिभावक चिंतामुक्त होकर बच्चों को पढ़ा सकें।

(लेखक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में सहायक प्रोफेसर हैं।)

पंचायती राज संस्थाओं में लेखा परीक्षा

विनीत कुमार

पंचायती राज प्रणाली की सफलता एवं इन निकायों के कार्यों में पारदर्शिता के लिए एक प्रभावी लेखांकन, वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रणाली आवश्यक है। यदि पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज को पूर्णतः स्वस्थ और सक्षम बनाना लोकतंत्र के हित में अभिष्ट है, तो उनके लेखापालन एवं परीक्षण की गतिविधियों में आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। लेखा परीक्षकों द्वारा जिन प्राधिकारियों के कार्यों के सन्दर्भ में आपत्तियां या अनियमितताओं का विवरण खोजा जाता है, उनके विरुद्ध उत्तरदायित्व का विनिश्चय कर अनुशासनिक कदम उठाए जाने की गंभीर स्थिति को टाला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि अनियमितता करने वाले कर्मचारी या प्राधिकारी उसके लिए दण्डित नहीं किए जाएंगे तो प्रशासन तंत्र में अन्य लोगों का मनोबल नहीं रखा जा सकेगा।

भारत में ग्रामीण विकास तथा ग्रामवासियों के चहुंमुखी मानव विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं की महती भूमिका है। स्पष्ट है ऐसी स्थिति में इन संस्थाओं के पास पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन भी आते हैं। वित्तीय संसाधनों के समुचित उपयोग की जांच हेतु समय–समय पर अंकेक्षण या लेखा परीक्षण किया जाता है। यह कहा जा सकता है कि अभी भी भारत में पंचायती राज संस्थाओं में लेखा परीक्षा एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है।

प्राचीन काल में व्यापार तथा वित्तीय प्रशासन का क्षेत्र संकुचित था। इस कारण सारे लेन–देन नकद हुआ करते थे। अतः उस समय रोकड़–बही ही मुख्य पुस्तक मानी जाती थी और इसी की लेखा परीक्षा भी होती थी। उस समय लेखा परीक्षण की परिभाषा केवल इतनी ही थी कि ''रोकड़ का परीक्षण इसलिए करना कि ये शुद्ध हैं या नहीं।'' परन्तु अब वित्तीय प्रशासन का क्षेत्र काफी विस्तृत है। वित्तीय प्रशासन द्वारा सरकारी तथा गैर–सरकारी, स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के वित्त सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम पर ध्यान रखा जाता है। अतः वित्तीय प्रशासन पर बढ़ते भार के साथ–साथ लेखा परीक्षा के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। लेखा परीक्षा का अर्थ लेखा पुस्तकों, पत्रों, प्रमाणपत्रों एवं अभिलेखों की जांच करने से है, ताकि लेखा परीक्षक इस तथ्य से सन्तुष्ट हो सके कि उस संस्था द्वारा लेखे नियमानुसार संधारित है। लेखा कर्म व लेखा परीक्षण में पर्याप्त अन्तर है। लेखा कर्म वह विधान है या लेन–देन की प्रविष्टियों के अध्ययन की वह कला है, जिसका महत्त्वपूर्ण लक्ष्य उसका सही होना है, जबकि लेखा परीक्षा वित्तीय नियंत्रण का एक साधन है। अंकेक्षण या लेखा परीक्षा एक प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत मौलिक लेन–देन की सत्यता, शुद्धता, पूर्णता एवं निम्नानुकूलता की जांच की जाती है।

पंचायतों में लेखा परीक्षण की आवश्यकता एवं प्रक्रिया

प्रश्न यह उठता है कि लेखा परीक्षण क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर हमें इसके उद्देश्यों में मिलता है। यदि लेखा परीक्षण के उद्देश्यों को देखा जाए तो मुख्यतः यह तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक या मुख्य उद्देश्य, गौण उद्देश्य तथा अन्य उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्यों में लेखा पुस्तकों एवं विवरण की सत्यता को जांचना, लेखा पुस्तकों एवं विवरण की पूर्णता को जांचना, लेखा–पुस्तकों एवं विवरण की वैधानिक नियमानुकूलता को जांचना। इन्हीं प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गौण उद्देश्य आवश्यक हो जाते हैं। जिनमें अशुद्धियों को ढूंढना, त्रुटि एवं छल–कपट को ढूंढना। इनके अलावा अन्य उद्देश्यों में कर्मचारी के ऊपर नैतिक प्रभाव डालना, सरकारी अधिकारी को संतुष्ट करना तथा वैधानिक आवश्यकता को पूर्ण करना आदि आते हैं।

सन् 1919 से पहले प्रान्तों के महालेखा परीक्षक स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षण के लिए उत्तरदायी थे, किन्तु उसके पश्चात् प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे इन संस्थाओं के लेखा परीक्षण का प्रबन्ध अपनी सुविधा के अनुसार करें। इस अधिकार के कारण कुछ प्रान्तों में लेखा परीक्षण का यह दायित्व महालेखापाल के पास रहा और कुछ में उससे हटा दिया गया। स्वतन्त्रता के पश्चात् प्रायः सभी राज्यों में स्थानीय शासन के लेखा परीक्षण का कार्य स्थानीय निधि अंकेक्षक द्वारा किया जाता है। प्रायः हर राज्य में एक स्थानीय निधि लेखा परीक्षक है। वह राज्य सरकार का प्राधिकारी है और राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243–जे के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के लेखा व लेखा परीक्षण के निर्धारण का दायित्व राज्य विधायिका स्तर पर छोड़ा गया है।

11वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि स्थानीय निकायों के लेखों की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी बनाए गए निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक अथवा अन्य किसी अधिकरण के भारत में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी एवं प्रशासनिक पर्यवेक्षण में उसी तरीके से कार्य करना चाहिए जिस तरीके से राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी केन्द्रीय चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य संचालित करते हैं। वर्तमान में लगभग सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की विस्तृत लेखा परीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है, जबकि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा भी पूरक लेखा परीक्षा की जाती है। पंचायती राज संस्थाओं के बढ़ते महत्त्व एवं 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों से विकास की प्रक्रिया में जवाबदेहिता लाने के लिए पृथक लेखा परीक्षा कार्यालय की आवश्यकता महसूस की गयी, परिणामस्वरूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने राजस्थान सहित चौदह राज्यों में पंचायती राज संस्थानों व शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा एवं लेखा कार्य के लिए उस स्थान के वरिष्ठतम प्रधान महालेखाकार अथवा महालेखाकार के प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण में वरिष्ठ उपमहालेखाकार / उपमहालेखाकार को प्रमुख बनाते हुए पृथक स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवं लेखा (एच.बी. एण्ड ए.) कार्यालय सृजित किए।

लेखा परीक्षण का यह प्रतिवेदन दो भागों में तैयार किया जाता है। इसके प्रथम भाग में प्रशासनिक दृष्टि से की गई वित्तीय अनियमितताओं का वर्णन होता है जिसे परीक्षण नोट कहते हैं। इसके दूसरे भाग में ऐसी आपत्तियों का विवरण दिया जाता है जिन पर संस्थागत स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित होती है। इस दूसरे भाग को आपत्ति विवरण कहा जाता है। यदि लेखा

परीक्षण के दौरान किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की लापरवाही या दायित्व से संस्था को आर्थिक हानि होने का मामला सामने आए तो ऐसी स्थिति में स्थानीय निधि लेखा परीक्षक को अधिकार है कि वह सम्बन्धित अधिकारी या कर्मचारी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराए। पश्चिम बंगाल में क्षति–पूर्ति की व्यवस्था नहीं हैं। तमिलनाडु, बिहार तथा उड़ीसा में परीक्षक स्वयं ही सम्बन्धित कर्मचारी को क्षति–पूर्ति का आदेश देने में सक्षम है, किन्तु इन सभी राज्यों में सम्बन्धित कर्मचारियों और अधिकारियों को ऐसे आदेशों के विरुद्ध राज्य सरकार में अपील करने का अधिकार है।

समस्याएं तथा समाधान

लेखापालन एवं लेखा परीक्षण दोनों ही गतिविधियों का संचालन पंचायती राज संस्थाओं में कुछ व्यवस्थित मानदण्डों के आधार पर नहीं हो रहा है। राज्यों के लेखा पालन में व्यय की गई राशि की मूल रसीदों की नियमानुसार जांच–पड़ताल में शिथिलता, पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा कैशबुक की नियमित जांच के कार्य में ढिलाई और वसूल की गई राशि के समय पर खाते अथवा खजाने में जमा न होने और भंडार गृह के नियमित सत्यापन से अनियमितताओं की शिकायतें आमतौर पर पाई जाती है। इसी प्रकार लेखा परीक्षण के लिए प्राधिकारी राज्य के वित्त सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, जो प्राधिकारी राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में कार्य करता है, वह राज्य सरकार द्वारा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। जहां अपूर्ण अंकेक्षण प्रतिवेदन जांच दलों की विफलता को बताता है, वहीं इनका अनुमोदन विभाग की उपयोगिता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा केवल आंशिक लेखा परीक्षण किया जाता है, जिससे कि लेखा परीक्षण की गंभीरता तथा सरकार के विधायी नियंत्रण पर सवाल उठता है। आपत्तियों के निस्तारण में भी कमियां पाई गई हैं। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों को विधायिकाओं में रखने में देरी भी एक मुख्य समस्या है। लेखांकन मानकों एवं प्रारूपों के निर्धारण में कमियां हैं। लेखांकन प्रारूपों में निष्पादन सूचकों को सम्मिलित ना किया जाना भी इनकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। पंचायतीराज संस्थाओं में लेखों के संधारण में भाषा भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। लेखा परीक्षकों के प्रशिक्षण में भी कमियां हैं।

राजस्थान में तो स्थिति इतनी विकट है कि 33 जिला परिषदों, 249 पंचायत समितियों तथा 9166 ग्राम पंचायतों के विरुद्ध 90 लाख लेखा परीक्षा आपत्तियां (पैरा) लम्बित चल रही हैं। एक प्रकार से प्रत्येक पंचायत औसतन 9 हजार ऑडिट पैरा के घेरे में है, जिनका निस्तारण किया जाना है। स्पष्ट है निरक्षर तथा अन्य जागरूक ग्रामीण, पंच–सरपंच लेखा प्रणाली के नियमों तथा लेखा संधारण की प्रक्रियाओं से परिचित नहीं हैं। अतः जाने–अनजाने उनसे गलतियां हो रही हैं। यह भी स्पष्ट है कि नौकरशाह, प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत सचिव (ग्रामसेवक) तथा कई प्रकरणों में ठेकेदार त्रुटियां करते हैं।

यदि पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज को पूर्णतः स्वस्थ और सक्षम बनाना लोकतंत्र के हित में अभिष्ट है, तो उनके लेखापालन एवं परीक्षण की गतिविधियों में आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। लेखा परीक्षकों द्वारा जिन प्राधिकारियों के कार्यों के सन्दर्भ में आपत्तियां या अनियमितताओं का विवरण खोजा जाता है, उनके विरुद्ध उत्तरदायित्व का विनिश्चय कर अनुशासनिक कदम उठाए जाने की गंभीर स्थिति को टाला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि अनियमितता करने वाले कर्मचारी या प्राधिकारी उसके लिए दण्डित नहीं किए जाएंगे तो प्रशासन तंत्र में अन्य लोगों का मनोबल नहीं रखा जा सकेगा। स्थानीय शासन के लेखों के लेखांकन मानकों एवं प्रारूपों के निर्धारण की आवश्यकता है। लेखांकन प्रारूपों में निष्पादन सूचकों को अन्तर्निहित होना चाहिए। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा स्वायत्त होनी चाहिए एवं राज्य सरकारों के अधीन नहीं होनी चाहिए। उनके लेखा परीक्षकों के कौशल को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए लेखा परीक्षकों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों के कौशल को विकसित करने के लिए राज्यों से मापदण्डों का निर्धारण करना चाहिए जो वापस जाकर अपने–अपने राज्यों में दूसरों को प्रशिक्षित करेंगे। स्थानीय भाषाओं में पंचायती राज संस्थानों के लेखों के संधारण एवं उनकी लेखा परीक्षा संचालित करने के लिए 10+2 स्तर के योग्य उम्मीदवारों के लिए अखिल भारतीय स्तर की योग्यता परीक्षा संचालन की व्यवहार्यता की जाँच करनी चाहिए।

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की लेखांकन व्यवस्था में सुधार करने तथा इनके कम्प्यूटरीकरण हेतु विशेष निधियां जारी की गई थी किन्तु इस दिशा में विशेष सुधार नहीं हुआ है। बेहतर तो यही होगा कि मनरेगा की भांति पंचायतों के प्रत्येक कार्य को ऑनलाइन कर दिया जाए तथा राजस्थान के पीला बोर्ड प्रयास को राष्ट्र भर में अपनाया जाए। राजस्थान में सन् 2000 से प्रचलित पीला बोर्ड प्रणाली में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा विगत पांच वर्षों में करवाए गए कार्य पंचायत वन की दीवार पर पीला रंग कराके काले अक्षरों में लिखे जाते हैं। इससे सामाजिक अंकेक्षण तथा 'जन सुनवाई प्रक्रिया' में भी सहायता मिलती है। पंचायती राज जनप्रतिनिधियों तथा पंचायत सचिवों को भी लेखांकन प्रणाली का विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(लेखक लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में शोध छात्र है।)
ई–मेल vinitdudipubadm@gmail.com

गांवों के सर्वांगीण विकास में पंचायती राज की भूमिका

डॉ. दीपक पालीवाल व सरोज पालीवाल

भारतीय समाज का स्वरूप पिछले कुछ दशकों से निरन्तर प्रगतिशील दिशा में अग्रसर है। भारतीय समाज का चहुंमुखी विकास और प्रत्येक व्यक्ति की जीवनशैली में निरन्तर इजाफा हुआ है। यूं तो प्राचीन समय से ही भारत का एक अत्यधिक सशक्त एवं महत्वपूर्ण पक्ष ग्रामीण समाज रहा है। किंतु वर्तमान में ग्रामीण समाज का जो नवीन दृश्य प्रस्तुत हुआ है वह अत्यधिक जागरूक और स्वयं के भविष्य हेतु संचेतना व्यक्त करता है और इस स्थिति को प्राप्त करने में पंचायती राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

भारतीय प्राचीन पंचायती जीवन के विषय में कार्ल मार्क्स ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि "प्राचीनकाल से चले आ रहे छोटे–छोटे ग्राम समुदाय धार्मिक ढंग से संयुक्त स्वामित्व तथा किसान और मजदूर के श्रम विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित हैं। ये ग्राम समुदाय स्वयं में परिपूर्ण और आत्मनिर्भर हैं। इनसे पैदा किया गया उत्पादन सैकड़ों–हजारों एकड़ों तक पहुंचकर जनमानस की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। वैदिककाल में समस्त जनसमूह को महासभा कहा जाता था और इसमें एक मुखिया होता था जो ग्रामणी कहलाता था। वेदों में महासभा या समिति को विसः कहा गया है। उस क्षेत्र के रहने वाले सभी व्यक्ति इस सभा या समिति के सदस्य होते थे और ये ही किसी सदस्य को ग्रामीण चुनकर भेजते थे। बाद में इन्हें परिषद कहा जाने लगा। महाभारत में ग्राम संघ का उल्लेख मिलता है। जातक ग्रन्थों में ग्रामसभा का

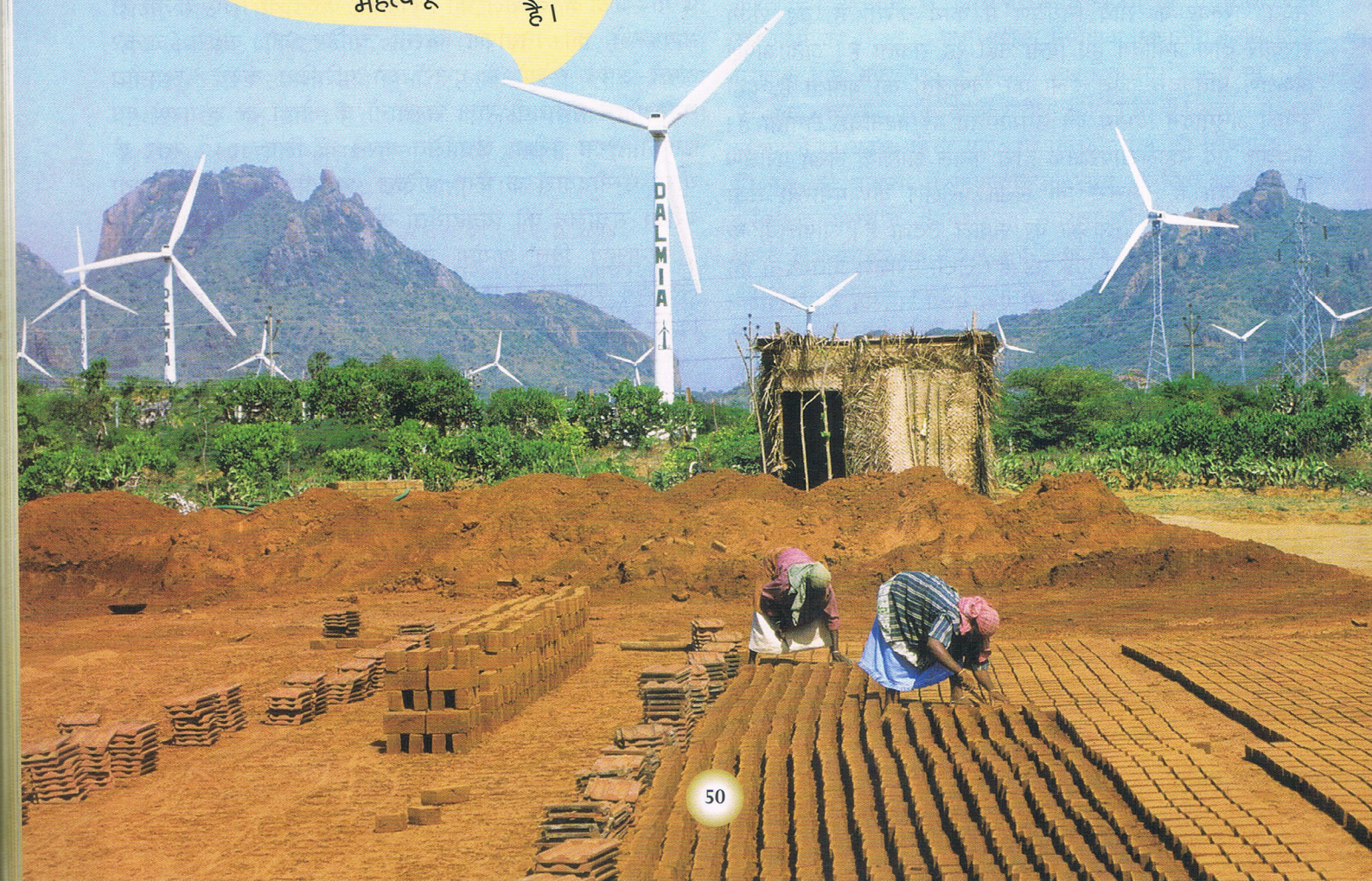

सन्दर्भ है और बौद्ध धर्म सभाओं में निर्णय बहुमत से होता था जैसा आधुनिक संसद में होता है।

पंचायती राज का सिलसिला भारत में कोई नया नहीं रहा है क्योंकि हर काल में और सभी महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे गांवों में जनता की बुनियादी सुविधाओं से सम्बन्धित मुद्दे, जमीन–जायदाद, घरेलू कलह, विवाह–सम्बन्धी समस्याएं लगभग इन सभी कार्यों में पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंचायती राज व्यवस्था हमारी स्वविकसित व्यवस्था है। उपरोक्त आधार पर ही केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विविध पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई है। यह माना जाता है फिर भारत के विकास का मार्ग गांवों से होकर जाता है और राष्ट्रपिता गांधी ने कहा था कि गांवों के बिना देश की कल्पना निरर्थक है। अतः गांवों के महत्व को समझना भारतवासियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पंचायती राज राष्ट्रपिता गांधी का सपना था। इस सपने को साकार करने हेतु जनमानस को अपने समस्त प्रयास करने होंगे। इस व्यवस्था की सफलता हेतु निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ही प्रत्येक ग्रामीण की सहभागिता अनिवार्य हो जाती है। भारतीय ग्रामीण समाज के सर्वांगीण विकास हेतु ग्रामीण संरचना के तीन महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग रहे हैं, वह हैं– जाति प्रथा, संयुक्त परिवार, ग्रामीण पंचायत। जाति प्रथा और संयुक्त परिवार की स्थिति में निरन्तर विकास हुआ है परंतु ग्रामीण समाज के सम्पूर्ण विकास में ग्रामीण पंचायतों ने क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया है। महात्मा गांधी की मान्यता के आधार पर भारतीय ग्रामीण जीवन का पुननिर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से ही सम्भव है और इसी सोच को वास्तविकता में परिणत करने हेतु ग्रामीण समाज निरन्तर प्रगतिशील है।

ग्रामीण समाज के सर्वांगीण विकास हेतु अग्रलिखित बिन्दुओं पर विशेष जोर दिया गया है–

- गांवों की आत्मनिर्भरता हेतु ग्रामवाद
- ग्रामीण स्वराज
- औद्योगिकी
- विकेन्द्रीकरण
- शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा
- सामाजिक सरसता
- सर्वोदय एवं सहकारिता

अतः पंचायती राज व्यवस्था द्वारा इसी दिशा में कार्य किया गया और इस दिशा में पंचायती राज के पीछे जो विचारधारा थी वह यह थी कि गांव के लोग अपने ऊपर शासन का दायित्व स्वयं संभाले; गांव में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास, बाल विकास, पशुपालन आदि से सम्बन्धित विकास क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले सकें एवं इस कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी करें ताकि आम जनता तथा नीचे से नीचे स्तर पर स्थित लोग भी देश के समग्र विकास प्रशासन से संबंध रख सकें।

पंचायती राज ने ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवर्तन में सहयोग प्रदान किया है। अब लोग विकास कार्यों में भाग लेने व विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में संबन्धित असफलताओं को उजागर करने तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगे हैं। पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीणों में उत्तरदायित्व की भावना जाग्रत करने में योग दिया है। सरकार द्वारा बनाए गए विकास एवं निवारण कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर लागू करने तथा उससे अपेक्षित परिणाम दिखाने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी दिशा में विभिन्न दिशाओं में निम्नांकित कार्यों को करने का प्रयत्न किया गया है–

कृषि

- कृषि और बागवानी का विकास
- बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास

ग्रामीण आवास

- ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

- आवास स्थलों का वितरण और उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

चिकित्सा और स्वच्छता

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालयों की स्थापना एवं अनुरक्षण।
- ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन
- महिलाओं एवं बाल कल्याण के विकास से संबधित कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

सहकारी समितियों का विकास

ग्रामीणों की आर्थिक दशा को उन्नत करने के लिए विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों की स्थापना की गई। ये सहकारी समितियां ऋण उपलब्ध कराने एवं उपभोग की वस्तुओं की उचित कीमत दिलवाने का कार्य करती हैं। गांवों में सहकारी समितियों की स्थापना एवं प्रसार में पंचायतें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

शिक्षा के व्यावहारिक स्वरूप का ज्ञान

ग्रामीण समाज की महिलाएं अक्षर ज्ञान को ही सम्पूर्ण ज्ञान मानकर स्वयं की सोच को सीमित रखती थी परन्तु वर्तमान समय में महिलाओं को शिक्षा के द्वारा व्यावहारिक ज्ञान की भी जानकारी हुई है। इससे महिलाओं में स्वयं के व्यवहार के प्रति सचेतना उत्पन्न हुई है और वे जागरूक भी हुई हैं।

आत्मविश्वास व निर्णय की क्षमता का विकास

महिला उत्पीड़न की समाप्ति और चहुंमुखी विकास हेतु उन्हें सदैव स्वयं व समाज के विषय में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर किसी भी कार्य को आत्मविश्वास से पूर्ण करने की क्षमता का विकास पंचायती राज व्यवस्था की ही देन है और इसी दिशा में आज स्त्री समस्त कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने जीवन में कोई भी निर्णय स्वयं अपनी इच्छा से ले सकती है।

अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील

आज की नारी समस्त कानूनों को जानने लगी है अतः वह अपने अधिकारों को भी जानती है और जहां उसके अधिकार आसानी से प्राप्त नहीं होते वहां पर वह उन्हें हासिल करना भी जानती है। इसके अतिरिक्त वह अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत है और उसका निर्वहन भी करती है।

रचनात्मकता को बढ़ावा

पंचायती राज व्यवस्था के चलते नारी सशक्तिकरण को अत्यधिक बल मिला है और उसी के चलते स्त्रियों की रचनात्मकता भी बढ़ी है। आज की नारी केवल चूल्हे–चौके तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके अलावा भी वह कई ऐसे कार्यों को करती है जो रचनात्मक होते हैं और स्त्रियों को मदद प्रदान करते हैं।

अतः ग्रामीण पंचायती राज द्वारा युद्ध–स्तर पर चहुंमुखी विकास हुआ है और यह अत्यधिक लाभकारी भी सिद्ध हुआ है।

(लेखक उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी में अकादमिक परामर्शदाता, समाजशास्त्र हैं।)

ई–मेल : deepak_paliwal123@rediffmail.com

ग्रामसभा वर्ष

रत्नकुमार सांभरिया

लोकतांत्रिक प्रणाली का जन्मदाता चाहे अमेरिका हो, लेकिन भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का गौरव प्राप्त है। भारत गांवों का देश है। गांधी जी का कहना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांव की अपनी सरकार बने, इसके लिए गांधी जी ने "ग्राम स्वराज" का एक बेहतरीन सपना संजोया था।

उनकी मंशा यह थी कि गांव के लोग गांव के बारे में खुद सोचे, विकास की योजनाएं बनाएं और अपने गांव की सरकार स्वयं चलाएं। गांधीजी के उस सपने को साकार करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर में "पंचायती राज व्यवस्था" का आगाज किया। इससे नागौर का देशभर में ऐतिहासिक महत्व हो गया। इसके बाद ग्राम पंचायतों के चुनावों का सूत्रपात हुआ और उससे पंचायती राज व्यवस्था के महत्व को बल मिला।

गांधी जी ने ग्राम स्वराज का सपना संजोया। पं. नेहरू ने इस सपने को साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की। इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कराने के उद्देश्य से स्व. राजीव गांधी ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करवाया, जो 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ। इसी उपलक्ष्य में 24 अप्रैल का दिन पूरे देश में "पंचायत राज दिवस" के रूप में मनाया जाता है।

राजस्थान में 22 दिसम्बर, 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू हुआ और जिला परिषद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत संस्था को माकूल शक्तियां प्रदान की गई। राजस्थान की 33 जिला परिषद, 249 पंचायत समितियां, 9166 ग्राम पंचायतें ग्राम शासन की मिसाल है। आरक्षण प्रावधान के तहत महिला जनप्रतिनिधियों की 50 प्रतिशत की भागीदारी है।

आज ग्राम सभाओं को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इससे जन प्रतिनिधियों, मतदाताओं और आम ग्रामीण की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में सहभागिता सुनिश्चित हुई है। ग्राम विकास की प्राथमिकताएं ग्रामसभा की बैठकों में तय होने लगी हैं। ग्रामीणों ने पंचायती राज संस्थाओं के महत्व को समझा है और मतदाताओं ने अपने वोट की ताकत को पहचाना है।

ग्रामसभा की महत्ता बढ़े और ग्रामीणों में चेतना जाग्रत हो, इसी उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर, 2009 से 2 अक्टूबर, 2010 की अवधि का एक वर्ष पूरे देश में "ग्रामसभा वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है।

ग्राम सभा को सौहार्द की मनोभूमि कहा गया है। जाति–पाति, अमीरी–गरीबी, मजहब, समुदाय और लिंग भेद की भावना से ऊपर उठकर ग्राम की चौपाल या पंचायत भवन परिसर में आयोजित बैठकों में एक ही जगह पर बैठकर गांव के दुख–दर्द का जायजा लिया जाता है। गांव के विकास पर विमर्श होता है। गांव में कहां किस प्रकार के विकास कार्यों की जरूरत है, इसे सूचीबद्ध कर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होता है। ग्रामसभा ही वह चाबी है, जिससे गांव के विकास का ताला खुलता भी है और बंद भी होता है। अगर गांव में भाईचारा और एकता की भावना कायम है तो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो जाते हैं और विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि ग्रामीणों में आपसी द्वेष और खींचतान है तो प्रस्ताव अटक जाता है और गांव के विकास के लिए आने वाला पैसा रूक जाता है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की आनुपातिक उपस्थिति के साथ मतदाताओं की दस प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, वरना कोरम के अभाव में ग्रामसभा की बैठक अमान्य होगी। ग्रामसभा में जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी, बैठक उतनी ही कारगर होगी और ग्राम शासन की सार्थकता बलवती होगी। सन् 1978 में अन्त्योदय योजना शुरू हुई थी। उस समय ग्राम सभाओं को यह कार्य भी सौंपा गया था कि गांवों के विकास के साथ–साथ यह भी छानबीन की जाए कि गांव के गरीब से गरीब कौन है तथा उसे "अन्त्योदय योजना" से जोड़ा जाकर सर्वांगीण विकास हो। यही से ही गरीबों का गांव, ग्रामसभा और ग्राम पंचायत के प्रति अपनत्व पैदा हुआ।

आज ग्राम सभाओं के अधिकारों का क्षेत्र व्यापक हुआ है। अपात्र परिवारों का नाम बी.पी. एवं सूची से निरस्त करवाना, पात्र लोगों की पेंशन बनवाना, छात्रवृत्ति की सिफारिश करना, जरूरतमंदों को भूमि या भूखण्ड आबंटित कराने की सिफारिश करना, विकास के प्रस्ताव तैयार करना और सामाजिक अंकेक्षण की रूपरेखा तैयार करना आदि कार्य उसके क्षेत्र में आते हैं। यदि गांव की छोटी–मोटी समस्याओं या विवादों का निस्तारण ग्रामसभा की बैठकों में ही कर लिया जाए तो ग्रामीणों को थाना–कचहरी जाने से निजात मिल जाए। इसमें ग्रामसभा 'ग्रामीण कोर्ट' के अपने दायित्व का निर्वहन करने में समक्ष नजर आएगी।

ग्रामसभा की अध्यक्षता सरपंच करता है। सरपंच को चैक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त है। अतः अनियमितताओं की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। सजग वार्ड पंचों और ग्रामीणों का दायित्व है कि वे सरपंच के कार्यकलापों की निगरानी करें। अनियमितता पाए जाने पर वह सरपंच से स्पष्टीकरण मांगे। असन्तुष्टि या जरूरत पड़ने पर 15 दिन के भीतर ग्रामसभा की बैठक पुनः आयोजित हो। 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुच्छेद 243ए में यह स्पष्ट उल्लेख है कि ग्राम पंचायत ग्रामसभा के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी होगी जैसे राज्य सरकार विधानसभा के प्रति होती है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2000 संशोधन के अन्तर्गत वार्डसभा का प्रावधान किया गया है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां वार्डसभा की अभिनव पहल की गई है। वार्ड पंचायती राज व्यवस्था के स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है।

अन्य विभागों के जो कार्य ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें ग्राम पंचायतों के सुपुर्द कर देने के बाद उनका नियत्रंण भी ग्राम सभाओं के पास आ जाएगा। इससे ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण तो होगा ही, गांधीजी का वह सपना भी फलीभूत होगा कि गांव के शासन की बागडोर गांव के हाथ में हो।

(लेखक राजस्थान विकास, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में सम्पादक हैं)

जूट के रेशों से बढ़ती कमाई की चमक

ममता भारती

भारत विश्व में जूट के सामान का सबसे बड़ा उत्पादक व दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। पश्चिम बंगाल, बिहार व असम आदि कई इलाकों में जूट ग्रामीण रोजगार का बड़ा जरिया है। हमारे देश में करीब 40 लाख से ज्यादा परिवार जूट की खेती व उससे जुड़े कामधंधों में लगे हैं। जूट का उत्पादन और व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा है और विपुल संभावनाओं वाली सुनहरे रेशे की यह फसल किसानों की गरीबी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकार भी जूट क्षेत्र को भरपूर बढ़ावा दे रही है। बस जरूरत सही, नई एवं पूरी जानकारी, ट्रेनिंग तथा बेहतर प्रबंधन की है।

भारतीय कृषि में रेशेदार फसलों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुदरती रेशों में कपास के बाद दूसरा नंबर जूट का आता है। जूट के बोरे व टाट हमारे देश में सदियों से बन रहे हैं। जूट उद्योग देश में सबसे पुराना कृषि उद्योग है। पहले जूट सिर्फ सूतली, टाट व बोरे बनाने में काम आता था, लेकिन अब नई तकनीक ने जूट के धागे को खादी व रेशम जैसा उम्दा कर दिया है। अतः जूट से कपड़ा, कंबल, कालीन, खिड़की, दरवाजे, अस्तरबैग, जूते, सीट कवर, परदे, पायदान, फर्श, चटाई व दस्तकारी आदि की अनगिनत चीजें बनकर बिक रही हैं। जूट रेशा पैकेजिंग, कार के डैश बोर्ड,सोफे के कवर व सड़क बनाने से लेकर विदेशों को निर्यात करने तक में काम आ रहा है।

बेहतर उत्पादन

जूट हमारे देश की एक नकदी फसल है। सरकारी सूची में यह भारतीय वस्त्र उद्योग का हिस्सा है। फैशन और सजावट की बहुत–सी चीजों में जूट के बढ़ते इस्तेमाल से इसमें खेती व कारोबार से आमदनी की काफी गुंजाइश है। जियो जूट

टेक्सटाइल्स की नई तकनीक ने इस कुदरती रेशे की कीमत को बहुत बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जूट पर्यावरण के लिए अनुकूल है। यह हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। अतः अब लोग प्लास्टिक व बनावटी रेशों के मुकाबले जूट से बनी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। इस खासियत ने जूट को और भी अधिक अहम बना दिया है। अतः जूट के रेशों से बनी चीजों का चलन तेजी से बढ़ा है।

पश्चिमी बंगाल, बिहार व असम आदि कई इलाकों में जूट ग्रामीण रोजगार का बड़ा जरिया है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश,उड़ीसा, आन्ध्र–प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, नगालैंड व मेघालय आदि में जूट की व तकरीबन सभी इलाकों में मेस्टा की खेती होती है। करीब 40 लाख से ज्यादा परिवार जूट की खेती व उससे जुड़े कामधंधों में लगे हैं। सरकार जूट क्षेत्र को भरपूर बढ़ावा दे रही है। साल 2008–09 के दौरान हमारे देश में जूट का रकबा 8 लाख हेक्टेयर व उत्पादन 180 कि.ग्रा. वजन वाली 90 लाख गांठों का था। विपुल संभावनाओं वाली सुनहरे रेशे की यह फसल किसानों की गरीबी दूर कर सकती है बशर्ते खेती से उपयोग तक नई तकनीक अपनाई जाए। हमारे देश में जूट से बनी चीजों की सालाना खपत करीब 15 लाख टन है। पूरी दुनिया में भारत जूट के सामान का सबसे बड़ा उत्पादक व दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

रोजगार का माध्यम

साल 2009 में ₹ 1100 करोड़ से भी अधिक कीमत की जूट वस्तुएं दूसरे देशों को भेजी गई थीं। इसमें आगे अभी और इजाफा होने की उम्मीद है। फिलहाल देश के 8 राज्यों में जूट के 78 कारखाने हैं। इसके अलावा मेज कवर, मैट्स, टीकोजी,वाल हैंगिंग, मैटिंग, फर्नीशिंग व फ्लोर कवरिंग आदि के लिए जूट का छोटा–बड़ा सामान बनाने वाली 700 छोटी इकाइयां भी चल रही हैं। लघु, मध्यम एवं वृहद् स्तर की जूट इकाइयों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ है। साल 2009–10 में कच्चे जूट की कीमत असम में ₹ 1375 क्विंटल रही जोकि संतोषजनक है। वस्तुतः सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 10 सालों से कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य लगातार बढ़ा है। इसमें साल 2008–09 में 18 फीसदी व साल 2009–10 में 10 फीसदी का इजाफा हुआ था। किसानों को यह कीमत भारतीय जूट निगम, कोलकाता के जरिए दी जाती है।

फिलहाल इस निगम के 171 जूट खरीद सेंटर हैं। 20 नए खरीद केन्द्रों की स्थापना के लिए जमीन ले ली गई है। साल 2008–09 में भारतीय जूट उद्योग का कुल उत्पादन 1633 हजार टन हुआ था। इस वृद्धि के लिए पुरानी मशीनरी में सुधार व कामगारों को ट्रेनिंग देने का कार्य जारी है। जूट की खेती व कारोबार को बचाने व बढ़ाने के लिए सरकार ने समय–समय पर बहुत से कदम उठाए हैं। मसलन सन 1987 में भारत सरकार ने जूट पैकेजिंग सामग्री कानून बनाया था। इसके तहत खाद्यान्न व चीनी की पैकिंग में जूट बोरों के इस्तेमाल को जरूरी बना दिया गया था। इसके अलावा जूट में नई तकनीक के प्रयोग को बढ़ाने हेतु लिए गए कर्ज पर लगने वाले ब्याज में 5 फीसदी हिस्सा बैंकों को सरकार देती है। अगस्त 2009 से महानिदेशक विदेश व्यापार ने जूट सामान पर डीइपीबी रेट को बदलकर अब ₹ 30 से 55 कि.ग्रा. कर दिया है। अतः इन सब प्रयासों से जूट कृषकों व उद्यमियों को राहत मिली है।

आर्थिक सहायता

जूट विविधीकरण के राष्ट्रीय केन्द्र ने जूट का उत्कृष्ट सामान बनाने के लिए 40 जिलों में एनजीओ को सहायता प्रदान की है। खासकर औरतों के 464 स्वयंसहायता समूहों को मशीनी मदद के तौर पर मैचिंग ग्रांट, 5320 कारीगरों को ट्रेनिंग व 88 इकाइयों को मशीने दी हैं। जूट के काम में एक खास बात यह है कि इसमें छोटे, मझोले व बड़े हर तरह के कारोबारी के लिए आय के अवसर मौजूद हैं। जूट के जरिए लोगों को रोजगार के मौके दिलाने व बढ़ाने के लिए सरकार ने देश के जूट बाहुल्य क्षेत्रों में जूट पार्क खोलने की योजना शुरू की

है। इसमें जूट पार्क विकसित करने वालों को ₹ 5 से 7.5 करोड़ तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

कच्चे जूट व उसके रेशों की क्वालिटी में सुधार, किसानों की ट्रेनिंग व जूट प्रोसेसिंग की नई तकनीक को बढ़ावा देने का काम हमारे देश में जोर–शोर से चल रहा है। सरकार ने जूट की खेती व कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सन 2006 में 355 करोड़ रुपये की लागत से जूट टेक्नोलाजी मिशन शुरू किया था। यह मिशन जूट से जुड़े अनुसंधान विकास, जूट उद्योग की मजबूती, नई तकनीक, नए जूट उत्पादों व बाजार को बढ़ावा देता है ताकि जूट के रेशों से कम दाम में उम्दा क्वालिटी की ज्यादा चीजें तैयार हो सकें, जूट उत्पादकों व कारीगरों को अच्छी कीमत मिले और उनकी माली हालत में सुधार हो सके। असल में जूट कृषकों व उद्यमियों को दी जा रही सहूलियतों की कमी नहीं है। जरूरत तो जागरुकता के साथ उनसे भरपूर लाभ उठाने की है।

जूट बोर्ड

हमारे देश में जूट उद्योग के सर्वांगीण विकास के लिए जूट कमिश्नर, जूट विकास निदेशालय व भारतीय जूट उद्योग रिसर्च एसोसिएशन जैसी कई संस्थाएं हैं लेकिन जूट की खेती, उत्पादन व बाजार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल, 2010 से जूट बोर्ड गठित किया है। कारगर स्कीमें चलाने की गरज से पहले की जूट निर्माता विकास परिषद व जूट विविधीकरण के राष्ट्रीय केन्द्र को अब इसी बोर्ड में मिला दिया गया है। किसानों को जागरूक होकर जूट बोर्ड द्वारा दी जा रही सुविधाओं से फायदा उठाना चाहिए। जूट की खेती करने वाले ज्यादातर किसानों के सामने यदा–कदा उम्दा किस्म के प्रमाणित बीजों की कमी, उनकी ऊंची कीमतों व तकनीकी जानकारी न होने आदि की समस्याएं रहती हैं। दरअसल हमारे देश में हर साल करीब 50 हजार क्विंटल जूट के बीजों की जरूरत होती है। इसमें उम्दा किस्म के प्रमाणित बीजों का सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही मिल पाता है। अतः हमारे देश में जूट की प्रति हेक्टेयर औसत उपज कम है। साथ ही ज्यादातर जूट उगाने वाले निर्बल वर्ग के सदस्य हैं। अतः उनके साधन सीमित रहते हैं।

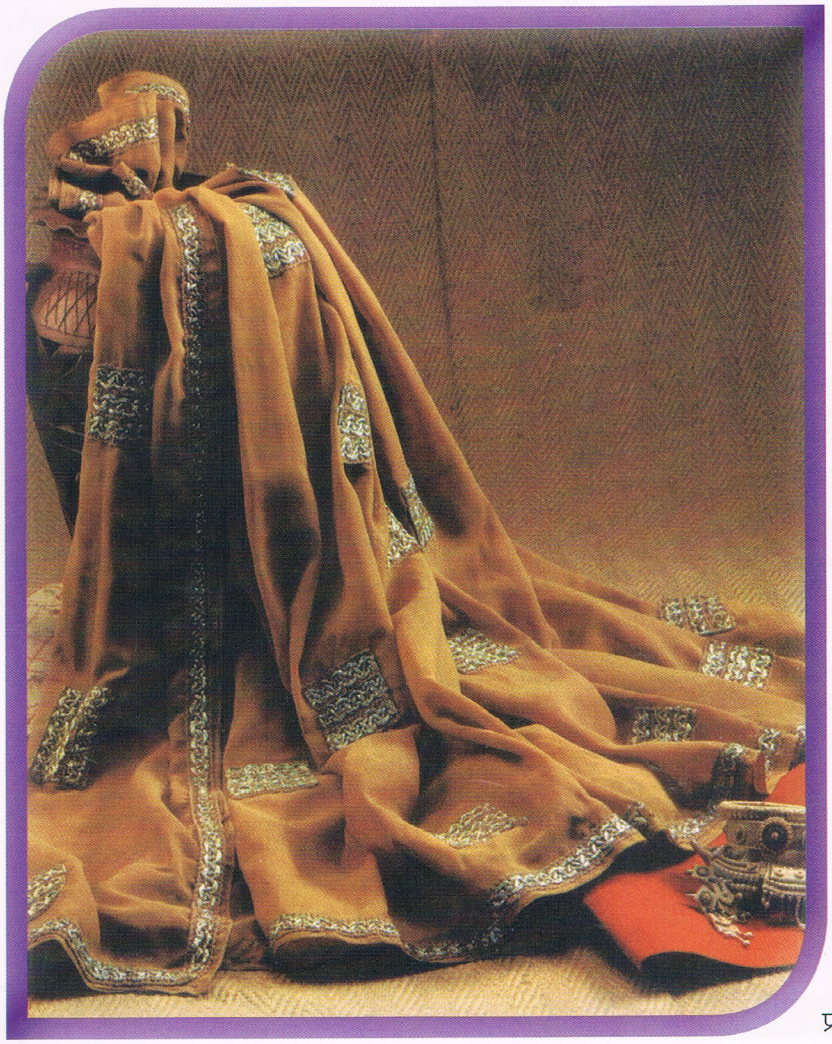

जूट किसानों व कामगारों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए भारतीय जूट बोर्ड अपनी 6 योजनाओं में कई तरह की सहूलियतें देता है। मसलन जूट के बीजों पर ₹ 40 किलो की छूट, फसल बचाने, लागत घटाने व पैदावार बढ़ाने की तकनीक सिखाने के लिए किसानों को ट्रेनिंग। उन्हें रिसर्च स्टेशनों व दूसरे इलाकों में घुमाकर जूट की बेहतर खेती के तरीके दिखाना व सिखाना। साथ ही जूट के थैले व दूसरी चीजों की मांग व खपत बढ़ाने वाले कारोबारियों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाती है। जूट के सामान की थोक सप्लाई बढ़ाने की स्कीम के तहत सालाना ₹ 4 लाख कीमत के जूट उत्पाद बेचने वालों को उचित जगह के लिए ₹ 25 हजार व सजावट के लिए ₹ 50 हजार तक की मदद दी जाती है। जूट से बनी चीजों की फुटकर बिक्री को बढ़ावा देने की गरज से खास नुमाइश या काउंटर लगाकर ₹ 40 हजार का स्टाक रखने वालों को जगह के लिए ₹ 5 से 10 हजार तक की सहायता सजावट के लिए दी जाती है।

कायाकल्प

देश भर में जूट उत्पादों के शोरूम खोलकर सालाना कम से कम ₹ 8 लाख कीमत का माल बेचने वालों को जगह के लिए ₹ 50 हजार व सजावट के लिए ₹ 1 लाख तक तथा ₹ 10 लाख महीना की बिक्री पर दुकान, गोदाम के लिए हर महीने ₹ 1 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा प्रचार–प्रसार करने, निर्यात बढ़ाने के मकसद से विदेशी

जूट मेलों व प्रदर्शनी आदि में हिस्सा लेने वालों को भी असल खर्च व लागत में छूट दी जाती है। इससे हमारे देश में तेजी के साथ जूट क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है।

व्यावहारिक रूप से असल दिक्कतें तो जूट में उन हुनरमंद कारीगरों को होती हैं जो छोटे या मझले दर्जे के हैं। कम पूंजी के बावजूद भी वे जूट की प्रोसेसिंग करके तरह–तरह का सामान बनाते व बेचते हैं। उनकी क्षमता, ज्ञान व कौशल बढ़ाने के लिए जूट बोर्ड ने जूट की बहुतायत वाले इलाकों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोलने की एक खास स्कीम शुरू की है। इसके तहत पब्लिक–प्राईवेट हिस्सेदारी से छपाई, रंगाई, बुनाई, कटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, धागा सुधार, कच्चा माल, औजार मशीनें, जांच परख व लेमिनेशन आदि की सारी जरूरी सहूलियतें एक छत के नीचे मुहैया कराने के लिए ₹ 40 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

कुल मिलाकर जूट के जरिए भरपूर कमाई करने के लिए वैज्ञानिक विधियां अपना कर जूट की उन्नत खेती करना, उम्दा क्वालिटी के जूट रेशे निकालना, उनकी मदद से तरह–तरह की बेमिसाल चीजें बनाना और फिर अच्छी कीमत पर उन्हे देश–विदेश के बाजार में बेचने की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अतः जूट से तैयार माल की क्वालिटी व डिजाइन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुताबिक होने चाहिए। जूट टेक्नोलॉजी संस्थान, कोलकाता तथा जूट व संबद्ध रेशों के केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर के वैज्ञानिकों ने जूट रेशे को बेहतर बनाने व उसके विविध रूपों में इस्तेमाल करने की बहुत–सी तकनीकें निकाली हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के अर्न्तगत चल रहे राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम करके ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे लकड़ी के स्थान पर जूट की मदद से मकानों के खिड़की–दरवाजे बनाए जा सकेंगे।

बेहतर विकल्प

इससे हर साल करीब 30 लाख घन मी. लकड़ी बचेगी और ₹ 150 अरब मूल्य के 10 लाख पेड़ों को कटने से बचाया जा सकेगा। ये दरवाजे लकड़ी से सस्ते, टिकाऊ व उत्तम होंगे। जूट की डंठलों से पार्टिकल बोर्ड बना लेना एक ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। हमारे देश में हुए जूट से संबंधित अनुसंधान विकास के फलस्वरूप अब खाद व सीमेंट भरने के लिए नई किस्म के कोटेड व लेमिनेटड बोरे बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश में जूट से बने कैनवास फैब्रिक, हाई वैल्यू फलैक्सीबिल तथा फूड ग्रेड के जूट उत्पाद विदेशों में खूब पसंद किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 75 फीसदी जूट के धागे में 25 फीसदी पोलियस्टर धागा मिलाकर रोएंदार मल्टी फिलामेंट कवर स्पन धागे बनाने की तकनीक विकसित की गई है। इन धागों से गरम कपड़े व 80 : 20 होलो पालयिस्टर के मिश्रण से कम्बल बनाए जा सकते हैं।

आमतौर पर जूट को तालाबों, गडढ़ों व नालियों आदि में डाल कर सड़ाया जाता है। इस पुराने तरीके से जूट धागों की चमक व कुदरती रंग में कमी आती है तथा उससे जूट की क्वालिटी खराब हो जाती है। साथ ही जूट को लाने–ले जाने में समय, श्रम व खर्च भी अधिक होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यदि खेत के आसपास ही किसी गड्ढे में पालीथीन बिछाकर उसे छोटे तालाब का रूप दे दिया जाए तो जूट को आसानी से व बेहतर गलाया जा सकता है। इससे जूट की गुणवत्ता भी खराब नहीं होती। जूट का उत्पादन और व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। साथ ही स्वरोजगार पाने व आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से जूट के सुनहरे रेशों से जुड़े लोगों का भविष्य भी सुनहरा है। नए जूट उत्पाद बनाने या बेचने की इकाई से कमाई की चमक बढ़ाई जा सकती है। बस जरूरत सही, नई व पूरी जानकारी, ट्रेनिंग व बेहतर प्रबंधन की है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

स्ट्राबेरी की सफल खेती

डॉ. आर.एस. सेंगर

स्ट्राबेरी मूलतः शीतोष्ण जलवायु का पौधा है जिसकी व्यावसायिक खेती मुख्यतया उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में सीमित स्तर पर की जाती है किन्तु हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़े मैदानी भागों में इसकी सफल खेती की अपार संभावनाएं हैं। पिछले कुछ वर्षों में पंजाब, हरियाणा, देहरादून, सहारनपुर व तराई के क्षेत्रों में इसकी खेती के प्रयास हुए हैं और कुछ किसान इसमें सफल भी हुए हैं। इन्हीं कृषकों से प्रेरित होकर जनपद बरेली के एक युवा कृषक अखिलेन्द्र सिंह ने जनपद मुख्यालय से 10 कि.मी. दूर बरेली-पीलीभीत रोड पर ग्राम मुड़िया अहमदनगर में पांच बीघा (0.8 एकड़) क्षेत्रफल में स्ट्राबेरी का उत्पादन वर्ष 2005-06 में प्रारम्भ किया और उसके बाद से लगातार स्ट्राबेरी की खेती करते चले आ रहे हैं। लेखक ने किसान अखिलेन्द्र सिंह से उनके द्वारा की जा रही स्ट्राबेरी की सफल खेती पर चर्चा की।

स्ट्राबेरी एक ऐसा फल है जो बरबस ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है लेकिन जिन लोगों ने इसके स्वाद को चखा है वे हमेशा के लिए इसके मुरीद हो गए हैं। स्ट्राबेरी एक ऐसा फल है जो न केवल रसीला, स्वादिष्ट और देखने में सुन्दर होता है अपितु इसे उच्चवर्गीय समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त है। संभवतः ऊंचे दामों पर बिकने वाला यह फल आम आदमी की पहुंच से दूर ही रहता है और प्रचलित फलों जैसे आम, केला, सन्तरा, पपीता, लीची, अमरूद आदि की तरह सामान्य फलों के ठेलों पर नहीं बिकता परन्तु पॉश कालोनियों व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर इसकी खूब उपलब्धता रहती है। स्ट्राबेरी का फल अत्यन्त कोमल एवं सुगंधित होता है जो पकने पर गुलाबी से गहरे लाल रंग का हो जाता है। इसमें लोहा एवं विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं अतः एनीमिया से पीड़ित रोगियों के लिए यह एक लाभकारी फल है इससे ताजा, आकर्षक, सुगन्धित एवं स्वादिष्ट जैम तथा आइसक्रीम भी बनाई जाती है।

प्र.– आपने स्ट्राबेरी की कौन–सी प्रजाति कब और कितनी दूरी पर लगायी है, पौधे कहां से लिए?

उ.– स्ट्राबेरी की चान्डलर किस्म के पौधे का रोपण 20 अक्तूबर, 2005 को 20x15 से.मी. की दूरी पर किया गया था, पौधे हिमाचल प्रदेश व सहारनपुर से मंगाए।

प्र.– आपने पौधे उठी हुई क्यारियों (Raised beds) पर लगाए हैं। इससे क्या फायदा है, ये क्यारियां हाथ से बनवायी हैं या मशीन से?

उ.– उठी हुई क्यारियां हाथ से बनवायी हैं, ऐसी मशीन कहीं यहां उपलब्ध नहीं है जिससे ये क्यारियां बन सकें। इससे पानी कम लगता है, पानी भरने की समस्या नहीं आती जिससे पौधे गलते नहीं हैं और फसल खराब नहीं होती।

प्र.– आपने खेत की तैयारी किस प्रकार की है व कितनी खाद का प्रयोग किया है?

उ.– खेत में उचित नमी की अवस्था में 3–4 बार हैरो से जोतकर पाटा लगाया। मिट्टी भुरभुरी होने पर फावड़े से उठी हुई क्यारियां बनायी, पूरे खेत में 1 कट्टा (50 कि.ग्रा.) डी.ए.पी., एक कट्टा म्यूरेट ऑफ पोटाश, 10 किलो तूतिया (कापर सल्फेट), आधा किलो सुहागा (बोरेक्स) व 5 किलो जिंक सल्फेट का प्रयोग खेत की अंतिम जुताई के समय किया।

प्र.– आपने खेत में काली प्लास्टिक की मल्च डाल रखी है। इसके क्या लाभ हैं?

उ.– इससे घास नहीं उगती, जमीन में गर्मी रहती है व फल खराब नहीं होते।

प्र.– सिंचाई कितनी व कैसे की, निराई–गुड़ाई व खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं। कृपया विस्तार से बताएं?

उ.– जाड़ों में नमी जल्दी नहीं सूखती इसलिए 15–20 दिन के अंतराल पर आवश्यकतानुसार पानी रेज्ड वैड्स के बीच की नालियों में ही देते हैं। इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि रेज्ड वैड्स पर लगे पौधे डूबे नहीं, नालियों के बीच की घास नियमित रूप से खुरपी से निकालते रहे व पौधों के पास की घास हाथ से उखाड़ी गई, कोई खरपतवारनाशी प्रयोग नहीं किया।

प्र.– आपने कीट–व्याधियों की रोकथाम के लिए कौन–कौन सी दवा प्रयोग की, कितने छिड़काव पूरी फसल में आपको करने

पड़े, क्या पौध उपचार भी किया, क्या बायोफर्टीलाइजर या बायोपेस्टीसाइड भी प्रयोग किया है?

उ.–पौध का उपचार नहीं किया व कोई बायोफर्टिलाइजर या बायोपेस्टीसाइड भी प्रयोग नहीं किया। जड़ों को खाने वाले, पत्तियों को खाने वाले कीटों, पत्तियों पर आने वाले धब्बों, पौधों की बढ़वार, ज्यादा फूल आने व अच्छी फसल के लिए लगभग 18 छिड़काव गत 5 महीनों में किए हैं, दवाओं की मात्रा ठीक से याद नहीं है।

प्र.– फलों की तुड़ाई कब से प्रारंभ की जाती है?

उ.–फलों की तुड़ाई दिसम्बर अन्त से प्रारम्भ हो गयी है। 15 मार्च तक अच्छी फसल मिली, अभी भी (मई मध्य) फल आ रहे हैं परन्तु अब फसल लगभग समाप्ति की ओर है, अब रनर्स निकलने प्रारम्भ हो रहे हैं। इनसे अब नए पौधे बनाए जाएंगे।

प्र.– पूरी फसल में खेत की तैयारी से लेकर फसल की तुड़ाई व बिक्री तक कुल कितना खर्च आपके खेत में आया होगा?

उ.–पूरा हिसाब तो लिखा नहीं है फिर भी लगभग ₹ 55000 का खर्च बैठ गया होगा। ज्यादा खर्चा मजदूरों, पौध व छिड़कावों पर आया है।

प्र.– अब तक कितनी उपज पांच बीघे (0.8 एकड़) से मिल चुकी है?

उ.–लगभग तीस कुन्टल फल तोड़े गए हैं कुछ फल और मिलेंगे।

प्र.–प्रति किलो कितना रेट मिला होगा, इसके बारे में भी बताए?

उ.–रेट तो घटते–बढ़ते रहते हैं। शुरू में ₹ 100 का रेट मिला बाद में ₹ 30 प्रति किलो तक बिक्री की। औसतन ₹ 50 प्रति किलो तक इसको आसानी से बेचा जा सकता है।

प्र.– इस प्रकार तो 30 कुन्टल फलों से ₹ 50 प्रति किलो के हिसाब से 1.50 लाख की प्राप्ति हो जाएगी और 55 हजार लागत निकालकर ₹ 95000 बचेंगे। यह लाभ आप कहीं ज्यादा तो नहीं बता रहे हैं?

उ.–नहीं, यदि फसल अच्छी चले, कीटों व रोगी से बची रहे व बाजार भाव ठीक मिल जाए तो इतना लाभ मिल सकता है।

प्र.– फलों के अतिरिक्त पौधों से अगली फसल के लिए रोपण सामग्री भी बनाएंगे। उसे बेचकर भी कुछ धनराशि प्राप्त होगी, पौधे कब से बनाएंगे?

उ– हां, लेकिन इसमें अतिरिक्त खर्च भी आएगा, पौधे बनाने के लिए गर्मी की समाप्ति से ही तैयारी हो जाती है।

प्र.– परम्परागत फसलों जैसे धान, गेहूं, सब्जियों आदि की तुलना में स्ट्राबेरी की खेती आपको कैसी लगी, इसकी आगे क्या संभावनाएं हैं?

उ.–धान, गेहूं, गन्ना से तो काफी अच्छी फसल है, लाभ भी काफी है, स्थानीय बाजार के अच्छे दाम मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया फसल है। क्षेत्र में जाम–जैली, आइसक्रीम आदि की फैक्ट्री लग जाए तो इसकी मांग बढ़ने से और अच्छे दाम मिल सकते हैं।

प्र.– आपने बरेली से बाहर इसे बेचने का प्रयास कभी किया है?

उ.–मैंने मदर डेयरी तथा लखनऊ में बात की है। अगले साल भेजेंगे, यहां से काफी अधिक दाम मिलने की उम्मीद है।

प्र.– आप क्षेत्र के कृषकों को स्ट्राबेरी की खेती के बारे में क्या सुझाव देना चाहेंगे?

उ.– यही कि अच्छी प्रजाति के पौधे विश्वास की जगह से खरीदें, खेत में गोबर की खाद डालें, जरूरत के हिसाब से फसल की देखभाल करें। फलों की अच्छी पैकिंग करके बड़े शहरों में सम्पर्क कर बाजार बनाएं, बाकी जो सलाह आप वैज्ञानिक लोग देंगे, उसे अपनाएंगे।

प्र.– क्या आप अगले वर्ष पौध बेचेंगे?

उ.– हां, पौधे बना रहा हूं, जो पौधे बचेंगे उनको बेचूंगा जिससे हमारे क्षेत्र के अन्य कृषक भी स्ट्राबेरी की खेती कर सकें तथा यह क्षेत्र स्ट्राबेरी के लिए जाने जाना लगे।

सम्मानित कृषक द्वारा अपनायी गई स्ट्राबेरी तकनीक में कुछ सुझाव

- एक हेक्टेयर में 250 कुन्टल सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग खेत की तैयारी के समय किया जाना चाहिए, उर्वरकों की सन्तुलित मात्रा (100:75:100 किलो नत्रजन, फास्फोरस व पोटाश प्रति हे.) का प्रयोग भूमि परीक्षण उपरांत किया जाना चाहिए। वर्मीकम्पोस्ट, नाडेप कम्पोस्ट आदि भी प्रयोग की जा सकती है। पौधों में जड़ सड़न से बचाव हेतु 2.5 कि.ग्रा. ट्राइकोडर्मा को 50–60 किलो गोबर की नम एवं सड़ी खाद में भली–भांति मिलाएं। 15 दिन में 2–3 बार फावड़े से पलटते रहें तत्पश्चात् आखिरी जुताई के समय एक हेक्टेयर खेत में बिखेरकर मिट्टी में मिला दें, खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें।
- पौधे लगाते समय खुली पत्तियों की तुड़ाई करके जड़ों का एक तिहाई भाग काटकर रोपण करने से पौधों को स्थापित होने में मदद मिलती है। रोपण से पूर्व पौध को ट्राइकोडर्मा (4 ग्राम प्रति लीटर पानी या 0.1 प्रतिशत वाविस्टीन) के घोल से उपचारित करने से जड़ों के रोग को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
- सम्मानित कृषक द्वारा किए गए 18 छिड़कावों की संख्या बहुत अधिक है। इन्हें आवश्यकतानुसार कम किया जाना चाहिए। विभिन्न कीटनाशी, सूक्ष्म तत्वों व पादप वृद्धि नियामकों को इनकी मिश्रणीयता (Capatibility) के आधार पर एक साथ छिड़काव कर छिड़कावों की संख्या व श्रमिकों का खर्च कम किया जा सकता है। कीटों व रोगों से सुरक्षा हेतु खेत व पौधशाला में बायो पेस्टीसाइड्स जैसे नीम की खली, नीम का तेल, ट्राइकोडर्मा, बावेयिरा, बेसियाना आदि के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए।
- स्थानीय फलों के नए बागों में शुरू के कुछ वर्षों तक स्ट्राबेरी की खेती सुगमता से की जा सकती है।
- फलों की ग्रेडिंग करके आकर्षक पैकिंग में बाजार में भेजने से प्रति किलो अधिक दर प्राप्त की जा सकती है। चूंकि फल रसीले होने के कारण दबने से बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अतः अच्छी पैकिंग के साथ–साथ अच्छे ट्रांसपोर्ट की भी समय से व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
- उगायी गयी प्रजाति (चान्डलर) के साथ–साथ अन्य उन्नतिशील प्रजातियां जैसे स्वीट चार्ली, डागलस, फर्न आदि को भी उगाया जा सकता है जिससे प्रति हेक्टेयर 200 कुन्टल तक की उपज प्राप्त हो सकती है।
- विपणन हेतु स्थानीय बाजार के साथ–साथ बड़े शहरों के व्यापारियों से सम्पर्क कर आपूर्ति करके अच्छा रेट व मुनाफा कमाया जा सकता है।

(लेखक सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।)

ई–मेल : rs.svbpatu@gmail.com

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरूक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110001, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

लहसुन के सत् से स्वस्थ हो रहे पौधे

जितेन्द्र द्विवेदी

तमाम औषधीय गुणों से भरपूर लहसुन सिर्फ मानव शरीर को ही नहीं बल्कि बीमार पौधों को भी स्वस्थ करने में रामबाण है। धरती पर अमृत तुल्य वस्तु केवल एक है और वह है लहसुन। लहसुन का प्रयोग प्राचीनकाल से हो रहा है। पूरी दुनिया में लहसुन का प्रयोग सदियों से सब्जी, मसाले या चटनी के रूप में होता आया है। इसके अन्दर एलियम नामक एंटिबायोटिक होता है जो बहुत से रोगों में लाभप्रद है।

जैविक खेती को बढ़ावा देने में लगे गोरखपुर जिले के पिपराइच ब्लॉक के ताजपिपरा गांव के प्रगतिशील किसान सुशील सिंह पिछले तीन वर्षों से लहसुन के सत् का प्रयोग कर अपने खेत में लगने वाले अगैती व पिछैती झुलसा, आर्द्रगलन व पाला जैसी बीमारियों से पौधों को स्वस्थ कर रहे हैं।

प्रगतिशील किसान सुशील सिंह स्वाद व स्वास्थ्य में सहायक लहसुन के खेती में प्रयोग की रोचक दास्तां बताते हैं। सुशील सिंह बताते हैं कि एक बार हमारे गांव में गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप द्वारा संचालित किसान विद्यालय में लहसुन के औषधीय गुणों के बारे में चर्चा हो रही थी। तभी मैंने सोचा कि लहसुन के सत् का प्रयोग अपने खेत में लगने वाली फफूंदी–जनित बीमारियों पर करके देखता हूं जिसका परिणाम बहुत अच्छा मिला। इसी प्रयोग को मैंने अपने पूरे खेत में आजमाया जो काफी सफल रहा। सुशील सिंह लहसुन की अक्र का प्रयोग लौकी व आलू में पाला, प्याज में झुलसा रोग समेत कई रोगों में सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आर्द्रगलन रोग के चलते पौधे का जड़ व तना बेहद कमजोर हो जाते हैं जिसकी वजह से अधिकतर पौधे सूख जाते हैं और पैदावार प्रभावित होती है। लहसुन में कॉपर आक्सीक्लोराइड यानी नीला थोथा होता है जिसमें कई रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। स्नातक तक शिक्षा ग्रहण करने वाले पिपराइच के ताजपुर पिपरा गांव में सुशील सिंह एक एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं। एक एकड़ की खेती में वे तीन दर्जन से अधिक सब्जी, फल व फूल की खेती कर रहे हैं। वह बताते हैं कि वर्ष 2006 में पहली बार लहसुन का प्रयोग बीमार पौधों पर किया था। लहसुन के सत् के छिड़काव से आर्द्रगलन के रोग से पौधों का बचाव होता है। लहसुन की सत् के लिए पांच लहसुन को पीस कर तीन लीटर पानी में मिलाया जाता है। पानी में 3 ग्राम डिटरजेंट पाउडर भी डाला जाता है ताकि छिड़काव करते समय घोल पौधे पर अच्छी तरह चिपक जाए। आज पिपराइच क्षेत्र के दर्जनों किसान लहसुन के सत् से पौधों की बीमारी ठीक कर रहे हैं।

जैविक खादों के प्रयोग से मृदा का जैविक स्तर बढ़ता है, जिससे लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और मृदा काफी उपजाऊ हो जाती है। जैविक खाद पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ प्रदान कराती है जो मृदा में मौजूद सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों को मिलते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ बनते हैं और उत्पादन बढ़ता है। रसायनिक खादों के मुकाबले जैविक खाद सस्ते, टिकाऊ बनाने में आसान होते हैं। इनके प्रयोग से मृदा में ह्यूमस की बढ़ोतरी होती है व मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। पौध वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन,

फास्फोरस और पोटाश तथा काफी मात्रा में गौण पोषक तत्वों की पूर्ति जैविक खादों के प्रयोग से ही हो जाती है। कीटों, बीमारियों तथा खरपतवारों का नियंत्रण काफी हद तक फसल चक्र, कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं, प्रतिरोध किस्मों और जैव उत्पादों द्वारा ही कर लिया जाता है। जैविक खादें सड़ने पर कार्बनिक अम्ल देती हैं जो भूमि के अघुलनशील तत्वों को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देती हैं, जिससे मृदा का पी.एच. मान 7 से कम हो जाता है। अतः इससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। यह तत्व फसल उत्पादन में आवश्यक हैं। इन खादों के प्रयोग से पोषक तत्व पौधों को काफी समय तक मिलते हैं। यह खादें अपना अवशिष्ट गुण मृदा में छोड़ती हैं। अतः एक फसल में इन खादों के प्रयोग से दूसरी फसल को लाभ मिलता है।

वह बताते हैं कि घर अथवा खेत में उपलब्ध संसाधनों (गौमूत्र, लहसुन, सुर्ती, नीम आदि) द्वारा कीटनाशकों का निर्माण व उनका नियमित प्रयोग करता हूं। अपने खेतों में घर पर निर्मित कीटनाशक का ही प्रयोग करता हूं जिससे फसल स्वस्थ रहे। यदि भूमिशोधन व बीज अथवा पौध शोधन की क्रिया समुचित रूप से की जाए तो कीट व रोग के लगने की संभावनाएं स्वयं ही कम हो जाएंगी।

इस सम्बन्ध में उ.प्र. राज्य कृषि सलाहकार परिषद के सदस्य एवं गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप के अध्यक्ष डॉ. शीराज वजीह का कहना है कि संस्था द्वारा संचालित किसान विद्यालय पर देशी एवं परम्परागत कृषि ज्ञान के बारे में किसानों को बताया जाता है जिससे कि किसान खेती में लगने वाले रोगों एवं बीमारियों का इलाज स्वयं एवं कम लागत में कर सकें।

कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि लहसुन में पौधों को स्वस्थ करने के तमाम गुण मौजूद हैं। लौकी, प्याज, आलू समेत कई फसलों में रोग कापर सल्फेट की कमी और फंगस की वजह से होते हैं। लहसुन में एरिल सल्फेट पाया जाता है जो एंटी फंगल होता है और कॉपर सल्फेट की कमी को पूरा करता है। लहसुन के घोल में डिटरजेंट मिलाने से घोल की प्रभावक्षमता बढ़ जाती है जिससे घोल पत्ती पर अच्छी तरह चिपक जाता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई–मेल : jitendraabf@gmail.com

रोगों से बचाए टमाटर

रूबी कुमार

टमाटर केवल सब्जी का स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि यह स्वास्थ्यवर्धक भी है। अपने क्षारीय गुणों के कारण टमाटर खून को शुद्ध रखता है और व्यक्ति के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। टमाटर के रस के लगातार सेवन से चर्मरोग ठीक हो जाते हैं। टमाटर गर्मी दूर करता है तथा बुखार में खाने से तापमान कम हो जाता है। टमाटर खाने से दांत भी मजबूत होते हैं। जिगर संबंधी सभी परेशानियों के लिए भी टमाटर को उपयोगी माना गया है।

टमाटर सोलेनेसी कुल की सब्जी है और इसका वानस्पतिक नाम लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंट्स है। टमाटर का पौधा झाड़नुमा किन्तु छोटा होता है। टमाटर ऐसी सब्जी है जिसे कई तरह से खाया जाता है। इसको कई लोग कच्चा खाते हैं तो कई सलाद या फिर सूप बनाकर सेवन करते हैं। इसके अलावा टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो किसी भी सब्जी में पड़ने के बाद उसकी रंगत बदलने के साथ–साथ स्वाद और पौष्टिकता भी बढ़ा देता है।

करीब डेढ़ सौ वर्ष पहले टमाटर एक विषैली सब्जी मानी जाती थी और इसका उपयोग कम किया जाता था लेकिन आज टमाटर का उपयोग करीब–करीब हर सब्जी में किया जाता है। पहले टमाटर को विषैला समझने के बाद चिकित्सक गठिया अथवा गैस वाले रोगियों को इसका सेवन करने के लिए मना करते थे। लगातार किए गए अनुसंधानों के बाद पुरानी मान्यता को खारिज करते हुए इसे पोषक व स्वास्थ्य प्रदान करने वाला माना गया है।

टमाटर ग्रीष्म ऋतु की फसल है जो पाला सहन नहीं कर सकता है। लेकिन अत्यधिक गर्म व शुष्क मौसम में अधिक वाष्पोत्सर्जन होने के कारण टमाटर के फूल और अपरिपक्व फल झड़ जाते हैं। गर्म और खूब धूप वाले क्षेत्र में इसका रंग अच्छा होता है। गुणों में वृद्धि और उपज अच्छी होती है। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में टमाटर सफलतापूर्वक नहीं उगाया जा सकता है।

कहां से आया टमाटर

टमाटर की मूल उत्पत्ति अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र विशेषकर पेरू या मैक्सिको में बतायी जाती है। टमाटर का इतिहास केवल 400 वर्ष पुराना है क्योंकि यह विश्व के अन्य भागों में 16वीं शताब्दी में फैला है। टमाटर 40 से 50 वर्षों में भारत में लोकप्रिय हुआ है।

रक्तशोधक

टमाटर अपने क्षारीय गुण के कारण खून को शुद्ध रखता है और व्यक्ति के शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत पैदा करता है। टमाटर खट्टा होता है और खटाई रक्तशोधक है। रक्तशोधन के लिए टमाटर का अकेले ही सेवन करना चाहिए। किसी अन्य चीज के साथ नहीं लेना चाहिए। जब रक्त दोष से त्वचा में चकते पड़ जाएं या रक्त विकार हो तो टमाटर का रस दिन में 3 से 4 बार पीना चाहिए। इससे अवश्य फायदा होगा। कुछ सप्ताह लगातार टमाटर का रस पीने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा टमाटर गर्मी दूर करता है तथा बुखार में टमाटर खाने से तापमान कम हो जाता है।

पेट के लिए रामबाण

जिगर संबंधी सभी परेशानियों के लिए टमाटर को उपयोगी माना गया है। जिन लोगों का जिगर कमजोर हो गया हो, उन लोगों के लिए टमाटर औषधि साबित होती है। इसके सेवन से नई शक्ति का संचार होता है। जिगर अगर धीरे–धीरे काम कर रहा हो तो इसे गति देने के लिए टमाटर कारगर है। इसके सेवन से अरूचि, दस्त और अपच स्वतः ठीक हो जाते हैं। पाचक और शक्तिवर्धक होने के कारण यह बड़ी आंत को ताकत प्रदान करता है। इसके सेवन से पाचन तंत्र ठीक रहता है और कब्ज भी स्वतः दूर हो जाती है। नियमित रूप से दो–तीन टमाटर खाने से कब्ज दूर रहता है। पेट में अफरा भी शांत रहता है। इसके अलावा अमाशय में मौजूद विष भी शांत हो जाते हैं। तमाम पश्चिमी देशों में दूध पीने वाले छोटे बच्चे को टमाटर का रस छानकर पिलाया जाता है। सुबह खाली पेट टमाटर को काली मिर्च और नमक के साथ खाने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। जिन लोगों के जीभ

में छाले बार–बार पड़ जाते हो, उनके लिए टमाटर खाना फायदेमंद है। शारीरिक ताकत के लिए सुबह–सुबह उठकर टमाटर के एक कप रस में अथवा क्षमता के अनुसार एक गिलास में शहद मिलाकर पीने से रक्त साफ होता है और चेहरे पर रौनक आ जाती हैं।

स्कर्वी रोग में कारगर

टमाटर स्कर्वी रोग होने पर भी कारगर है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है।

अतिसार

गर्मी के मौसम में टमाटर को अधपका करके मौसमी के रस के साथ खाने से अधिसार में लाभ पहुंचता है।

दस्त में लाभकारी

टमाटर पेचिश में भी लाभदायक होता है। परन्तु इसे लहसुन तथा मौसमी के रस के साथ खाना चाहिए।

लू लगना

आधा पका टमाटर लू चलने वाले सीजन के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यह गर्मी की चपेट और लू लगने से बचाता है। सौ ग्राम टमाटर में सेंधा नमक डालकर खाना चाहिए, इससे जीभ का फीकापन दूर होता है।

त्वचा के रोग

कच्चा टमाटर खाने से त्वचा की खुश्की दूर होती है। यह गर्मी दूर करता है, जिन सब्जियों की तासीर गर्म होती है उसे टमाटर में डालकर खाना चाहिए जिससे उसकी प्रकृति बदल जाएगी।

बुखार

तेज बुखार आने पर रक्त में हानिकारक तत्व बढ़ जाते हैं। ऐसे में टमाटर का रस या फिर सूप पीने से हानिकारक तत्व निकल जाते है। इसे सामान्य बुखार में भी देना चाहिए।

खुजली

एक चम्मच टमाटर का रस और दो चम्मच नारियल का तेल मिलाकर मालिश करें, फिर गर्म पानी से स्नान करें। लगातार ऐसा करने से कुछ दिनों में खुजली मिट जाएगी।

दांतों की मजबूती

टमाटर खाने से दांत मजबूत होते हैं। मसूड़ों से खून निकलना बंद हो जाता है। दांत चमकने लगते हैं।

सूखा रोग

छोटे बच्चे को लाल टमाटर का रस प्रतिदिन चार बार पिलाने से बच्चा स्वस्थ रहता है। इसके अलावा पेट के रोग, अतिसार और पीलिया आदि में भी लाभदायक होता है।

शुगर

शुगर रोगियों के लिए टमाटर बहुत ही लाभदायक है। टमाटर की खटाई शरीर में शर्करा की मात्रा घटाती है। यूरिन में शर्करा जाना भी धीरे–धीरे कम हो जाता है।

क्या–क्या मिलता है टमाटर से

प्रति 100 ग्राम टमाटर खाने से 94.0 ग्राम जल, 0.9 ग्राम प्रोटीन, 0.2 ग्राम वसा, 3.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेड, 0.8 ग्राम रेशा, 585 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट विटामिन ए, 0.12 मिग्रा विटामिन बी, 12 मिग्रा0 विटामिन सी, 55 मिग्रा मेलिक अम्ल, 390 मिग्रा साइट्रिक अम्ल, 4.0 मिग्रा आक्जैलिक अम्ल, 146 ग्राम पोटेशियम, 48 मिग्रा कैल्शियम, 13 मिग्रा मैग्नीशियम, 11 मिग्रा गंधक, 20 मिग्रा फास्फोरस, 0.4 मिग्रा लोहा, 6 मिग्रा क्लोरीन, 12.9 मिग्रा सोडियम, 0.14 मिग्रा कापर तथा 20 कैलोरीज पायी जाती हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, बी और सी के अलावा पोटेशियम भी होता है। ये सिट्रिक और मेलिक अम्लों से समृद्ध है। इनमें ऑक्जेलिक एसिड भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये कार्बनिक अम्ल उचित चयापचय के लिए जरूरी होते हैं। हालांकि पकाने पर ये अम्ल अकार्बनिक हो जाते हैं। गुर्दे और मूत्राशय की पथरी अधिक मात्रा में पकाए गए टमाटर लेने के फलस्वरूप होती हैं। पेट में श्वेतसार और शर्करा के बिना कच्चा टमाटर का रस पीना शरीर के लिए अच्छा है और क्षारीय प्रभाव डालता है, परन्तु श्वेतसार और शर्करा के साथ कच्चे टमाटर के रस में एक निश्चित अम्लीय प्रभाव होता है।

क्या कहता है नेचुरोपैथ

टमाटर को तमाम नेचुरोपैथ डाक्टरों ने शरीर में क्षार तत्व बनाए रखने में उपयोगी माना है। इसी क्षार तत्व के कारण शरीर में रोगप्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। बहुत ही कम ऐसी सब्जियां होती हैं जिनमें ए बी सी तीनों विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हो, टमाटर भी ऐसी ही सब्जी है। यही कारण है कि इसे ताकत देने वाला, पाचक और स्वाथ्यवर्धक माना गया है।

क्या मानते हैं विशेषज्ञ

कुछ खाद्य विशेषज्ञों का मानना है कि टमाटर एक प्रकार का फल है परन्तु उनका यह भी मानना है कि इसको कच्चे रूप में यानी बिना पकाए खाया जाए तो यह अधिक लाभ देने वाला होता है। वहीं कुछ विषेशज्ञों ने यहां तक माना है कि इसमें तीनों विटामिन होने के कारण यह संतरे और अंगूर आदि फलों से भी अधिक लाभदायक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पकाने के बाद भी इसके तत्व नष्ट नहीं होते हैं। चूंकि यह आसानी से पक जाता है इसलिए इसे कमजोर

पाचनतंत्र के लोगों को देना लाभकारी होता है। टमाटर में विटामिन ए इतनी मात्रा में मौजूद होता है कि अगर तीन–चार टमाटर रोज खाए जाएं तो शरीर में विटामिन ए की जरूरत पूरी हो सकती है।

सर्वे ने भी बताया लाभकारी

हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में हजार से अधिक लोगों के खानपान का साक्षात्कार किया गया और पांच साल तक देखरेख की गई। इसके बाद यह बात सामने आई कि जो लोग टमाटर खाते हैं उनके कैंसर से मरने की संभावनाएं कम होती हैं। इसका कारण उसमें पाए जाने वाले विटामिन और दूसरी किस्म के कैरोटिन हैं।

कौन से टमाटर अच्छे

टमाटर शरीर के लिए तभी अच्छे होते हैं, जब वे बेल में पके होते हैं। ये 60° से 80° फॉरनहाइट के बीच के तापमान पर अच्छी तरह पके हैं। यदि वे सीधे धूप में होंगे, उनकी सुगंध कम होगी। मीठे और खट्टे के बीच का एक अच्छा संतुलन टमाटरों को बेहतर स्वाद प्रदान करता है। ताजे टमाटरों का डंठल कुम्हलाया हुआ नहीं होता है। इसके डंठल वाला सिरा ऊपर रखते हुए इन्हें भंडारित करना चाहिए।

सावधानी भी बरतें

टमाटर खाने के बाद पानी न पिएं। टमाटर में एक तेजाबी अंश होता है जो पेट साफ रखता है। टमाटर खाकर पानी पीने से यह तेजाबी अंश खत्म हो जाता है। तेज खांसी में टमाटर लेना हानिकारक है। पथरी के रोगियों को टमाटर का सेवन नहीं करना चाहिए। टमाटर के साथ शक्कर का प्रयोग लाभकारी है। इसके अलावा भोजन से पूर्व टमाटर लेने से भूख बढ़ जाती है, इसलिए लोग खाने से पूर्व सूप पीते हैं। सूप में थोड़ा मक्खन और सूखी ब्रेड के टुकड़े डालने से सूप का स्वाद बढ़ जाता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

ई–मेल : r_kumar@gmail.com

मनरेगा ने बदली पोंगरी गांव की तकदीर

राजकुमार महोबिया

पोंगरी गांव के किसानों के खेतों में लहलहाती फसलें, बारहमासी जलापूर्ति की व्यवस्था, ग्रामीण संपर्क हेतु निर्मित सड़कें, मार्ग में छायादार एवं फलदार वृक्षों की लंबी कतारें मनरेगा की सफलता की कहानी कह रहे हैं। मनरेगा से गांव में खुशहाली आई है। किसानों को कपिलधारा, भूमिशिल्प, नंदन फलोत्सव आदि उपयोजनाओं का लाभ मिलने से न केवल खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है बल्कि किसानों की आमदनी भी खूब बढ़ी है। यही नहीं अब गांव के बेरोजगार रोजगार की तलाश में शहरों की ओर नहीं भागते। गांव के ही आसपास रोजगार मिलने से वे अब अपने पारिवारिक दायित्वों को भी बखूबी निभा रहे हैं।

हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पोंछने की रही है। यह शायद हमारे लिए कर पाना मुश्किल हो, परन्तु जब तक आंसू और पीड़ा है, तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू का उक्त कथन ''नरेगा'' जिसे 2 अक्टूबर 2009 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) नाम दिया गया है, की सार्थकता एवं सफलता को स्वयंसिद्ध कर रहा है। महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाने में मनरेगा जैसी योजनाओं की ही आवश्यकता है।

2 फरवरी, 2006 को आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से प्रारंभ केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित मनरेगा अब तक की सबसे बड़ी गरीबों, किसानों एवं बेरोजगारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने वाली योजना है। एक अप्रैल, 2008 से देश के सभी 614 जिलों में लागू इस अभूतपूर्व योजना से 100 दिन के न्यूनतम रोजगार की गारंटी मिलने से ग्रामीणों के जीवन में आए महत्वपूर्ण बदलाव को स्पष्टतः देखा जा सकता है। बेरोजगारों की आंखों में उत्साह की चमक, किसानों के हंसते–मुस्कुराते चेहरे, महिलाओं में जाग्रत स्वाभिमान, विश्वास एवं गौरव की भावना, जीवन–स्तर में वृद्धि, आवागमन हेतु ग्रामीण सड़कों का निर्माण, बच्चों में घटती कुपोषण की दर आदि मनरेगा ने ही संभव कर दिखाया है।

श्रीमती मुन्नी बाई गोंड (सरपंच)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पहले से संचालित कई अन्य योजनाओं से इस मायने में बिल्कुल अलग है क्योंकि इससे पहले ग्रामीण बेरोजगारों एवं किसानों की दशा सुधारने के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च नहीं की गई, जितनी कि मनरेगा में खर्च की जा रही है। इस योजना हेतु 2010–11 के बजट में ₹ 40,100 करोड़ का प्रावधान है जबकि पिछले बजट वर्ष 2009–10 में यह ₹ 39,100 करोड़ था। इससे इस योजना की प्रासंगिकता परिलक्षित होती है।

देश में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या एवं बेरोजगारी की स्थिति में रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं ही औचित्यपूर्ण एवं सफल हो सकती हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां 60 प्रतिशत आबादी खेती से जीवनयापन करती हो, कृषि मानसून का जुआ हो, लगभग 32 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन कर रहे हो, श्रम शक्ति का एक बड़ा भाग अकुशल एवं असंगठित हो, ऐसे में बेरोजगारी को दूर करना तथा सामाजिक असमानता में कमी लाने का प्रयास करना सरकार की पहली प्राथमिकता हो जाती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत विभिन्न उपयोजनाओं जैसे शैलपर्ण, रेशम, भूमिशिल्प, वन्या, कपिलधारा, नंदन फलोद्यान, निर्मल वाटिका, निर्मल नीर, मीनाक्षी, सहस्त्रधारा, शृंखलाबद्ध जल संरचनाएं, शांतिधाम, क्रीड़ांगन आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों, किसानों एवं निर्धन परिवारों के विकास एवं कल्याण हेतु कार्य कराए जाते हैं। इससे न सिर्फ ग्रामीणों की आय का स्तर बढ़ा है बल्कि रोजगार हेतु शहरों की ओर पलायन में भी कमी आई है। वास्तव में देखा जाए तो केन्द्र प्रायोजित इस योजना से ग्रामीण बेरोजगारी एवं गरीबी को दूर करने के साथ ही ग्रामीणों के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। आय में वृद्धि से उनके उपभोग व्यय में वृद्धि तथा आरामदायक वस्तुओं के लिए क्रयशक्ति बढ़ी है।

भारत के सभी राज्यों में संचालित मनरेगा मध्य प्रदेश में सफलता के सोपान पर है जिसकी सराहना भारतीय योजना आयोग ने भी की है। 14, जून 2008 को मध्य प्रदेश का नवगठित शहडोल संभाग एक आदिवासी–बहुल संभाग है। शहडोल जिले के जनपद पंचायत सोहागपुर की 77 ग्राम पंचायतों में से एक ग्राम पंचायत पोंगरी आज मनरेगा से विकास के मार्ग पर अग्रसर है।

शहडोल जिला मुख्यालय से 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित पोंगरी गांव के किसानों के खेतों में लहलहाती फसलें, बारहमासी जलापूर्ति की व्यवस्था, ग्रामीण संपर्क हेतु निर्मित सड़कें, मार्ग में छायादार एवं फलदार वृक्षों की लम्बी कतारें मनरेगा की सफलता की कहानी कह रहे हैं। मनरेगा ने ग्राम पोंगरी के ग्रामीण परिवारों में आशा एवं उत्साह का संचार करने में मुख्य भूमिका निभाई है।

पोंगरी के पूर्व सरपंच एवं किसान मोहन सिंह कहते हैं कि पहले आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते थे कि इन्द्र देवता कब मेहरबान होंगे, परन्तु अब ऐसा नहीं है। मनरेगा से गांव में तालाब एवं स्टाप डेम बन जाने से जल की समस्या नहीं रही। मेरे खेत में कपिलधारा योजना के तहत कूप निर्माण करवाया गया है जिससे कृषि उत्पादन पहले से दो गुना हो गया है। अब वर्ष में खरीफ और रबी की फसलों के साथ सब्जियां भी उगाते हैं जो पहले संभव नहीं था। मनरेगा से हमारी आर्थिक दशा में काफी सुधार आया है।

पोंगरी गांव की नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती मुन्नी बाई गोंड़ कहती हैं कि मनरेगा से गांव में खुशहाली आ गई है। किसानों को कपिलधारा, भूमि शिल्प, नंदन फलोद्यान आदि उपयोजनाओं का लाभ मिल रहा है। इससे न सिर्फ खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है बल्कि किसानों की आमदनी में भी खूब वृद्धि हो रही है। कपिलधारा से अब तक 14 हितग्राही, भूमि शिल्प से 25 हितग्राही, नंदन फलोद्यान से 10 हितग्राहियों को अब तक लाभ मिल चुका है। रतन जोत (जेट्रोफा) के एक लाख पौधों की नर्सरी लगाई

गई है जिसे आगामी समय में लाभ मिलेगा। वर्ष 2008–09 में तालाब निर्माण पूर्ण हुआ जो किसानों एवं ग्रामीणों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। पोंगरी ग्राम पंचायत में सम्मिलित गांव मैका में एक तालाब निर्माणाधीन है। यहां लगभग 150 मजदूर कार्य कर रहे हैं। शेष कार्य प्रगति पर है। ग्रामसभा की होने वाली बैठकों में प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का चयन कर उनको पूर्ण कराया जाता है।

पोंगरी ग्राम पंचायत के सचिव हेमराज महोबिया बताते हैं कि मनरेगा से गांव के बेरोजगारों, किसानों एवं निर्धन परिवारों का जीवन–स्तर पहले की तुलना में अच्छा हो गया है। 100 दिन के न्यूनतम रोजगार की गारंटी, रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान, महिला कामगारों को 33 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराने की अनिवार्यता, मजदूरी का भुगतान बैंकों/डाकघरों के माध्यम से होना, गांव के आसपास ही 5 कि.मी. की दूरी पर रोजगार की उपलब्धता आदि प्रावधानों के कारण ग्रामीणों के बुनियादी ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। मनरेगा ग्रामीण निर्धन परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहा है।

नंदन फलोद्यान से लाभान्वित हितग्राही मुन्नालाल, रामप्रसाद, अकाली कहते हैं कि उनके खेतों में योजना के तहत आम, अमरूद, जामुन, पपीता, सीताफल, केला, बेर आदि के पौधे रोपित किए गए हैं जो उनकी आमदनी के स्रोत बनेंगे। गांव के ही दानी बैगा, मदन बैगा, भमनू बैगा के अनुसार बरसात होने पर गांव में सड़क का अभाव होने से घुटनों तक कीचड़ रहता था परन्तु 2008–09 में एक कि.मी. दूरी का भिड़गा–खितौली पहुंच मार्ग बन जाने से आवागमन सुगम हो गया है। डगनिहा टोला की बस्ती में सी.सी. रोड का निर्माण हो गया है। करैम बैगा कहते है कि लगभग 5 हजार की आबादी वाली पोंगरी ग्राम पंचायत में लगभग 60 प्रतिशत आबादी बैगा एवं गोंड़ जनजाति की है। ऐसे में समाज की मुख्यधारा से दूर निर्धन, पिछड़े जनजाति एवं निर्धन ग्रामीण परिवारों के बेरोजगारों के लिए मनरेगा एक रामबाण की तरह है। ज्ञातव्य है कि बैगा जनजाति मध्यप्रदेश की एक विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में शामिल है।

ग्राम पंचायत पोंगरी के ग्रामीण बेरोजगार अब रोजगार की तलाश में शहरों की ओर नहीं भागते, बल्कि कई तो शहरों से वापिस गांव में आकर मनरेगा के तहत मजदूरी करने लगे। इस तरह शहरों की ओर पलायन में कमी आई है। गांव के आसपास ही रोजगार मिलने से वे अब अपने पारिवारिक दायित्वों का भी बखूबी निर्वहन कर रहे है। वर्ष 2009–10 में छिंदहा नाला, फरदिहा नाला एवं गाड़ाघाट में स्टापडेम बनने से लगभग 120 एकड़ भूमि में खेती सिंचित होती है। निःसंदेह इससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि एवं किसानों की आय में आशातीत वृद्धि हुई है। स्टाप डेम एवं तालाब बन जाने से गांव में हरियाली आ गई है और जानवरों को भी चारा–पानी पर्याप्त मात्रा में मिलने लगा है।

ग्राम पंचायत पोंगरी में बड़ी मात्रा में पथ वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। सचिव हेमराज महोबिया के अनुसार पोंगरी एवं मैका गांव में पथ वृक्षारोपण के द्वारा आम, नीम, आंवला, करंज, जामुन, इमली आदि का वृक्षारोपण कराया गया है। ग्राम पंचायत पोंगरी के 276 बीपीएल परिवारों में से 40 हितग्राहियों को इंदिरा आवास योजना का लाभ दिलाया गया है। इसी तरह 2008–09 एवं 2009–10 में समग्र स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत 228 हितग्राही लीचिंग पिट्स प्लांटेशन

(शुष्क शौचालय) का लाभ उठा रहे है जिनमें से 80 शौचालय पूर्ण एवं 148 निर्माणाधीन है।

प्रसिद्ध मार्क्सवादी नेता लेनिन का कथन है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे मजदूरी मिल जानी चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो मनरेगा के द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान यथासंभव शीघ्र करने का प्रयास किया जाता है। मजदूरी का भुगतान समय पर हो जाने से ग्रामीणों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। पोंगरी की कलावतिया बाई कहती है कि मनरेगा के द्वारा रोजगार मिलने से अब उनके परिवार का भरण–पोषण ठीक तरह से हो पा रहा है। मनरेगा से प्राप्त मजदूरी का भुगतान बैंक/डाकघर से होने के कारण भ्रष्टाचार पर काफी अंकुश लगा है। बैंक से मजदूरी भुगतान होने पर ग्रामीणों में बचत की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है।

संक्षेप में कहा जाए तो मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को कई तरह से लाभान्वित किया है–

- ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी मिली।
- ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होने से उनके उपभोग व्यय में वृद्धि एवं जीवन–स्तर में सुधार आया।
- शहरों की ओर पलायन में कमी आई।
- जलसंरक्षण एवं संभरण को बढ़ावा मिला।
- मजदूरी का भुगतान बैंकों/डाकघरों के माध्यम से होने पर बचत प्रवृत्ति बढ़ी है।
- खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है।
- महिला सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन में वृद्धि हुई है।
- पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है, आदि।

सरपंच मुन्नी बाई कहती है कि मनरेगा ने गांव की किस्मत बदल दी है। 100 दिन के न्यूनतम रोजगार की जगह यदि सरकार 200 दिन के रोजगार की गारंटी का प्रावधान कर दे तो गांवों का कायाकल्प हो जाएगा। सब आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएं, ऐसा ही तो हम चाहते हैं।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिजरायली ने कहा था'' आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता अधूरी है।'' आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र ही 21वीं सदी की मांग है। आशा की जानी चाहिए कि मनरेगा ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बनकर उभरेगा।

(लेखक अर्थशास्त्र विभाग पं.शंभूनाथ शुक्ल शास. स्व. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) में शोध छात्र हैं।)

ई–मेल : Id- mahobiaumr@gmail.com

हमारे आगामी अंक

नवंबर, 2010 – जनजातीय विकास

दिसंबर, 2010 – गांवों से शहरों की ओर पलायन

जनवरी, 2011 – गांवों में रोजगार

फरवरी, 2011 – सिंचाई व्यवस्था

मार्च, 2011 – खाद्य सुरक्षा

अप्रैल, 2011 – बजट 2011–12

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार व स्वास्थ्य से संबंधित लेख भी इनमें शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त विषयों पर सारगर्भित लेख (आम बोलचाल की भाषा में) व फोटो हमें भेजे जा सकते हैं। पत्रिका के प्रकाशन की तिथि आगामी माह से तीस दिन पूर्व होती है। अतः प्रकाशन सामग्री कम से कम 45 दिन पूर्व हमें मिल जानी चाहिए ।

'फ़िशिंग' ई-मेल से सावधान !

जागो ग्राहक जागो

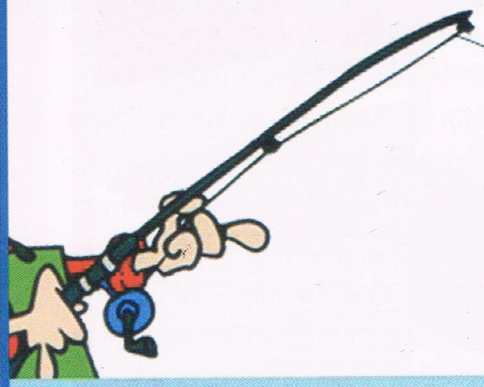

ज़रा सी सावधानी आपके ऑनलाइन लेन-देन को बनाए अधिक सुरक्षित

आपको 'फ़िशिंग' से सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह जालसाज़ों द्वारा ग्राहकों की निजी जानकारी, जेसे उपयोगकर्ता की पहचान, पासवर्ड, जन्मतिथि, सी वी वी, आई पी आई एन, क्रेडिट / डेबिट कार्ड नं., कार्ड समाप्ति तिथि इत्यादि चुरा लेने का एक ऑनलाइन तरीका है।

'फ़िशिंग' को समझिए और इसकी रोकथाम कीजिए।

- जालसाज़ ईमेल या फोन द्वारा बैंक के ग्राहकों की निजी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ी ही चालाकी से छिपाई जाती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो बैंक से ही मंगवायी गई है।
- आपकी जानकारी तब भी चोरी-छिपे प्राप्त की जा सकती है जब आप अपने बैंक की वेबसाइट पर लॉग ऑन रहते हैं। यह होता है पॉप अप्स के ज़रिये जो आपके बैंक के वेबपेज की बगल में आते रहते हैं और भोलेभोले यूज़र्स से उनकी गोपनीय जानकारी बताने का आग्रह करते हैं।
- अन्य प्रकार के निवेदन आपको किसी सर्वेक्षण में शामिल कर सकते हैं अथवा आपको सूचित कर सकते हैं कि आपका ऑनलाइन सैशन समाप्त हो गया है ओर उसे पुनर्घालित करने के लिए आपको अपना अकाउंट मान्य / अपडेट / प्रदर्शित करना होगा।
- यह तब भी हो सकता है जब आप किसी अनजान स्रोत से जानकारी या फाइल्स डाउनलोड करते हैं अथवा ऐसी चेतावनियों के माध्यम से कि अगर आपने अपने अकाउंट की जानकारी की दोबारा पुष्टि नहीं की तो आपका ऑनलाइन सैशन बंद हो जाएगा।

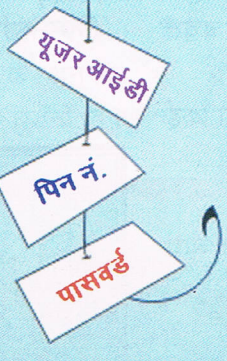

'फ़िशिंग से बचने के उपाय'

- अपने बैंक यूआरएल का पता हमेशा ब्राऊजर बार में ही टाइप करें।
- एक सैशन में बहुत सारी विन्डोज़ खोलने से बचें।
- कभी भी पॉप अप्स में अपने यूजर आईडी, पासवर्ड, जन्मतिथि, सीवीवी, आईपीआईएन, क्रेडिट / डेबिट कार्ड नं., कार्ड समाप्ति की तारीख़ न लिखें।
- हमेशा व्यायस्थित तरीके से लॉग ऑफ़ हों और अपने स्टेटस की फिर से पुष्टि करें।
- अपने कम्प्यूटर को वायरस रहित रखने के लिए उचित, नयीनीकृत एंटी-वायरस तथा एंटी-स्पायवेयर उपकरणों का इस्तेमाल करें।
- अतिरिक्त सुरक्षा के लिए दोहरी सुरक्षा वाले पासवर्ड्स का प्रयोग करें।
- प्रामणिक स्त्रोतों द्वा नियमित रूप से 'फ़िशिंग' के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे।

उपभोक्ता कॉल करें:

उपभोक्ता राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर
1800-11-4000 (निःशुल्क) पर सम्पर्क कर सकते हैं।
(बीएसएनएल / एमटीएनएल लाइनों से)
अथवा 011-27662955, 56,57,58 (सामान्य कॉल दरें)
(9.30 प्रातः से 5.3 सायं – सोमवार से शनिवार

जनहित में जारी

भारतीय बैंक संघ

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001
वेबसाइट: www.fcamin.nic.in

davp 08101/13/0025/1011

KH-10-10-4

पंचायतों का सशक्तिकरण

ग्रामसभा का वर्ष

स्वशासन में ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के महत्व को देखते हुए 2 अक्टूबर, 2009 से 2 अक्टूबर, 2010 तक की अवधि को ग्रामसभा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ग्रामसभाओं की कार्यप्रणाली में प्रभाविकता सुनिश्चित करने के सभी संभव प्रयासों के अतिरिक्त निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं – पंचायतों, विशेषतः ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक नीतिगत, वैधानिक और कार्यक्रम परिवर्तन, पंचायतों में अधिक कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सुव्यवस्थित प्रणालियों और प्रक्रियाओं को और ग्रामसभाओं तथा पंचायतों की विशिष्ट गतिविधियों को आकार देना और ग्राम–सभाओं तथा पंचायतों की विशिष्ट गतिविधियों के बारे में जन–जागृति फैलाना।

न्याय पंचायत विधेयक, 2010

वर्तमान न्याय प्रणाली, लम्बी चलने वाली प्रकियाओं से लदी हुई, तकनीकी और मुश्किल से समझ में आने वाली हैं जिससे निर्धन लोग अपनी शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा नहीं ले पाते। इस प्रकार की दिक्कतों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने न्याय पंचायत विधेयक लाने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित न्याय पंचायतें न्याय की अधिक जनोन्मुखी और सहभागीय प्रणाली सुनिश्चित करेंगी, जिनमें मध्यस्थता, मेल–मिलाप और समझौते की अधिक गुंजाइश होगी। भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के अधिक नजदीक होने के कारण न्याय पंचायतें एक आदर्श मंच संस्थाएं साबित होंगी, जिससे दोनों पक्षों और गवाहों के समय की बचत होगी, परेशानियां कम होंगी और खर्च कम होगा। इससे न्यायपालिका पर काम का बोझ भी कम होगा।

पंचायत महिला शक्ति अभियान

यह निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) के आत्मविश्वास और क्षमता को बढ़ाने की योजना है ताकि वे उन संस्थागत समाज संबंधी और राजनीतिक दबावों से ऊपर उठकर काम कर सकें, जो उन्हें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में सक्रियता से भाग लेने से रोकते हैं। बाइस राज्यों में कोर (मुख्य) समितियां गठित की जा चुकी हैं और राज्य–स्तरीय सम्मेलन हो चुके हैं। योजना के तहत 9 राज्य समर्थन केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। ये राज्य हैं – आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, केरल, पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। योजना के तहत 11 राज्यों में प्रशिक्षण के महत्व के बारे में जागरुकता लाने के कार्यक्रम हो चुके हैं। ये राज्य हैं – आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, केरल, असम, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।

संभागीय स्तर के 47 सम्मेलन 11 राज्यों (छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) में आयोजित किए गए हैं। गोवा और सिक्किम में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और निर्वाचित युवा प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर्स ईवाईआर्स) के राज्य–स्तरीय संघ गठित किए जा चुके हैं।

ग्रामीण व्यापार केन्द्र (आरबीएच) योजना

भारत में तेजी से हो रहे आर्थिक विकास को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से पहुंचाने के लिए 2007 में आरबीएच योजना शुरू की गई थी। आरबीएच, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास का एक ऐसा सहभागीय प्रादर्श है जो फोर पी अर्थात् पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (सरकार, निजी क्षेत्र, पंचायत भागीदारी) के आधार पर निर्मित है। आरबीएच की इस पहल का उद्देश्य आजीविका के साधनों में वृद्धि के अलावा ग्रामीण गैर–कृषि आमदनी बढ़ाकर और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देकर ग्रामीण समृद्धि का संवर्धन करना है।

राज्य सरकारों के परामर्श से आरबीएच के अमल पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने के लिए 35 जिलों का चयन किया गया है। संभावित आरबीएच की पहचान और उनके विकास के लिए पंचायतों की मदद के वास्ते गेटवे एजेंसी के रूप में काम करने हेतु प्रतिष्ठित संगठनों की सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है। आरबीएच की स्थापना के लिए 49 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। भविष्य में उनका स्तर और ऊंचा उठाने के लिए आरबीएच का मूल्यांकन भी किया जा रहा है।

(पसूका के सौजन्य से)

आर. एन. आई./708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05/3164/2009–11
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–55/2009–11

R.N.I./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2009-11
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2009-11
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : अरविन्द मंजीत सिंह, अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना